खण्ड-139, अंक-3
बुधवार, 10 भाद्रपद, शक संवत् 1876
(1 सितम्बर, 1954 ई0)

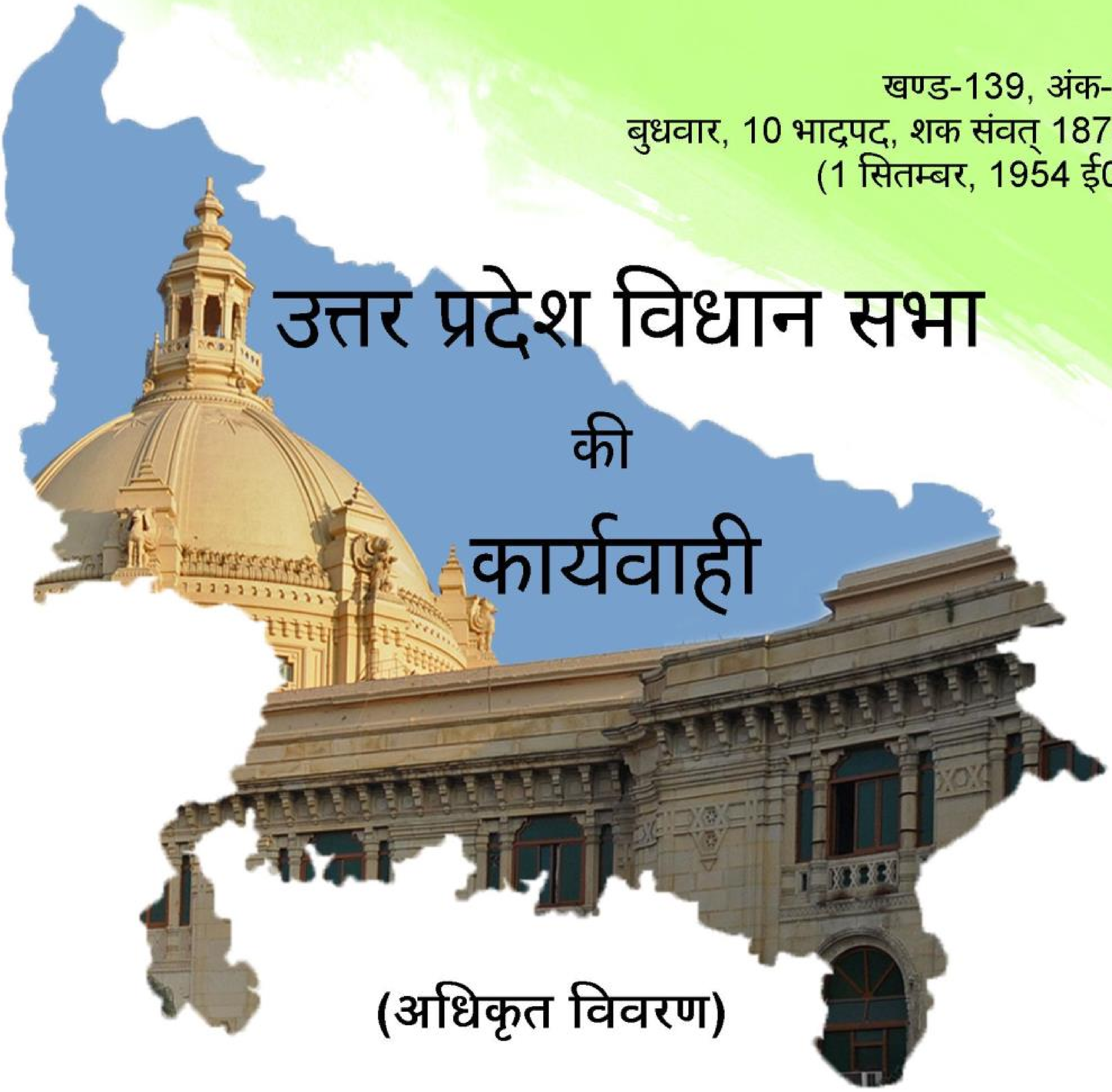

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 139 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४८)

अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मोईज़ खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह. श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविंद वल्लभ पंत, श्री
गौरी राम, श्री

घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयाल वर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदीन बाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजा राम, श्री
राजा राम किसान, श्री
राजा राम मिश्र, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
राम सुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
बिष्णुदयाल वर्मा, श्री
बिष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम सिंह पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम डाक्टर, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री दीवान
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवा राम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

नारंगीवाह घाट, जिला आगरा में नाव दुर्घटना संबंधी जांच की रिपोर्ट

*१—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या सरकार नारंगीवाह घाट (जिला आगरा) पर शिवरात्रि के दिन हुई नाव दुर्घटना के सम्बन्ध में मैजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी की रिपोर्ट मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—जी हां, रिपोर्ट की एक प्रति सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे २०८–२१९ पृष्ठ पर)

*२—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस दुर्घटना में मृतकों की संख्या निश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गयें ?

श्री मोहनलाल गौतम—जांच में न्यायाधीश ने १०९ व्यक्तियों के बयान लिये थे। इनमें ४० व्यक्ति वे थे जो नावों में बैठे थे और ६५ वे थे जो मौके पर उपस्थित थे। इन सबके बयान के आधार पर न्यायाधीश इस निर्णय पर पहुंचे कि दुर्घटना में ३५ व्यक्तियों की मृत्यु हुयी थी ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस रिपोर्ट के परिणाम-स्वरूप वह किस के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिला मैजिस्ट्रेट ने कई व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश दिया है और उसमें मुख्य मुख्य यह हैं एक तो ठेकेदार की गलती थी। दूसरे फैरी सुपरवाइजर ने जो देखा उसका पता चलाया जाय कि जब तीन तारीख को दुर्घटना हुयी और दो तारीख को वह वहां गया था, तो उसने क्या देखा और देखा तो उसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नोटिस में लाया या नहीं और तीन तारीख को जबकि इतना बड़ा मेला था, वह वहां था या नहीं ? तीसरी बात यह है कि इतने बड़े मेले में पुलिस का इंतजाम क्यों नहीं था। जिला मैजिस्ट्रेट की राय यह है कि यह क्राउड रोकी जा सकती थी और इसका इंतजाम बेहतर हो सकता था। जो मल्लाह थे उनमें से सिर्फ ४ मल्लाह ऐसे थे कि जो नाव चलाना नहीं जानते और ठेकेदारों ने रुपया कमाने के लिये सिर्फ तीन नाव रखी थीं और जब कि मेला इतना ज्यादा था पड़ोस की फेरी काम नहीं कर रही थी। एक आने के बजाय ढाई आने से लेकर पांच रुपए तक किराया लोगों से लिया गया। तो यह सारी बातें हैं और जिला मैजिस्ट्रेट ने एस० एस० पी० सी० ओ० आदि के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिये हैं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जो पुलिस दुर्घटना के करीब ४ घंटे बाद वहां पहुंच गयी थी और उसने क्राउड को कंट्रोल नहीं किया, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस कार्य के लिये पुलिस नहीं गयी थी। पुलिस किसी और दूसरे काम के लिये गयी थी ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या यह सही है कि ठेकेदार ने पुलिस को इत्तला दी कि भीड़ काबू में नहीं आ रही है इस पर पुलिस बटेश्वर घाट पर पहुंची ।

श्री मोहन लाल गौतम—इसका मुझे नोटिस चाहिये।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार के पास ऐसे साधन हैं कि वहां के ठेकेदार को सजा दे सके और अगर यह है तो सरकार ने उसको क्या सजा दी ?

श्री मोहन लाल गौतम—जैसा मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किये हैं कि अगर हो सके तो उनका प्रासीक्यूशन भी किया जाय और इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेन्ट को भी लिखा गया है।

श्री वीरेंद्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जांच जिन व्यक्तियों द्वारा की गयी वह क्या केवल आगरा जिले के ही थे ?

श्री मोहन लाल गौतम—जैसा कि मैंने उत्तर में कहा कि ४० व्यक्ति वह थे जो कि नाव में थे और ६५ वह थे जो उस स्थान पर थे। मेरा अनुमान यह है कि वे केवल आगरा जिले के ही नहीं हो सकते ।

श्री वीरेंद्रपति यादव—क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि जो व्यक्ति मरे हैं उनमें से अधिकांश मैनपुरी जिले के थे ?

श्री मोहन लाल गौतम—इसका नोटिस चाहिये।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि यह घटना नदी के किनारे हुयी या मझधार में हुयी ?

श्री मोहन लाल गौतम—मंझधार में हुयी ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)—जिस समय यह घटना हुयी उस समय नाव में कितने आदमी बैठे हुए थे और कितने व्यक्ति बैठने चाहिये थे ?

श्री मोहनलाल गौतम—कोई १००, १२५ के करीब व्यक्ति बैठे हुए और जो लटके हुये थे और जो वे २०,२२ के करीब उतार दिये गये थे और जितने बैठने चाहिए थे उससे ज्यादा थे।

श्री वीरेंद्रपति यादव—क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि यह दुर्घटना तब हुयी जब कि यह नाव में बैठ कर जाने वाले व्यक्ति नदी को पार करके मैनपुरी की सीमा के अन्दर घुसने जा रहे थे ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता । इसके ऊपर इन्क्वायरी बैठी उसका फैसला करीब करीब पेश कर दिया गया है। उसमें इन्क्वायरी जो हो चुकी हैं उनका ब्यौरा है फिर मंत्री जी से इस तरह डिटेल में पूछना उचित न होगा ।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार बताएगी कि इस प्रकार नाव डूबने की घटनायें प्रान्त में और हुयी हैं। तो क्या सरकार इन नावों के तरीकों के सम्बन्ध में जो नियम हैं कुछ कड़ाई बरतने की बात सोच रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जहां तक आगरे का सम्बन्ध है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह आदेश जारी कर दिया है और जगह जहां फैरी हैं यहां यह देखा जाय कि कितनी नावों की जरूरत है और मेलों पर कितनी नावें ठेकेदार को रखनी चाहिये। अगर दूसरे जिलों से शिकायत आयेंगी तो कार्यवाही की जायगी।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि जिन लोगों की मृत्यु हुयी है उनका कुछ रुपया और सामान भी नाव में डूब गया है?

श्री मोहनलाल गौतम—जितना उनके पास होगा वह तो डूबा ही होगा, पूरी फेहरिस्त मेरे पास नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार यह बतायेगी कि दुर्घटना के बाद मृतकों की संख्या जानने के लिये कई आस-पास के थानों में ऐसी विज्ञप्ति निकली कि जिनके आदमी मरे हों वह रिपोर्ट लिखा दें?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—इस दुर्घटना में कितनी लाशों का पता चला, कुछ का विवरण माननीय मंत्री महोदय जी बतलायेंगे?

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में उत्तर दिया जा चुका है कि ३५ व्यक्ति मरे। यह संख्या जज के फैसले में है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—मैं लाशों के बारे में जानना चाहता था कि कितनी मिलीं।

श्री अध्यक्ष—तो आप पूछ सकते हैं।

श्री मोहन लाल गौतम—१५, २० लाशें तो उसी वक्त मिल गयी थी बाकी शायद लाशें नहीं मिल पायीं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार मृतकों के परिवारों की सहायता करने पर विचार कर रही है?

श्री मोहन लाल गौतम—यह तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दायरे के बाहर की चीज है, जो कि इसका इंतजाम करता है।

*३-४—**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)—[२२ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले में सीमेंट की कमी

*५—**श्री मथुरा प्रसाद पांडेय** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को विदित है कि बस्ती जिले में करीब ६ माह से नहीं के बराबर सीमेंट भेजी गयी है जिससे जनता व बोर्ड का तथा सरकारी काम रुका पड़ा है?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—जी नहीं, बस्ती जिले में सीमेंट भेजा गया है किन्तु निर्धारित कोटा केवल ५० प्रतिशत यातायात की कठिनाइयों के कारण पहुंच पाया है जैसा कि सदस्य की मेज पर रक्खी हुई तालिका से प्रतीत होगा।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २२० पर।)

नोट—प्रश्न ५-६ श्री शिवनारायण ने पूछे।

*६—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बस्ती जिले में कुछ अधिक सीमेंट भेजने का विचार रखती है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, बस्ती जिले में ही नहीं वरन् उत्तरी पूर्वी रेलवे पर स्थित सभी जिलों में जहां पर सीमेंट की प्राप्ति की कठिनाईयां थी अधिक सीमेंट भेजने का प्रयास और प्रबन्ध किया गया है। पिछले दो पखवारों में (५ १/२) स्पेशल ट्रेन इन जिलों के लिये निम्नलिखित सीमेंट फैक्टरियों से भेजवाई गयी हैं।

कैमूर से	..	२ स्पेशल
लखेरी से	..	१ स्पेशल
सहाई माधोपुर से	..	१ स्पेशल
डालमियां व जापला से	..	(१ १/२) स्पेशल

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले का मासिक कोटा सीमेंट का क्या है ?

श्री बनारसी दास—वह तो क्वार्टरली होता है और इसके साथ में जो सूचना दी गयी है उसमें संलग्न किया गया है।

श्री शिव नारायण—सरकार ने अपने जवाब में जो कहा है कि ५० पर्सेंट हमने भेजवाया तो क्या भविष्य में जब यह सुविधा हो जायगी तो सरकार बकिया ५० परसेंट भी वहाँ भेजवाने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास—वह तो उत्तर दिया जा चुका है कि रेलवे वैगन की कमी थी जिसकी वजह से नहीं भेजवाया गया लेकिन अब वह वैगन की कठिनाई दूर हो गयी है और अब तक जो कोटे की कमी थी वह पूरी हो जायगी।

आगरा मेडिकल कालेज के छात्रावास का निर्माण

*७—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगरा मेडीकल कालेज के छात्रावास के निर्माण के लिये उन्होंने कोई योजना स्वीकार की है ? क्या इसके लिये आगरा में कुछ ईंटें खरीदी गयी हैं ? यदि हां, तो कब और अब काम क्यों बन्द पड़ा है ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्र भानु गुप्त)—जी हां, इसके लिये जिस ठेकेदार को कार्य दिया गया है उसने कुछ ईंटें सन् १९५३ में खरीदीं थीं। भवन का निर्माण कार्य अप्रैल सन् १९५४ में आरम्भ हो गया।

आगरा में एक हजार शय्या वाले अस्पताल की योजना रद्द होने से सरकार को हानि

*८—श्री देवकी नन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा में १,००० शय्या वाले अस्पताल की जो योजना रद्द की गई उसमें सरकार को कितनी हानि हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस योजना को रद्द करने में सरकार को लगभग १ लाख रुपय को हानि हुई है।

*९-१०—श्री अनन्त स्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर)—[१५ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*११-१२—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[२२ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

पंचायत राज (संशोधन) विधेयक का हिन्दी में छपवाना

*१३—श्री राम हेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत राज (संशोधन) विधेयक को जिसका अधिकतर सम्पर्क देहाती जनता से है हिन्दी में छपवाने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—पंचायत राज संशोधन विधेयक हिन्दी में पारित हुआ किन्तु संशोधन अंग्रेजी में इसलिये रखे गये कि मूल पंचायत राज अधिनियम जिसका संशोधन अभीष्ट है अंग्रेजी में ही पारित हुआ था।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—जो अभी उत्तर दिया गया वह स्पष्ट नहीं है। प्रश्न तो यह है कि क्या सरकार उसको हिन्दी में छपवाने का विचार कर रही है और जवाब यह मिला कि इसलिये छपवाया गया।

श्री अध्यक्ष—आप तो विवाद कर रहे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या हिन्दी में छपेगा ?

श्री मोहनलाल गौतम—जैसा मैंने कहा हिन्दी में ही संशोधन पारित हुआ था और इसी लिये वह हिन्दी में ही छपेगा।

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मंत्री जी जो संशोधन विधेयक पारित हुआ है और जो मूल विधेयक है जिसका सम्पर्क देहाती जनता से है, उन कुल को हिन्दी भाषा में छपवाने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—वह पहले भी छपा है और अब भी छपेगा।

नगर पालिकाओं को अनुदान एवं ऋण

*१४—श्री रामहेत सिंह—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में म्युनिसिपल बोर्डों को कितना रुपया अनुदान तथा कर्ज के रूप में दिया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—म्युनिसिपल बोर्डों को १९५२-५३ तथा १९५३-५४ वित्तीय वर्षों में निम्नलिखित रुपया अनुदान तथा कर्ज के रूप में दिया गया था :—

वित्तीय वर्ष		अनुदान	कर्ज
१९५२-५३	..	४३,७८,००८	५७,४०,०००
१९५३-५४	..	६४,६६,२१८	७७,४९,८७०

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अनुदान दिया गया है वह किन किन विशेष कार्यों के लिये दिया गया है।

श्री मोहन लाल गौतम—क्षमा करेंगे अध्यक्ष महोदय, यह अंग्रेजी में लिखा हुआ है, यदि आप इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—आप उसका हिन्दी में अनुवाद करते जाइये।

श्री मोहन लाल गौतम—

1. Grant for Public Health Purposes. यह पब्लिक हेल्थ वगैरा के लिये है।
2. Grant in aid of Civil Works to Muncipal Board recurring यानी सिविल वर्क्स म्यूनिसिपल बोर्ड के लिये यह अनुदान दिया।

3. Grants to Municipal Boards for management of ferries. फेरीज के प्रबन्ध के लिये यह अनुदान दिया गया।
4. Grants to Municipal Boards for consturction and improvement of roads. सड़कों के रख-रखाव और बनाने के लिये यह अनुदान दिया।
5. Grants to Municipal Boards for execution of drainage and Water Supply projects. पानी और नालियों के लिये अनुदान दिया गया।
6. Contributions to Muncipalities for loss of income. यह अनुदान म्यूनिसिपैलिटीज को जो विशेष बातों में आमदनी में घाटा हुआ उसके लिए दिया।
7. Contributions to Municipal Boards on account of loss of income from fines etc. जो जुर्माने से म्युनिसिलिटीज को नुकसान हुआ उसके एवज में अनुदान दिया।
8. Contributions to Municipal Boards in lieu of certain fines and sale proceeds of impounded cattle. मवेशी खाने में जो जानवर आये उनसे जो आमदनी हुई उसके एवज में यह अनुदान दिया।
9. Grants to Muncipal Boards for payment of arrears of salary to political sufferers. और राजनीतिक पीड़ितों की तनख्वाह वग़ैरा में जो कुछ खर्च हुआ। इस प्रकार से यह मुख्य ९ बातें हैं जिनके बारे में अनुदान दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वीपर्स क्वार्ट्स के लिये कितना रुपया दिया गया है ?

श्री मोहन लाल गौतम---१९५३-५४ में ४,१०,००० रुपया दिया गया है।

श्री रामदास आर्य---स्वीपर्स क्वार्टस के लिये जो यह रुपया दिया गया है क्या यह सारा रुपया खर्च हो चुका है ?

श्री मोहन लाल गौतम---आदेश तो यही जारी हुये हैं कि रुपया जल्द से जल्द खर्च हो। मकान बन रहे हैं, मुमकिन है कहीं खर्च हुआ हो और कहीं नहीं हुआ हो।

श्री शिवनारायण---मेहतरों के क्वार्ट्स के लिये जो रुपया दिया गया है वह प्रत्येक जिले में कितना दिया गया है ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसका पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं। इरादा यह था कि २५ लाख रुपया उस रकम में से जो हाउसिंग के लिये मिल जाता। उसमें से आधा अनुदान के रूप में और आधा कर्ज के रूप में है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अनुदान देने की स्वीकृति नहीं दी है, इसलिये वह रकम नहीं मिली है। यह वही रकम है, जो हम अपनी रकम ४ लाख १० हजार रुपये दे चुके हैं, वह कबाल टाउन्स में है। उसमें अनुदान शामिल नहीं है और यह कर्ज के रूप में है।

अनाथालयों तथा विधवाश्रमों के लिये एडहाक बोर्ड की स्थापना

*१५---**श्री रामहेत सिंह**---क्या स्वाशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनाथालयों और विधवाश्रयों के कार्य की देख रेख करने तथा उनकी दशा सुधारने के लिये जो एडहाक बोर्ड की स्थापना की गई है उसमें कौन कौन सदस्य हैं और इस विषय में बोर्ड ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---इस बोर्ड के वर्तमान सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :---

१---श्रीमती तारा अग्रवाल, एम० एल सी०, कानपुर।

२---श्रीमती दुर्गा देवी, सेक्रेटरी, मानटेसरी स्कूल, लखनऊ।

३--श्रीमती श्याम कुमारी खान, इलाहाबाद।

४--श्रीमती सज्जन देवी महनोत, एम० एल० ए०, बनारस।

५--श्री विष्णु सरन दुब्लिश, एम० एल० ए०, मेरठ।

तथा (सरकारी सदस्य)-

६--डाइरेक्टर, मेडिकल तथा हेल्थ सर्विसेज, उत्तर प्रदेश।

७--डाइरेक्टर कुटीर उद्योग, उत्तर प्रदेश।

८--डाइरेक्टर शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

९--सेक्रेटरी, स्वायत्त शासन विभाग अथवा उनके मनोनीत अधिकारी (बोर्ड के सेक्रेटरी)।

यह बोर्ड एक परामर्शदात्री समिति है जिसकी दो बैठकें गत वर्ष हुई थीं और जिसने सरकार के सामने निम्न सुझाव रखे थे--

१--इन संस्थाओं की रजिस्ट्री की जाय।

२--इन संस्थाओं के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना प्राप्त की जाय।

३--शिक्षा संचालक से शिक्षा केन्द्रों की सूची मांगी जाय जहां कि अनाथों तथा विधवाओं को शिक्षा दी जाय।

४--इन संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिये और इसके लिये कानून बनाना चाहिये।

५--अलग से जिला समितियां न बनाई जायें। लेकिन इन संस्थाओं का काम देखने के लिये स्थानीय स्वशासन इकाइयों के कुछ सदस्यों तथा शासन द्वारा नामांकित कुछ और व्यक्तियों की एक उप समिति बनाई जाय।

६--इन संस्थाओं का निरीक्षण बोर्ड के सदस्यों को करना चाहिये।

श्री रामहेत सिंह--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन ६ सुझावों में से कौन-कौन से सुझावों को सरकार ने माना है?

श्री मोहन लाल गौतम--एक और चार के सम्बन्ध में एक विधेयक तैयार किया जा रहा है, जो सम्भव है सदन के समक्ष रखा जायगा, उसके सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है। तीन के सम्बंध में शिक्षा संचालक से कुछ लिखा-पढ़ी हो रही है। पांच में उपसमितियों का बनाया जाना, अधिनियम के बनने के बाद ही सम्भव हो सकेगा। छठे में सरकार का निरीक्षण भी अधिनियम बनने के बाद ही सम्भव हो सकेगा। बोर्ड के सदस्यों ने कुछ निरीक्षण किये हैं।

श्री रामदास आर्य--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन अनाथालयों और विधवा आश्रमों को सरकार की ओर से कितना अनुदान प्रतिवर्ष मिलता है?

श्री मोहनलाल गौतम--वह बजट में दिया हुआ है। पहले २० हजार था, पिछले साल ५० हजार था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस प्रदेश में कितने अनाथालय अथवा विधवा आश्रम हैं, जिनके हेतु यह बोर्ड बनाया गया है?

श्री मोहनलाल गौतम--उसके लिये मुझे सूचना चाहिये। पूरी संख्या इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाख़री (जिला गोंडा)---क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी फर्मा कर बतलायेंगे कि इस अनाथालय के इन्तजाम के लिए जो कमेटी बनायी गयी है, किस खास वजह से औरतों की इतनी ज्यादा तादाद उसमें रखी गयी है ?

श्री मोहन लाल गौतम---यह ख्याल है कि इस काम को औरतें ज्यादा अच्छी तरह से कर सकती हैं बनिस्वत मर्दों के।

श्री मुहम्मद शाहिद फाख़री---क्या मंत्री जी इर्शाद फरमायेंगे कि जिन-जिन अनाथालयों में मर्दों ने इन्तजाम किया, उनके खिलाफ रिपोर्ट आई हैं कि उनका इन्तजाम खराब था, जिसकी वजह से यह परिवर्तन किया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम---मर्दों ने जिन अनाथालयों का इन्तजाम किया है, उनमें से कुछ ने अच्छा भी किया है, कुछ ने खराब भी किया है।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हर म्यूनिसिपैलिटी में जहां विधवा आश्रम या अनाथालय हैं, वहां भी ऐसी कमेटियां बनाने का विचार है ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह तो उत्तर में कह दिया गया है कि जिला समितियों के बारे में अधिनियम जब बनाया जायगा, उस वक्त फैसला होगा और कहा जा सकेगा कि इरादा है बनाने का या नहीं।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जितने अनाथालय प्रान्त में हैं उनमें बच्चों को उसी अनाथालय में पढ़ाने का भी कोई प्रबन्ध है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जैसा उत्तर में मैंने कहा कि बहुत कम है और इसीलिये शिक्ष संचालक से यह लिखा-पढ़ी हो रही है कि इन अनाथों को शिक्षा किस तरह से दी जाय और किन-किन संस्थाओं में उनकी शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय।

*१६---**श्री बाबूनन्दन**---[२२ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

डायटिक थेरापी पर प्रयोग करने के लिये केन्द्रीय सरकार के सुझाव

*१७---**श्री देवकी नन्दन विभव** (अनुपस्थित)---क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने dietic therapy पर प्रयोग करने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं ? यदि हां, तो वे सुझाव क्या हैं ?

श्री बनारसी दास--- जी हां, और उन पर कार्यवाही की जा रही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि डायटिक थेरापी के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या सुझाव दिये हैं ?

श्री बनारसी दास---केन्द्रीय सरकार के सुझाव ये हैं कि प्रान्त के १२ स्थानों में जहां अस्पताल हैं और जहां पर शिक्षा की भी व्यवस्था है वहां पर कुछ अनुसन्धान किया जाय जिसमें बेटर डाइट मिल सके, इस सम्बन्ध में कुछ खोज की जाय और डाइट के अन्दर सुधार किया जाय और विशेष किस्म के चूल्हे या इस प्रकार के बर्तन वग़ैरह वहां पर रखे जायं जिससे उसमें सफाई ज्यादा हो और हाइजिनिक ढंग से खाना पकाया जा सकता हो।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार क्या निश्चित कार्यवाही कर रही है ?

नोट---तारांकित प्रश्न १७ श्री नारायण दत्त तिवारी ने पूछा।

श्री बनारसी दास—इस वक्त हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि एक अस्पताल में इसको फिलहाल शुरू किया जाय और इसका एक आदेश जल्दी ही जारी किया जाने वाला है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अनुसंधान के हेतु कौन सा अस्पताल उन्होंने निश्चित किया है ?

श्री बनारसी दास—अभी निश्चित रूप से तो तय नहीं है, लेकिन सुझाव यह है कि आगरा सरोजिनी नायडू अस्पताल में इसको शुरू किया जाय।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय अन्न मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने उन कुछ जगहों के लिये भी सुझाव दिया है जहां पर कि खाना पकाने के लिये अन्न ही न हो ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रदेश में ऐसा कोई अस्पताल नही है जहां खाने के लिये भोजन न हो।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि ऐसी कोई जगह नही जहां खाना पकाने के लिये....

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने कहा कि ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जहां खाने का प्रबन्ध न हो और खाना न हो।

क्षय रोग की रोक-थाम के उपाय

*१८—**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि टी० बी० से उत्तर प्रदेश में १९५२-५३ और ५३-५४ में कुल कितने व्यक्ति मरे ?

श्री बनारसी दास—उत्तर प्रदेश में टी० बी० से सन् १९५२ में १२,०७४ और १९५३ में ११,७६८ व्यक्ति मरे। सन् १९५४ की संख्या अभी उपलब्ध नहीं है।

*१९—**श्री झारखंडे राय**—क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के किन-किन भागों में टी० बी० का रोग ज्यादा होता है ?

श्री बनारसी दास—सन् १९५३ में इस बीमारी से मरे हुये व्यक्तियों की, संख्या से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश में टी० बी० का रोग रुहेलखंड, लखनऊ इलाहाबाद, फैजाबाद, आगरा और बनारस डिवीजन्स में अधिक है।

*२०—**श्री झारखंडे राय**—क्या सरकार बतायेगी कि टी० बी०की रोक-थाम के लिये सरकार की ओर से क्या क्या उपाय किये जा रहे हैं?

श्री बनारसी दास—टी० बी० की रोकथाम के लिये सरकार की ओर से निम्न-लिखित उपाय किये जा रहे हैं—

(१) पूरे प्रदेश में निःशुल्क बी० सी० जी० के टीके लगाये जा रहे हैं।

(२) किंग एडवर्ड सप्तम सेनेटोरियम भुवाली में पहले १८६ बेड्स थे उसमें से २६ फ्री थे। अब वहां २९२ बेड्स हैं जिसमें से ९८ फ्री हैं।

(३) एक नया सेनोटोरियम भुवाली के पास गेथिया में खोला गया है जिसमें ५० बेड्स हैं। इसमें ७५ फी सदी बेड्स विद्यार्थियों व शिक्षकों के हैं क्योंकि उनके एकत्रित किये गये धन से इमारत खरीदी गई है और उसको ठीक कराया गया है।

(४) एक १०२ बेड्स का क्षय अस्पताल फिरोजाबाद में खोला जा रहा है। २६ बेड्स तो वहां मौजूद हैं, ७६ और बन रहे हैं। इनको बनाने का खर्च २,४९,६०० रु० और सुसज्जित करने का खर्च ८१,००० रु० टीचर्स फण्ड से दिया जायगा। यहां भी ७५ फीसदी बेड्स शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के लिये होंगे।

(५) एक क्षय रोग अस्पताल डाक पाथर जिला देहरादून में खोला गया है। यहां ८८ बेड्स हैं।

(६) बनारस और इलाहबाद में भी लगभग ५०, ५० बेड्स का टी० बी० अस्पताल खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। उनको बनाने व सजाने के खर्च भी टीचर्स फंड से दिया जायगा। सालाना खर्च सरकार देगी।

(७) बृज सेवा समिति टी० बी० सेनेटोरियम, बृन्दावन में एक २५ बेड्स का वार्ड बनाने के लिये तथा इटावा में एक ३४ बेड्स का वार्ड बनाने के लिये रुपया वहां के अधिकारियों को दे दिया गया है और शीघ्र ही चालू होने वाला है।

(८) इसके अलावा कुछ जिला अस्पतालों में भी टी० बी० वार्ड खोले गये हैं और खोले जा रहे हैं। जैसे लाला लाजपतराय अस्पताल, कानपुर में २२ बेड्स, प्यारेलाल शर्मा, मेरठ अस्पताल में २० बेड्स और बदायूं में १४ बेड्स हैं।

(९) टी० बी० की रोकथाम के लिये प्रतिवर्ष टी० बी० एसोसियेशन के द्वारा टी० बी० सील बेंचने से सरकार मदद देती है। अब तक कुल ५, ५३,००० रु० जमा हुआ है और यह जगह-जगह पर टी० बी० क्लीनिक्स खोलने में इस्तेमाल किया जा रहा है।

(१०) स्वास्थ्य मंत्री के चैरिटी फण्ड से टी० बी० के मरीजों को अपना इलाज कराने के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है।

(११) शरणार्थी तपेदिक के मरीजों के लिये भूमियाधार (भुवाली के पास) १ क्षय रोग अस्पताल २६ बेड्स का है।

(१२) इस समय क्षय रोग अस्पतालों में कुल बेड्स लगभग ९०० हैं, और टी० बी० अस्पतालों पर लगभग ८ लाख रुपया सालाना खर्च होता है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि टी० बी० की रोकथाम के लिये सरकार ने जो उपाय किये हैं उनमें केन्द्रीय सरकार से या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था से भी सहायता प्राप्त होती है। अगर हां, तो कितनी और किस प्रकार ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अन्तर्राष्ट्रीय किसी संस्था में से अभी कोई रुपया नहीं मिला है। एक योजना वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन की है जिसके तहत में आगरा में १०० बेड्स का टी० बी० का अस्पताल खुलेगा और उसमें वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन से कुछ सहायता प्राप्त होगी, किन्तु अभी उसका कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। बी० सी० जी० के टीके के लिए भी कुछ सहायता बाहर से मिलती है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो मरे हुए लोगों की संख्या दी हुई है उसमें शिक्षित लोगों में टी० बी० ज्यादा फैल रही है, अगर ऐसा है तो सरकार ने उसकी जानकारी की है ?

श्री बनारसी दास--इसका कोई अलग-अलग विवरण तो होता नहीं है कि कितने शिक्षित हैं और कितने अशिक्षित हैं।

श्री झारखंडे राय--क्या सरकार बतलाने का कष्ट करेगी कि जिन भागों में टी० बी० का मर्ज अधिक हो रहा है वहां उसके कारणों की जांच करने की कोशिश की गई है कि उन भागों में क्यों मर्ज बढ़ रहा है ?

श्री बनारसी दास--इसके बहुत से कारण हैं।

श्री अध्यक्ष--वह कारण नहीं पूछ रहे हैं, जांच के बारे में पूंछ रहे हैं।

श्री बनारसी दास--इसके लिये अभी कोई सर्वे नहीं किया गया, लेकिन बी० सी० जी० टीम्स कार्य कर रही है, उससे अन्दाजा लगाया जा सकता है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हमारे भारतवर्ष में कानपुर में सबसे ज्यादा टी० बी० होती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, ऐसा कहा जाता है।

श्री रामहेत सिंह--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में जो मृत व्यक्तियों की संख्या बताई गई है उसमें शहरों की ज्यादा है या देहातों की ज्यादा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--आंकड़े जो इकट्ठे हो कर आये हैं उनमें कोई विभाजन नहीं किया गया है, क्योंकि जिले वार आते हैं और उनमें शहर और देहात दोनों के मिले जुले व्यक्ति होते हैं।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि गत वर्ष पूर्व वर्षों के मुकाबले में टी० बी० के मरीजों की संख्या बढ़ी है या घटी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जो आंकड़े बतलाये गये हैं उनमें तो घटी है।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बनारस और इलाहबाद में जो ५०, ५० बेड्स निर्धारित किये गये हैं वे अस्पताल कब तक पूरे हो जायंगे ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त--जहां तक इलाहाबाद के अस्पताल का सम्बन्ध है वहां तो कुछ वार्ड्स बन गये हैं और कुछ के लिये सरकार की मंजूरी बनाने के लिये जल्दी ही जाने वाली है। बनारस के अस्पताल के सम्बन्ध में सरकार के पास एस्टिमेट्स आ गये हैं और जैसे ही उन पर विचार हो जायेगा उस अस्पताल के बनाने के लिये मंजूरी भेज दी जायगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार के सामने कोई ऐसी योजना है कि जिससे टी० बी० का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा कराया जाय ?

श्री बनारसी दास--इस समय कोई ऐसी योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)--क्या सरकार यह अनुभव करती है कि इन अस्पतालों के प्रबन्ध को और अच्छा करने के लिये अधिक खर्चे की जरूरत है ?

श्री बनारसी दास--यह तो बराबर बढ़ता जाता है।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुन्देलखंड में टी० बी० अस्पताल बनाने की कोई योजना सरकार ने बनायी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी तो नहीं बनायी है किन्तु इरादा जरूर है कि हम रीजिनल टी० बी० अस्पताल बनायें और वहां भी उसका प्रबन्ध करें।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि आगरा जिले में जो टी० बी० का अस्पताल बनाया जायगा तो क्या वहां पर उसके लिये क्लाइमेट सूट करेगी।

श्री अध्यक्ष--आप बहस कर रहे हैं।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बनारस में जो यह अस्पताल बनाया जायगा वह सरकार किस स्थान पर बनायेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--दो स्थानों के लिये सिफारिश हमारे पास आयी है एक तो सारनाथ और दूसरा वह स्थान को बनारस शहर में है और जिसको सरकार ने बड़ा अस्पताल बनाने के लिये लिया था। अभी तक इसके लिये निर्णय नहीं किया गया गया है कि जो हमारी जमीन विभाग द्वारा खरीदी गयी है और जो शहर में है वहां पर टी० बी० अस्पताल खुले।

श्री बसन्त लाल (जिला जालौन)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस डिवीजन में टी० बी० के मरीज ज्यादा हैं उस डिवीजन के जिले के अस्पताल में टी० बी० रोग के लिये कुछ बेड्स सुरक्षित रखने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अब इरादा है कि जिलों के अस्पतालों में यह स्थापित कर दिया जाय, लेकिन पूर्व इसके कि जिले जिले में यह स्थापित किया जाय हमने यह निर्णय किया है कि हम अपने प्रदेश को रीजन्स में बांट दें और उन रीजन्स में इन अस्पतालों को बनायें।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--क्या माननीय मंत्री जी फर्मायेंगे कि सूबे के तुलबा में और तालिबात में यह मर्ज खासतौर से भयानक शक्ल में पहुंच रहा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, यह सत्य है कि एक खास उमर के विद्यार्थियों में यह रोग बढ़ता जाता है और बढ़ रहा है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--मैंने तालिबात के लिये भी कहा था कि उनमें भी यह मर्ज फैलता जाता है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वह मेरा उत्तर तो लड़की और लड़का दोनों के लिये है।

श्री मुहम्मदशाहिद फाखरी--क्या वजीरेगिजा मेहरबानी करके बतायेंगे कि जिन अस्पतालों को आपने सजाने और बनाने के लिये फर्माया उन अस्पतालों में आपने उन अताया के मुताल्लिक इतमिनान कर लिया है कि उसका सहीतौर पर इस्तेमाल किया जायगा?

श्री बनारसी दास--इसका सवाल पैदा नहीं होता है। यह सब सरकार के अस्पताल हैं।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय टी० बी० अस्पताल किन-किन जिलों में खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बस्ती में एक अस्पताल प्राइवेट चैरिटी से और सरकार की मदद से बन रहा है। वहां हम उस अस्पताल में और अनुदान देने पर भी विचार कर रहे हैं। एक अस्पताल हम वहां पर बनाना चाहते हैं और एक अस्पताल हमारा इरादा

है, जैसा कि मैंने बताया कि बुन्देलखंड के क्षेत्र में स्थापित करें और इस तरह से जो अभी ब्योरा मैंने आपके सामने अस्पतालों का दिया है उससे हमारे प्रदेश में जो रीजन्स में अस्पताल बनाने की योजना की गयी थी, वह कदाचित पूरी हो जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बी० सी० जी० की स्कीम को स्थायी करने के लिये बी० सी० जी० के उत्पादन हेतु एक कारखाना यू० पी० में खोलने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं, प्रदेशीय सरकार ने इसके ऊपर विचार नहीं किया है। केन्द्रीय सरकार बी० सी० जी० इन्जेक्शन इत्यादि के तैयार करने पर स्वयं विचार कर रही है। केन्द्रीय सरकार द्वारा यदि बी० सी० जी० बनाने की कोई योजना बनायी गयी तो प्रदेशीय सरकार सहयोग प्रदान करेगी।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बतायेंगे कि बनारस में सारनाथ में टी० बी० सेनेटोरियम था, जो सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता न प्राप्त हो सकने के कारण बन्द हो गया और क्या सरकार उसको फिर से चालू करने का प्रयत्न कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सारनाथ में मंगलाप्रसाद सेनेटोरियम स्थापित था लेकिन वर्षों से उसका इन्तजाम ठीक नहीं रहा। इसके अतिरिक्त जो स्थान उनके पास था वह लम्बा चौड़ा कम था तथा मरीजों के लिये भी उपयुक्त स्थान नहीं था। एक बार सरकार का ऐसा इरादा भी हुआ था कि वह सारनाथ के इस अस्पताल को ले ले लेकिन जब सरकारी कर्मचारियों ने उसका निरीक्षण किया तो उन्होंने बताया कि चाहे सारनाथ अच्छा स्थान हो भी लेकिन जो स्थान मंगलाप्रसाद सेनेटोरियम के पास है, वह कम है, आयन्दा अगर कोई तरक्की उसमें करना चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार टी० बी० की रोकथाम के लिये अपने प्रदेश में प्राणायाम की एक्सरसाइसेजेज का प्रचार करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार जो इस समय टी० बी० के इलाज का प्रबन्ध कर रही है, वह ज्यादातर एलोपैथिक इलाज है। आयुर्वेदिक के मानने वाले भी इस बात को चाहते हैं कि आयुर्वेदिक टी० बी० सेनेटोरियम खोले जायं। जब आयुर्वेदिक कालेज स्थापित हो जायगा और वह पूरी तरह से काम करने लगेगा तब इस बात का भी प्रयत्न किया जायगा कि उनके तहत में ऐसे बेड्स रक्खे जायं जहां वे अपने इलाज के अनुसार टी० बी० के मरीजों का इलाज कर सकें।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--अभी माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है कि समस्त भारतवर्ष में, कानपुर नगर में टी० बी० के मरीजों की संख्या ज्यादा है, तो क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--क्या कारण है इसको तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है। कानपुर घना बसा हुआ शहर है, जो मकान और मोहल्ले हैं वे इस प्रकार घने हैं और कहीं-कहीं इस प्रकार की गन्दगी है वहां रहने से अस्वस्थता पैदा होती है, जिसके कारण से यह बीमारी बढ़ती और फैलती है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि देहाती क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों द्वारा सरकार टी० बी० की चिकित्सा करने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--देहात और शहरी क्षेत्र का कोई विभाजन नहीं किया गया, जो अस्पताल खोले गये हैं उनमें देहात और शहरी किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति इलाज करा सकते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का डिफरेंशियेशन नहीं किया जाता है किसी भी क्षेत्र का मरीज जो जाता है उसको वहां दाखिल किया जाता है और उसका इलाज किया जाता है।

उत्तर प्रदेशीय हास्पिटल कर्मचारी एसोसियेशन आगरा की मांगों पर विचार

*२१--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेशीय हास्पिटल कर्मचारी एसोसियेशन आगरा की कुछ मांगें आयी हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त मांगों की एक प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

*२२--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन मांगों के सम्बन्ध में उसने क्या निश्चय किया है ?

श्री बनारसी दास--सरोजिनी नायडू अस्पताल व मेडिकल कालिज, आगरा के निम्नश्रेणी के कर्मचारियों के एसोसियेशन के विषय में प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मेरा प्रश्न उत्तर प्रदेशीय हास्पीटल कर्मचारी एसोसियेशन की मांगों के बारे में था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने दूसरा ही उत्तर दिया है, क्या माननीय मंत्री जी उसका स्पष्टीकरण करेंगे।

श्री बनारसी दास--आपका प्रश्न यह है कि क्या सरकार उन मांगों की एक प्रतिलिपि मेज पर रखेगी ? तो उत्तर में यह कहा गया है कि उनकी मांगे विचाराधीन हैं, इसी वजह से प्रतिलिपि मेज पर नहीं रखी गयी है। उसमें कुछ संशोधन बतलाये गये थे उनकी यूनियन को रजिस्टर्ड करने के लिये, जो कि ऐसे एसोसिएशन के लिये नियम हैं और वे अभी यूनियन के विचाराधीन हैं। इसी वजह से उसकी प्रतिलिपि मेज पर नहीं रखी गयी है। जिस वक्त कि यह प्रश्न तय हो जायगा और यूनियन का उत्तर भी आ जायगा तब यह प्रतिलिपि मेज पर रखी जा सकती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या उत्तर प्रदेश हास्पिटल कर्मचारी एसोसिएशन या सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा के निम्न कर्मचारियों की मांगों को सरकार कांफिडेंशिअल समझती है और उनको सदन में नहीं रखा जा सकता है ?

श्री बनारसी दास--यह तो उत्तर दिया जा चुका है कि अभी उनकी मांगे स्वयं निश्चित नहीं हैं और जो सुझाव अभी सदन में उपस्थित किये गये हैं और इस प्रकार के एसोसिएशन के लिये मान्यता प्रदान करने के लिये जो सरकारी नियम हैं, वे उन पर लागू होते हैं, इसलिये उनको भेजा गया है और अभी तक यूनियन ने उसका उत्तर नहीं दिया है। वे भी विचार कर रहे हैं, ऐसी सूरत में जब निश्चित रूप से उनकी मांग आ जायगी तो उनको सदन के सामने भी रखा जा सकता है। उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

*२३--**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़)--[२२ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

दुर्भिक्ष ग्रस्त देवरिया जिले के टेस्ट वर्कों के मजदूरों को समय पर मजदूरी न मिलने से उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव श्री गेंदा सिंह ने भेजा है वह इस प्रकार है --

"दुर्भिक्ष-ग्रस्त क्षेत्र जैसे देवरिया जिले में सरकार द्वारा चलाये जाने वाले टेस्ट वर्कों पर काम करने वाले लगभग १० हजार मजदूरों को नियम और मानवता के विरुद्ध कई दिन तक मजदूरी न देने से भूख से पीड़ित हो कर मरने की जो विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है उस पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से कौन चार्ज में है ?

(श्री द्वारका प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर) आप आ गये हैं मैंने आपको देखा नहीं था। मैं आप से यह जानना चाहूंगा कि इस विषय में श्री गेंदा सिंह जी ने कोई शिकायत वगैरह देवरिया के सम्बन्ध में की है ? पहले कोई सूचना आप को मिल चुकी है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--देवरिया के बारे में तो श्री गेंदा सिंह जी की हमेशा बराबर की शिकायत होती रहती है और कल फल पर बहस होने वाली है, उसी दुर्भिक्ष के बारे में सब बातें आ जायंगी .....

श्री अध्यक्ष--मैंने यह नहीं पूछा, उनकी शिकायत बराबर देवरिया के सम्बन्ध में होती रहती है या नहीं, मुझे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि माननीय गेंदा सिंह देवरिया के बारे में क्या बहस उठाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने शब्द जैसे 'देवरिया' अपने प्रस्ताव में रखे हैं, जो इस प्रकार है "दुर्भिक्ष-ग्रस्त क्षेत्र जैसे 'देवरिया' वे कहें कि क्या वे शब्द "जैसा" काट कर केवल शब्द "देवरिया" रखना चाहते हैं ?

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--हमने श्रीमन् निश्चित करने के लिये ही "देवरिया" उसमें रखा है वर्ना टेस्ट्स वर्क तो और जगहों पर भी चलते हैं। मैं आपकी आज्ञा से "जैसे" काट देना चाहता हूं और केवल देवरिया के बारे में ही है इसे करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि इस विषम बहस की क्या आवश्यकता है, और उसकी अर्जेन्सी क्या है ?

श्री गेंदा सिंह--आवश्यकता की बात तो इसी से स्पष्ट है कि टेस्ट वर्क जहां भी खोले जाते हैं वह उसी अवस्था में चलाये जाते हैं जब कि कहीं के लोगों की जिन्दगी का कोई दूसरा सहारा नहीं रहता। अगर ऐसी जगह पर एक दो दिन काम करने के बाद या ४ दिन बाद मजदूरी दी जाय तो यह तो जैसा मैंने प्रस्ताव में कहा है कि मानवता के विरुद्ध कार्य होगा और मैं यह भी निवेदन कर दूं कि फ़ेमीन कोड.....

श्री अध्यक्ष --वहां क्या फ़ेमीन कोड के मुताबिक़ काम होने लगा है ?

श्री गेंदासिंह --जहां कहीं भी टेस्ट वर्क होते हैं वह भी फेमिन कोड के मातहत ही होते हैं, फ़ेमिन कोड का पैरा ११३ में राजस्व मंत्री जी की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं--
"payment shall be made in all cases '-"

उस हालत में मजदूरी तो उनको देनी चाहिये और यहां पर क़रीब १० हजार मजदूर कई चीजों पर काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप दूसरी बात पर चले गये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह दुर्भिक्षग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है ?

श्री गेंदा सिंह—यह फ़ेमीन एरिया तो डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन टेस्ट वर्क वहीं शुरू किया जाता है जहां यह समझा जाता है कि दुर्भिक्ष है। यह दुर्भिक्ष-ग्रस्त इलाका डिक्लेयर करने के पहिले एक परीक्षण काल होता है।

श्री अध्यक्ष—यह तो फिर आप दूसरी बहस में जाते हैं। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि बाढ़ के कारण यह टेस्ट वर्क शुरू किया गया है या दुर्भिक्ष के कारण ? क्योंकि मुझे यह तय करना है कि मैं इजाजत दूं या न दूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, टेस्ट वर्क के बारे में जो नियम है वह तो है। उनको समय पर मजदूरी मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप यह बताइये कि इसकी अर्जेंसी है या नहीं, या यह निश्चित है या अनिश्चित ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—ऐडजर्नमेंट मोशन के सिलसिले में यह बिलकुल ही निश्चित नहीं है। क्योंकि कैसे-कैसे, कहां-कहां क्या-क्या उनको मजदूरी दी जाती है, चूंकि कई टेस्ट्स वर्क देवरिया में भी चालू हैं और जिलों में भी चालू किये गये हैं। तो कहीं से इस बात की शिकायत आई और अब उस शिकायत को ऐडजर्नमेंट मोशन के सिलसिले में आना भी क्या मुनासिब है इसे स्वयं माननीय अध्यक्ष महोदय विचार कर लें। वह तो जब कल जो फ्लड के सिलसिले में बहस होगी तो उसमें टेस्ट वर्क की भी बातें आयेंगी उसमें माननीय गेंदा सिंह जी को काफी प्रकाश डालने का मौक़ा मिलेगा।

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहूंगा कि ये जो टेस्ट वर्क कायम किये गये हैं वे दुर्भिक्ष-ग्रस्त क्षेत्र डिक्लेयर करने के बाद कायम किये गये हैं या फ्लड के सिलसिले में कायम किये गये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—हां, फ्लड के सिलसिले में कायम हुये थे।

श्री अध्यक्ष—तो यह इससे स्पष्ट है कि दुर्भिक्षग्रस्त क्षेत्र नहीं है बल्कि टेस्ट वर्क कायम किये गये हैं जो बाढ़ आयी उसके सिलसिले में। ऐसी अवस्था में चूंकि कल बहस होने वाली है और राजस्व मंत्री जी यह कहते हैं कि इस विषय में यह प्रश्न उठाया जा सकता है उसमें इनको कोई आपत्ति नहीं है कि इसके ऊपर बहस हो जाय तो उसी सिलसिले में बहस हो जाना मैं समझता हूं ज्यादा कारगर होगा बनिस्बत एक कामरोको प्रस्ताव के द्वारा क्योंकि उपस्थित प्रश्न में बहुत कुछ अनिश्चितता दिखाई देती है और बहुत सी जगह टेस्ट वर्क्स इसमें सम्मिलित हैं इसलिये सब का जिक्र करना तभी सम्भव है जब वह एक बड़े वाद-विवाद का भाग हो। इसलिये इस बुनियाद के ऊपर कि आगे बहस इस पर होने वाली है मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि यह कामरोको प्रस्ताव पेश हो।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की पद्धति का स्पष्टीकरण

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप से एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं कल ही यह सोच रहा था कि आप से इस बात में सहायता मांगूं कि रूल्स में यह है कि जिस वक्त माननीय अध्यक्ष महोदय खड़े हो जायं उस समय किसी सदस्य को बीच में खड़ा नहीं होना चाहिये। लेकिन अगर माननीय स्पीकर उस वक्त जब रूलिंग दे रहे हों और वह रूलिंग ऐसी दे रहे हों जो किसी सदस्य को यह महसूस हो रही हो कि यह

गलत है तो वैसी हालत में उस सदस्य की शिकायत कैसे सुनी जा सकती है, जैसे इस समय आप ऐसी रूलिंग दे रहे थे जिसके बारे में मेरी राय थी कि अगर मैं वह बात कह लेता जो मैं कहना चाहता था तो शायद आप वह रूलिंग न देते। तो अध्यक्ष महोदय, अब मैं क्या करूं मेरी परेशानी यह हो रही है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि हर एक माननीय सदस्य के दिमांग से तो सदन का कार्य नहीं चलेगा। इस विषय में यहां पर अध्यक्ष के नियंत्रण से ही काम चलेगा। जब जैसी आवश्यकता होती है जिस विषय के बारे में, उसी प्रकार मैं पूछतांछ कर लेता हूं। अब आप के दिल में यह आया कि शायद आप एक बात कह देते तो अध्यक्ष अपना विचार बदल देते, दूसरे माननीय सदस्य के दिल में कोई दूसरी बात आती हो और इस तरह से अगर सभी सोचें तो यह बात तो कभी खत्म ही नहीं होगी। इसलिये इस प्रश्न के जो सारे पहलू थे वे मैंने पहले ही सोच लिये थे और उनके संबंध में आप से प्रश्न भी पूंछ लिये। जो सवाल पूछे थे उनके उत्तर में कुछ अधिक ही लोग बातें कह गये हैं, कम नहीं कहा है। ऐसी अवस्था में अगर आप कोई अन्य बात भी कह देते तो शायद मैं समझता हूं कि वह ऐसी नहीं होती कि जिसका असर अध्यक्ष पर हो सकता, क्योंकि जो असर होने वाला था वह उन सवालों के जवाब से ही हो चुका है जो आप से पूछा था।

श्री गेंदा सिंह--क्या मैं कह दूं जो मैं कहना चाहता था?

श्री अध्यक्ष--अध्यक्ष का दिमाग हमेशा खुला है। जो कुछ आप कहना चाहते हैं वह मुझसे कह सकते हैं और लिख कर भी भेज सकते हैं। अध्यक्ष को यह भी अधिकार है कि जो रूलिंग वह दे, अगर वह समझे कि वह गलत है तो वह किसी दूसरे अवसर पर भी यह कह दे कि मैंने जो फैसला दिया था वह गलत था और इसलिये मैं इसको दुरुस्त करना चाहता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--एक निवेदन इस संबंध में आपसे यह करना है कि एडजर्नमेंट मोशन जब हम लोग लाते हैं तो वह अर्जेंट और महत्त्व का रहता है और अपने विचार से सोच कर ही लाते हैं। इस संबंध में, श्रीमन्, आप से कह कर निवेदन भी कर दिया था और सरकार को भी पहले से सूचित कर दिया था और इस सदन में भी इसकी चर्चा हो गयी थी। मगर माननीय मौर्य जी ने यहां पर यह कह दिया कि यह बाढ़ से ही संबंधित टेस्ट वर्क है। यह श्रीमान्, साधारण सी बात है और सब लोग जानते हैं कि देवरिया का इलाका करीब दो साल से अभावग्रस्त है.....

श्री अध्यक्ष--यह तो ठीक है लेकिन आप इस पर प्रश्न देकर पूछ सकते हैं और इसके लिये कल आप जितना कहना चाहते हैं, कह भी सकते हैं।

श्री राजनारायण--आपने यह कह दिया कि "ऐण्टीसिपेट करते हुए"। इस संबंध में इतना ही कहना था कि यहां के वाद विवाद में जो हम कहते हैं वह भी समाचार पत्रों में नहीं आता और टाइप्ड कापी रिपोर्ट में छप जाती है। बेचारे पत्रकार भी परेशान हो जाते हैं। एडजर्नमेंट मोशन तो गवर्नमेंट का सेंसर होता है और वाद विवाद में सारा इनीशियेटिव उनके हाथ में चला जाता है। तो आप इतनी कृपा करें कि कभी कभी एडजर्नमेंट मोशन एलाऊ कर दिया करें।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अगर मुझे यह उम्मीद हो जाय तो मैं थोड़ा सा लैटीट्यूट दे सकता हूं। सवाल तो यह है कि अगर पास हो जाय तभी उस पर विचार हो सकता है और तभी उसका गवर्नमेंट के ऊपर कोई असर हो सकता है या उसी समय यह कह सकते हैं कि गवर्नमेंट हार गयी।

श्री राजनारायण--यह तो पास हो सकता है। अगर कोई आदमी, अध्यक्ष महोदय, अन्न नहीं पाता तो वह परेशान हो जाता है.....

श्री अध्यक्ष--यहां सब कहने के लिये स्वतंत्र हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--मैं एक सवाल पूंछना चाहता हूं जिस वक्त हम कोई सवाल पूछते हैं या एडजर्नमोशन लाते हैं तो उसको मूव करते वक्त हमारे दिमाग में क्या है और हमारे दिल में क्या है, क्या यह स्पीकर के लिये फैसला देते वक्त या देने के लिये जानना जरूरी है?

श्री अध्यक्ष--नियम में यह दिया हुआ है कोई कारण न बताते हुए भी अध्यक्ष इजाजत नहीं देना चाहे तो न दे। लेकिन मैं यह उचित समझता हूं कि जब कोई प्रश्न कोई माननीय सदस्य यहां पेश करते हैं तो कभी कभी उसके बारे में सफाई पहले ले लूं जिसमें निर्णय करने में मुझे सहारा मिले और वह भी समझ जांय कि जो मैंने निर्णय दिया वह उचित दिया, न समझें तो इसमें लाचारी है लेकिन मेरा यह प्रयत्न रहेगा और मैं यह चाहता हूं कि वह इस बात को समझ लें कि यहां की पद्धति क्या है। इस तरह से कभी कभी कार्यवाही होने से बात ठीक समझ में भी आती है, नहीं तो आइन्दा मुसीबत मुझे और सदन को ही उठानी पड़ेगी। अगर समझ में बात न आये तो आग्रह करना सदस्य उचित भी समझ सकते हैं। इसलिये जिद के रास्ते को बन्द कर देना चाहिये। दिमाग में उचित तरीके को पहुंचा देना चाहिये। इसलिये मैं ऐसा करता हूं।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन यह है कि हम यह देख रहे हैं अब कि को जब से असेम्बली का चुनाव हुआ और विरोधी दल के सदस्य यहां आये प्रति दिन एडजर्नमेंट मोशन यहां पर रखे जाते हैं और यह भी अनुभव हुआ कि कि ऐक्सेप्ट भी नहीं किये जाते। तो मेरा निवेदन यह है कि कुछ ऐसी व्यवस्था भी की जाय कि उन लोगों को समझाया जाय कि कौन विषय हैं जिन पर.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप यह प्रयत्न नहीं करेंगे कि अध्यक्ष को आप यह समझायें कि वह सदस्यों को इस तरह समझाये।

विधान सभा से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री सुल्तान आलम खां का प्रार्थना-पत्र

श्री अध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १९१ (२) के अन्तर्गत विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री सुल्तान आलम खां के प्रार्थना-पत्र पर विचार होगा। प्रार्थना-पत्र कार्य सूची की नत्था (ख) में छपा है।

इस बैठक की जो सिटिंग है, इस सत्र के आखिर तक उनको यह इजाजत दी जाय। अब यह राय सबकी हो तो मैं समझता हूं कि यह स्वीकार कर लिया जाय।

(प्रार्थनापत्र सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

‡उत्तर प्रदेश कृषि-आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५४

*खण्ड ४ (क्रमागत)

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय रतन लाल जी ने मेरे विरोध में जो भाषण दिया था, उसके सम्बन्ध में कुछ कह रहा था। उसके आगे

‡प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।
*३० अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।
कार्यवाही में छापा नहीं गया।
‡कार्यवाही में छापा नहीं गया।

मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि जमींदारी विनाश के बाद खाते छोटे हो गये। लेकिन जहां तक मैंने देखा और मुझे मालूम है उसके बाद छोटे खाते नहीं हुए बल्कि अधिक बढ़ गये हैं। केवल भूतपूर्व जमीदारों के ही नहीं हुए हैं बल्कि उनके जो भाई भतीजे थे, उनके दोस्त थे, उनके संबंधियों के खाते बढ़ गये हैं। इसलिये यह कहना कि खाते बढ़े नहीं हैं, बहुत ही अनुचित है और इसके अलावा जो बड़े बड़े कैपिलिस्ट हैं और जो जमींदार हैं उनको गवर्नमेन्ट ने खुद ही बड़े बड़े फ़ार्म के पट्टे कर दिये हैं जो सैकड़ों एकड़ के हैं। अध्यक्ष महोदय, जो मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने यह भी कहा था कि ५२ लाख किसान २५ एकड़ वाले हैं और इसके पूर्व माननीय मंत्री जी ने कहा था कि ३० एकड़ वाले किसान जब इसके पहले ३,००० रुपये पर टैक्स लगान लगता था तो साढ़े तेरह हजार थे और जब ४२०० टैक्स की हद कर दी गयी तो बताया कि कुल ७ हजार किसान ऐसे रह गये जिन पर इसका असर पड़ेगा। तो मैं नहीं समझ सका कि आखिर उन्होंने यह कैसे कह दिया कि उसका असर किसानों पर पड़ेगा। किसान जो ९० तथा ९५ प्रतिशत हैं उन पर इस कारण से असर नहीं पड़ता है कि जो मैंने २० गुना रखा है उससे वे मुक्त हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि छोटे-छोटे किसान मर जायेंगे। अगर यह बात कोई किसान कहता तब भी गनीमत थी। छोटे-छोटे किसान एक बीघे वाले, दो बीघे वाले और २५ एकड़ वाले कहां मर जायेंगे जब कि ३० एकड़ वालों तक आंच नहीं आने की। माननीय सदस्य के बारे में मुझे पता नहीं है कि वह विरोध के लिये विरोध किया करते हैं या उनकी बातों में कुछ सार होता है, मैं यह नहीं समझ सका हूं। जिन किसानों की आमदनी ४२०० रुपये है वह हमारे जैन साहब की दृष्टि में छोटे किसान हैं तब तो बहुत अच्छा है। उधर उनका विचार यह है और यह हो जाय कि भारत के प्रत्येक छोटे से छोटे किसान की सालाना आमदनी ४२०० रुपये हो जाय तो स्वर्ग आने में देर नहीं लगेगी और यहां पर दूध दही की नदियां बहेंगी और स्वराज शब्द पूर्णतया साबित हो जायगा।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से बड़े-बड़े किसानों की बाबत मैं कहूंगा कि उनको किसानों में कैपीटेलिस्ट्स कहा जायगा और उनको किसानों की आड़ में उनके ऊपर जो टैक्स लग रहे हैं छिपने का मौका न लगेगा और यह टैक्स का रुपया सार्वजनिक हित में उपयोगी होता, उससे उनको बचाया जाना किसानों के लिये बहुत बुरी बात होगी और इस प्रदेश की जनता के लिये भी, मैं अधिक क्या कहूं जब कि माननीय सदस्य को यह भी मालूम नहीं है कि मैं किसी दल के दलदल में नहीं फंसा हूं बल्कि स्वतंत्र हूं तो मैं उनकी दलील का क्या उत्तर दूं। श्री अवधेश प्रताप सिंह जी ने कहा था कि मुझे समझायें कि कैसे जमींदारी नहीं टूटी। यह बात मेरे समझने की नहीं है बल्कि इस प्रदेश की जनता को समझाने की बात है। मैं मानता हूं कि जमींदारी टूट गई। आन पेपर बट नाट इन प्रैक्टिस (केवल कागज़ पर, कार्यरूप से नहीं) मैं मान लूं कि जमींदारी टूट गयी और जो जमींदार ५० या ५५ प्रतिशत खुद खा लेते थे और वह अब सरकार को मिलने लगा है। क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि जमीदारियों के टूटने से यहां के गरीब किसानों को क्या लाभ हुआ है। इसके बजाय जमींदारी टूटने से उनको यह लाभ हुआ कि जब जमींदारी थी तो उनको जमीन की चिन्ता नहीं थी लेकिन जब इनका विनाश हो गया तो परती जमीन में अपने भाई, भतीजे, स्त्री और कुटुम्बी लोगों के नाम और अपने यहां के जो गुंडे हैं, अध्यक्ष महोदय, अगर यह नाम उपयुक्त न समझा जाय तो मैं उसको नहीं कहूंगा, उनके नाम ५०-५० एकड़ कर दी।

राजावीरेंद्र शाह (जिला जालौन)--अध्यक्ष महोदय, यह गुंडा शब्द कहां तक ठीक है?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने कहने के बाद ही उसे वापस ले लिया।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, हमारी जनता को कुछ लाभ नहीं हुआ। मैं तो कहूंगा कि उनका और उनके नौकर चाकरों के अत्याचार दिन दूने रात चौगुने सुरसा

[श्री जोरावर वर्मा]

की तरह बढ़ गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है बल्कि इसके प्रमाण में मैं माननीय देवदत्त जी ने जो अपना चौतीसवां प्रश्न किया था उसको पढ़ना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि "क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि उन्नाव जिला अंतर्गत ग्राम ताजकपुर और केदारखेरा (तहसील पुरवा थाना बीहर) में १३५९ फसली के खसरा और खतौनी में ६४ फसली काश्तकारों के नाम की जगह पुराने जमींदार श्री रविशरण सिंह का नाम इन्दराज पाया गया"।

श्री अध्यक्ष--यह असंगत हो रहा है, जमींदारी का प्रश्न इस विषय में नहीं उठता।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा था कि जमींदारी टूटने से....

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न आप के सामने नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता था कि यह पता लग जाय कि भूतपूर्व जमींदार अब भी अत्याचार कायम किये हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, जब जमींदारी अबालिशन ऐक्ट पास हुआ तब जो संशोधन आया तो हमारे अवधेश प्रताप सिंह जी और जो और लोग थे वह इतने जोरों से चिल्लायें और दुःख प्रकट किया कि और तरह तरह के जमींदारों ने दुखड़े रोये।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह विषय से बिलकुल असंगत है। इसलिये कि किसी ने कोई एक असंगत बात कह दी, यदि आप ज्यादा असंगत बात करें, तो यह तो यह उचित नहीं हो सकता। आप के सामने इनकम टैक्स का प्रश्न है, उसी के संबंध में आप बात करें।

श्री जोरावर वर्मा--मेरे विरोध में जो बातें कही गयीं उनका जवाब तो मुझे देना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अगर कोई असंगत बात कही गयी तो उसके सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना काफी है कि वह असंगत है। यह जरुरत नहीं है कि आप कि आप इतिहास में चले जायं जमींदारों के।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, कहने का तात्पर्य यह है कि वह जो तरह तरह का रोना रोते हैं या रोया करते हैं तो उसमें कोई तथ्य नहीं है बनावटी आंसू (crocodile tear) की भांति है। उनकी जो यह नीति है कि हमारे ऊपर वाले जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं उन पर टैक्स न लगाया जाय तो मैं समझता हूं कि यह सरकार के साथ और यहां के गरीब जनता के साथ एक बहुत बुरा बर्ताव होगा। क्योंकि जो बड़े बड़े जमींदार तबके के काश्तकार हैं, मैं उनके वास्ते समझता हूं कि जो २० गुना रखा गया है कि टैक्स लगाया जाय ऐग्रिकल्चरल इनकम पर, यह उचित ही है। क्योंकि इस प्रकार से जो लगान आयेगा वह हमारी सरकार में जायगा और सरकार उससे सार्वजनिक हित के कार्य करेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो एवरेज ढंग से ४२०० रुपया इनकम रख दी गयी है उस से ऊपर जिनकी आमदनी है, उनके ऊपर अधिक से अधिक टैक्स लगाया जाय ताकि हमारी जो पंचवर्षीय योजना और डेवलपमेंट की स्कीम हैं उनमें अच्छा सहयोग मिले।

उन्होंने यह भी कहा था कि इस प्रकार के जो संशोधन हैं उनमें उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखा जाता। तो मैं यह कहूंगा कि उनके कथनानुसार यह बात बहुत उचित है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि वास्तव में जिन्हें उचित अनुचित का ध्यान नहीं और जिन्होंने अनुचित को अनुचित और उचित को अनुचित समझा हो, मेरे इस अनुचित का निर्णय ही कैसे दे सकते हैं?

माननीय मौर्य जी ने उत्तर में केवल यह कह दिया कि मैं पिछली बार उत्तर दे चुका। संशोधन साढ़े सात और २० गुने के सम्बन्ध में थे। मैं नहीं समझ सका कि माननीय सचिव ने साढ़े सात गुना और २० गुना को एक ही दृष्टि से क्यों देखा। अध्यक्ष महोदय! साढ़े सात गुना से साढ़े बारह गुना कर दिया गया यह मेरी समझ में बात नहीं आयी और न इसके विषय में कुछ समझाया गया। जब मैंने संशोधन रखा था कि ४२०० की आमदनी की जगह ३६०० रख दी जाय और उसके ऊपर वालों पर टैक्स लगे तो कहा गया कि चूंकि इनकमटैक्स की ४२०० रुपये हद फिक्स कर दी गयी है इसलिये उसी के अनुसार यहां भी ४२०० रुपया रखी गयी है। तो क्या मैं माननीय सचिव से पूंछ सकता हूं कि यह जो साढ़े सात के बजाय साढ़े बारह गुना रखा गया है, यह क्यों रखा गया है? अगर साढ़े सात के बजाय साढ़े बारह गुना रखा जा सकता है तो बीस गुना क्यों नहीं रखा जा सकता? तो मैं माननीय सचिव से प्रार्थना करूंगा कि मेरे संशोधन को मान लेना ही उचित है। इससे एक बराबरी आयेगी और जो लोग बेकार जमीन लिये हुए हैं, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं वह अवश्य जनता को मिलेगी और उपज बढ़ेगी, हमारे प्रान्त और देश को अन्न मिलेगा और इसमें सब का हित होगा।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे मित्र माननीय जोरावर वर्मा जी ने एक भी दलील इस बात को साबित करने के लिये दी होती कि साढ़े बारह गुने से बीस गुना किस आधार पर कर दिया जाय तो मैं जरूर उनकी बातों पर गौर करता। लेकिन बजाय इस बात को साबित करने के, उन्होंने काफी अधिक समय इस भवन का दूसरी बहुत सी असंगत बातों में लिया और जमींदारों ने क्या किया और जमींदारों ने किस तरह परती वगैरा का इन्तजाम करके रुपया कमाया, इन सब बातों पर अपना अधिक समय लगाया जिनका इस कृषि आयकर से कोई भी सम्बन्ध नहीं बैठता है। यह कृषि आयकर पर ही कर लगाया है और मैं आप के द्वारा उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि आय कर कितना होता है इसका ही मल्टिपिल रखा गया है। अगर वे यह बात साबित कर दें कि कृषि आय सर्किल रेट के बीस गुना तक होती है, कहीं का भी वे उदाहरण देते, तो मैं समझता कि उनकी बातों में कोई तत्व है। लेकिन ऐसी बात उन्होंने नहीं कही। इसलिये मैं इस भवन का कोई अधिक समय लेना नहीं चाहता उनकी उन बातों के उत्तर में जो कि इससे संबंधित नहीं हैं। मैंने केवल यह कहा था कि जब साढ़े बारह गुना के बजाय साढ़े सात गुना करने का संशोधन आया था तो उस समय इस संबंध में काफी वाद विवाद होकर के यह देखा गया कि साढ़े बारह गुना उपयुक्त है और जो दलीलें दी गयीं उनमें यह कहना कि बीस गुना की बाबत कोई दलील नहीं दी गयी थी तो मैं आप के द्वारा यह निवेदन करूंगा कि बीस गुना सर्किल रेट का आज कोई भूतपूर्व जमींदार हो उसका फार्म है, चाहे कि और का फार्म है बीस गुना बहुत अधिक है। इतनी पैदावार हमारे देश में नहीं है। इतना कृषिआयकर मुकर्रर कर देना जो कि वस्तु स्थिति न हो यह अन्याय होगा और यह सरकार किसी के ऊपर अन्याय करने के लिये तैयार नहीं है। जो मुनासिब है वही हम करना चाहते हैं। हमने कल यह कह दिया कि हमारी यह मंशा नहीं है कि हम मल्टिपिल इतना बढ़ा दें कि वह ख्वामख्वाह उसको छोड़ने के लिये मजबूर हो जायं या उनकी सामर्थ्य के बाहर हो जाय। इस विधेयक की यह भावना नहीं कि मल्टिपिल बढ़ा कर वह इस परिस्थिति में डाल दिये जायं कि वह दे ही न पायें। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि भवन इसको अस्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) में प्रस्तावित खंड (क) की पंक्ति ४ में "१२-१/२" के स्थान पर "२०" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फ़ैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं ---

खंड ४ के उपखंड (२) में प्रस्तावित खंड (क) के स्पष्टीकरण की पंक्ति २ व ३ में से शब्द "गांव की सबसे अच्छी श्रेणी की भूमि के" निकाल दिये जायं।

स्पष्टीकरण पढ़ कर मैं सुना रहा हूं। "इस धारा में लगान ऐसी धनराशि समझी जायगी जो फल के बागों तथा बागों की दशा में गांव की सब से अच्छी श्रेणी की भूमि "

इसको मैं यह कहता हूं कि "गांव के सब से अच्छी श्रेणी की भूमि के " निकाल दिया जाय। उसका अर्थ यह होगा कि "अन्य दशाओं में उसी श्रेणी की भूमि के मौरूसी काश्तकारों पर लागू लगान की नवीनतम स्वीकृत दरों के अनुसार लगायी जाय।"

श्रीमन्, मेरे संशोधन का अभिप्राय यह है कि जहां पर बागों और फलदार बागों की आय का निर्धारण होना है वह गांव की सबसे अच्छी भूमि को एक बेसिस न माना जाय। बल्कि जैसा कि और भी जमीनों के लिये जो सर्किल रेट है वह माना जाता है आधार, उसी तरह से इसका भी माना जाय। श्रीमन्, इस विधेयक में जो एक विशेषता है कि वह यह है जितनी आय का निर्धारण होता है इस विधेयक के अधीन और सब चीजों के लिये कहते हैं कि लगान वह धनराशि मानी जायगी जो कि सर्किल रेट है और नवीनतम दर जो स्वीकृत करने के बाद लगायी जाय वही सर्किल रेट माना जाय। श्रीमन्, मुझे इस पर यह अर्ज करना है कि जहां तक फलों के बागों का प्रश्न है उसके विषय में आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि आप यह भलीभांति जानते होंगे कि हर साल हर बाग में फल नहीं आते हैं और अगर आते भी हैं तो हर वृक्ष में नहीं आते। एक ही बाग में अनेक तरह के वृक्ष हो सकते हैं। उनमें से बहुत से वृक्ष ऐसे हो सकते हैं जिनमें कोई फल न आयें। फिर बागों में भी अन्तर हो सकता है। बहुत से जिलों में फलों की अच्छी उपज हो सकती है। पहाड़ों में प्लेन्स के मुकाबले में बहुत से ऐसे फल हैं जो ज्यादा निकदार में उत्पन्न होते हैं और पहाड़ों पर ही हो सकते हैं।

अतः इन सब कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए भी एक कठिनाई माननीय सचिव के सामने रखना चाहता हूं और वह यह है कि आम के वृक्ष को ले लीजिये। उसका जीवन ३० वर्ष से ले कर १०० वर्ष तक का होता है। जब लगभग ५० वर्ष का हो जाता है तब उसमें मेच्योरिटी आती है। ६, ७ साल तक तो फल भी नहीं आ पाते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए जो विशेषता उसमें रक्खी जा रही है वह यह कि जो गांव की सबसे अच्छी भूमि हो और प्रायः सबसे अच्छी श्रेणी की भूमि वही होती है जिसे हमारे यहां कहा जाता है "गोयंड अव्वल", जो गांव से सबसे क़रीब होती है। उस गोयंड अव्वल का लगान लगाया जाता है। तो मैं समझता हूं कि यह दिक्क़त तलब बात हो जायगी। श्रीमन्, आप के द्वारा इस आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके पूर्व बागों पर इस प्रदेश में कोई भी लगान नहीं था। भूतपूर्व जमींदारों को इसके पूर्व अपने बागों पर एक छदाम भी लगान का नहीं देना पड़ता था। जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफार्म ऐक्ट के मातहत अब उन पर लगान लगा दिया गया, साथ ही साथ ऐग्रिकल्चरल इनकम टैक्स भी लगाया गया और फिर मल्टिपिल में भी वृद्धि कर दी गयी और उसका आधार माना जायगा जो सबसे अच्छी जमीन हो, उस पर जो लगान लगता हो उसके मुताबिक, नकि सर्किल रेट के मुताबिक। तब उसकी आय निकाली जायगी। इन दिक्क़तों को देखते हुए श्रीमन् क्या माननीय सचिव उसे उचित समझते हैं कि जो दर लगाये वह वह हो जो कि गोयंड अव्वल का लगान है। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि भविष्य में चल कर परिस्थिति यह होगी कि बाग जितने हैं उनको या तो बिल्कुल छोड़ दिया जायगा या लोगों को पंचायतों से या जिलाधीशों से काटने की आज्ञा मिल गयी तो लोग बाग काट डालेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी तरफ हमारे प्रदेश के राज्यपाल जिनको विशेषरूप से वृक्षों के लगाने में प्रेम हो, जहां पर नियोजन समितियां जिनों में मुख्य मंत्री से ले कर हर मंत्री तक और हर कर्मचारी इस प्रदेश का जुलाई में एक सप्ताह तो सप्ताह कोई काम न करते हों। वृक्षारोपण के लिये सब काम छोड़ कर यह काम किया जाता है। तो फिर समझ में नहीं आता कि यह फाइव ईयर प्लान जिसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है और उसका यह आधार है उसको ताक में रखने पर क्यों तुले हुए हैं। एक तरफ तो आप वृक्षारोपण करते हैं और दूसरी तरफ जिनके पास बागात मौजूद हैं उनको इस बात के लिये विवश करते हैं कि उनको बेच डालें। यह एक मानव स्वभाव होता है कि जिसके लिये कुछ नहीं देना पड़ता तो उसको वह अपने पास रखने की कोशिश करता है। उसके लिये आज तक लगान नहीं देना पड़ा। अब उसके लिये लगान लगाने का इन्तजाम किया जा रहा है और उसके लिये जो लगान माना जायगा वह जो सब से अच्छी जमीन होगी उसके बराबर लगान माना जायगा कि उसको देख कर बागात का लगान निर्धारित किया जाय। यह एक ऐसी परिस्थिति है कि जिसमें आप भेदभाव करने जा रहे हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस प्रदेश का प्रश्न है हमने अपने देश के लिये जो संविधान बनाया है उसमें हमने कनाडा के संविधान से आर्टिकल १४ को लिया है जिसमें कहा गया है कि "देयर शैल बी इक्वैलिटी बिफोर ला" हमको यह नहीं करना चाहिये कि जिससे भेद भाव पैदा हो और जहां तक हो सके भेदभाव कम से कम किया जाय। क्लासिफिकेशन को किसी सीमा तक उचित माना जा सकता है। १०, २० बार नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में अब यह साफ स्पष्ट हो चुका है कि क्लासिफिकेशन को उचित नहीं माना जा सकता है। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर इसको उचित समझा गया हो? आर्टिकिल १४ में इस बात को साफ कर दिया गया है। भेदभाव का ध्यान न रखने से भविष्य में हानि पहुंच सकती है। यह तो साधारण सी बात है जिसके ऊपर आप ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। यह बात तो इमर्जेन्सी में हुआ करती है लेकिन यह समझ में नहीं आया कि आप के लिये कौन सी इमर्जेन्सी आगयी है और कौन सा उसके लिये कारण है। जो लगान सरकार ले रही है और अच्छी जमीन से ले रही है उसके बराबर गांव के जो बाग हैं उनका लगान भी लिया जाय चाहे वह बाग ऊसर में लगे हों या बंजर में लगे हों। जो गांव की अच्छी जमीन का लगान होगा वही बागात का लगान माना जायगा। यह ऐसी चीज है जो स्वीकार करने के लायक नहीं हो सकती है। मैं आपके द्वारा माननीय सचिव से अनुरोध करूंगा कि वह हमारी बात को भी सुनने की कृपा किया करें और अन्य सदस्यों से उस समय बात न किया करें तो बड़ी कृपा हो। वैसे भी वह मेरी बातों को अनुसुनी कर देते हैं जिससे उनके ऊपर कोई असर न हो ... ...

श्री अध्यक्ष--मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह बातें न करें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--श्रीमन्, मैं नम्र निवेदन कर चुका हूं कि माननीय सचिव को हमारी बातों के समझने से मतलब नहीं है और बूझने से मतलब नहीं है। वह तो एक चीज तय करके आये हैं और सीख कर आये हैं कि यहां पर "नहीं" कह दिया जाय। "नहीं" करना उनका काम है। यही उनको सिखा कर यहां पर भेजा गया है और उसी चीज को दिमाग में रख कर वे विचार करते हैं श्रीमन् मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जब परिस्थिति में इतना परिवर्तन हो गया तो सरकार को आज यह समझना चाहिये कि वहां की भूमि के लिये भी वही सर्किल रेट होना चाहिये जो और खेतों का है। मैं कहता हूं कि एक अवस्था थी जब कि बहुत से बागात ऊसर और बंजर भूमि को किसी न किसी प्रकार से काम में लाने के लिये लगाये जाते थे। लखनऊ और मलीहाबाद के बागात की बात ही दूसरी है यहां तो वह एक तरह का व्यवसाय ही माना जाता है लेकिन इस प्रदेश के पूर्वी जिलों में जो बागात लगाये जाते हैं वह इसलिये लगाये जाते हैं कि कोई यात्री आये उनके फल खा ले, पक्षी उनके फल खायें तथा दूसरे और लोग भी जो चाहें उससे लाभ उठायें। देहातों में तुखमी आम ही सब

[श्री अवधेश प्रतापसिंह]

जगह नजर आता है चाहे जो उसकी पत्ती ले सकता है, उसके कैरी सुखा सकता है, चटनी डाल सकता है, अचार डाल सकता है और खाने के लिये भी ले जा सकता है। इन बागात का यह कभी भी उद्देश्य नहीं था कि कोई लाभ उठाया जाय। ये केवल धर्मार्थ और पुण्य के लिये ही हुआ करते थे। इस पर भी श्रीमन्, अंधेर यह है कि एक शख्स पर तो लगान लगाया गया है और उसी के बराबर दूसरे पर लगान नहीं लगाया गया। आर्टिकिल १४ के रहते हुए यह भेद भाव भी मुनासिब नहीं है। फिर आम से कोई लाभ नहीं उठाया जाता है। देहातों में आम बेचना पाप कर्म समझते हैं। अब भी लोग उपवास करना पसंद करेंगे लेकिन फल बिक्री करना पसंद नहीं करेंगे। श्रीमन्, अगर सचिव महोदय, जौनपुर के रहने वाले न होते, किसी दूसरे स्थान के रहने वाले होते तब तो क्षम्य भी हो सकता था लेकिन जब वे जौनपुर में ही रहते हैं तो फिर मैं आप के जरिये से पूछना चाहता हूं कि देहात में कितने ऐसे लोग हैं जो तुख्मी आमों से फायदा उठा रहे हैं। श्रीमन्, यह व्यवसाय लखनऊ के आस पास तक ही सीमित है और वह भी कलमी आमों तक। चाहे कोई भूतपूर्व जमींदार कितना ही अन्यायी और अत्याचारी क्यों न रहा हो उसने इतना ध्यान अवश्य रक्खा है कि इन बागात के जरिये से वह जितनी भी जन सेवा कर सका है, वह की है और वह अपने इस कर्तव्य का सहर्ष पालन करता रहा है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आर्टिकिल १४ और विधान की बात कही जिसकी दुहाई वे इस सदन में लगभग दर्जनों बार और भी दे चुके हैं तथा उसके द्वारा भेद भाव की बात कह चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इतना भेद भाव तो किसी भी देश में नहीं हुआ करता है। लेकिन आपके द्वारा क्या मैं उनको यह भी याद दिला दूं कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं और जिन देशों की तरफ वे इशारा कर रहे थे विशेषतौर पर वे भी देश हैं कि यहां के नागरिक सरकार को यह सूचना दे दिया करते हैं कि उनकी इतनी आमदनी है और जिस हिसाब से राज्य ने टैक्स लगाने के लिये निश्चित किया है, सरकार उन से वसूल कर लिया करे। इस मूल सिद्धांत को देखने के बाद जब हम इस संशोधन को देखते हैं तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। ताज्जुब इस बात के लिये होता है कि यह संशोधन उस कसौटी पर नहीं उतरता है। यह बात अपनी जगह पर सत्य है, मेरे मित्र माननीय अवधेश प्रताप सिंह भी मानेंगे, मैं उन थोड़े से आदमियों को छोड़ देता हूं जो मुकमिकन है फैजाबाद या अयोध्या के निकट रहने के कारण इतने पुण्यात्मा हों कि फलों की बिक्री आज भी न करते हों लेकिन जहां तक और जिलों का संबंध है, मैं अपने जिले की बात जानता हूं कि थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी तादाद में, हजारों में, चाहे वे पुराने जमींदार हों या नये जमींदार हों या कोई जमींदार न हो, आज बागों से आमदनी की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि जिन जमीनों में वे बाग लगे हैं वे जमीने अच्छी नहीं हैं। हमारे यहां गंगा के किनारे की जो जमीन है, वे बिल्कुल कछार की भी नहीं हैं उनमें पेड़ों को लगा कर उन बागों से हजारों रुपये की आमदनी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आज तो उचित यह होता कि माननीय सदस्य कम से कम खड़े हो कर सरकार को इस बात के लिये बधाई देते कि उनके मामले में अगर कहीं भी सब से ज्यादा संख्या में वृद्धि की गयी है तो वह इस विषय में वृद्धि की गयी है। मैं तो इसको पसन्द करता। यह निश्चित नहीं है कि उसका गुणांक क्या होगा लेकिन जहां तक अन्दाजा मिला है, १२ से बहुत कम होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो यह बात भी अपनी जगह पर वास्तविकता है। अध्यक्ष महोदय, कि आज जिनके पास खेती है और काफी तादाद में खेती है और जमींदारी टूटने के बाद यह कोई अनुचित नहीं है, उचित ही है कि वे अपना कोई रोजगार शुरू करें। उनका रुझान जो पेड़ों के लगाने की तरफ है और पेड़ लगा कर के उससे आमदनी करने की बात है चूंकि अंग्रेजों के वक्त अंग्रेज सरकार ने अपने लाड़लों के बागों की मालगुजारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माफ कर दी थी, उनकी वह पुरानी मनोवृत्ति जो गोद में खिलाने वाली या उनसे बेजा तरीके से फायदा उठाने वाली और उनकी मुहब्बत उनकी दोस्ती और उनके प्रेम से लाड़ले बन कर समाज के ऊपर भार और बोझ बनने की मनोवृत्ति, इस आजाद हिन्दुस्तान में उस मनोवृत्ति को फिर से वापस लाना और सोचना यह किसी प्रकार से उचित नहीं है।

तो जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा कि आज देश के अच्छे नागरिक वे हैं जो अपनी आमदनी की पूरी इत्तिला सरकार को कर दें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि अगर सरकार को किसी तरह से राजी कर लिया जाय कि वह इसको हटा ले और इस चीज के बाग के मालिकों के ऊपर ही छोड़ दिया जाय कि वे इस बात की इत्तिला कि उनको बागों से कितनी आमदनी होती है सरकार को दे दें जिससे उनके ऊपर टैक्स लगाया जाय, क्या माननीय सदस्य इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि जो लोग इस प्रकार का रोजगार कर रहे हैं उनमें से कितने परसेंट आदमी ऐसे निकलेंगे जो सरकार को इत्तला दे देंगे कि हमको १०–२० या ५० हजार की आमदनी हुई है और इस पर टैक्स लगा दिया जाय। आज यह भी माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि देश के अन्दर अभी बाग लगाने की बहुत गुंजायश है। आंकड़ों को देखने के बाद मालूम होता है कि अभी काफी दिनों तक बाग लगाते रहने पर भी यहां अनएकनामिक साबित नहीं होंगे। ऐसी अवस्था में तो उन्हें इस बात के लिये सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिये और मैं उनको यह भी बता दूं कि पिछले दिनों में जिलों के अधिकारी कृषि आय कर के लिये जब बागों की आमदनी आंकते थे तो वे एक एक पेड़ के हिसाब से लगाते थे, चाहे बाग किसी साल फले या न फले लेकिन वह हिसाब से हर साल आमदनी आंक लेते थे, उनको भी उसमें दिक्कत थी कि बाग के दाम किस तरह से आंकें, पर वह दस पांच रुपया जैसे चाहे पेड़ों की आमदनी आंक दिया करते थे। एक बीघे में जहां तक कलमी आमों का सम्बन्ध है ४५ से ५० तक पेड़ होते हैं और उस तरह से जब आमदनी लगाई जाती थी तो बागों वाले चीख पड़ते थे। अब सरकार ने उनकी उस दिक्कत को समझा लेकिन इस देश में एक बड़ी दिक्कत यह है कि जिसके लिये कुछ करो वह भी चिल्लाता है और जिस के लिये न करो, जो उसके खिलाफ है वह तो चिल्लाता ही है, जिसका फायदा हो वह भी शोर मचाता है कि इससे तो वह मर जायंगे। मैं समझता हूं कि पुराने जमींदार जो बाग का रोजगार कर रहे हैं उनको इस कृषि आय-कर के संशोधन से जितना लाभ हुआ है उतना लाभ किसी और कानून से उनको नहीं हुआ होगा।

मैं अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा माननीय मित्र का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह वास्तविकता की ओर देखें और जो सही बात हो उसको समझने की कोशिश करें और सही नतीजे पर आयें, कम से कम अगर कोई चीज उनके फायदे के लिये की जाय तो भगवान के लिये उसको तो समझ लिया करें और उसके बाद अगर सरकार का ध्यान न पहुंचे और वह न सुने तभी कहा करें। कम से कम यहां इस समय यह तो न कहें कि यह काम उनके खिलाफ किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि बागों से काफी लाभ होता है। बाग आज देहात में बहुत बढ़ रहे हैं और इस कर के लगने से भी उन की बढ़ोत्तरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ताज्जुब होता है जब कहा जाता है कि इससे कोहराम मच जायगा और लोग बागों को काट डालेंगे और पेड़ों को गिरा देंगे। वह किस ख्याल से काटेंगे दो ही कारणों से उनको काटा जा सकता है या तो वह उस जमीन में काश्त करेंगे या खाली छोड़ देंगे। जमीन तो वह खराब ही है उस में काश्त करने से कुछ लाभ नहीं होगा और काट कर खाली छोड़ने में तो कोई अक्लमन्दी हो ही नहीं सकती। श्रीमन्, आप के द्वारा बड़े जोर दार शब्दों में इसका खंडन करता हूं और मैं समझता हूं कि यह शुबहा बिल्कुल निर्मूल है। अगर दो चार मल्टिपिल लग जायगा अच्छी श्रेणी के हिसाब से बागों के रोजगार वालों पर या बागों की जमीन पर कोई उसका बुरा असर नहीं पड़ेगा। अतः यह शुबहा करना सही नहीं है। इसलिये यह संशोधन बिलकुल निर्मूल है। पहले कुछ रिआयत थी। यही है कि अंग्रेजों के जमाने में बागों की जमीन के कोई दाम नहीं रखे गये थे। अंग्रेज, चले

[श्री रामनरेश शुक्ल]

गये, उनकी बातें चलीं गईं, उनके रास्ते चले गये । इस राज्य सरकार की मनोवृत्ति अब दूसरी दिशा की तरफ है। यहां पर कोई भी अब मुफ्तखोरी करके खाने के लिये नहीं बैठ सकता। हमको, आपको, सबको मेहनत करनी है और मेहनत करके जो कुछ पैदा हो अगर उसमें ४२ सो से ज्यादा है तो हमें उसमें से सरकार को देना है। आज यह इस देश की मनोवृत्ति है। जो संविधान की आर्टिकिल १४ है उसमें इसी बात के लिये लिखा गया है कि कोई भेदभाव नहीं रखा गया है और अगर संविधान के आर्टिकिल १४ की कोई भी दुहाई देता है तो उसे कभी नहीं कहना चाहिये कि उसके बाग के लिये छूट थी। वह एक बात थी, वह खत्म हो गई। अब मैं आपके द्वारा अपने मित्र से प्रार्थना करता हूं बहुत थोड़ा सा समय लगेगा इसमें कुछ है नहीं और जो पिछले दो तीन वर्षों में इसी सरकार के समय लगे थे। उस हिसाब को ले लें वह भी मल्टीपिल्स, जो भी हो वह ले लें अच्छी से अच्छी जमीन पर जो रोस्टर रेट है उससे गुणा कर लें और उसके हिसाब से जो अब लगेगा हिसाब लगा लें तो वह सही नतीजे पर आयेंगे कि इसके द्वारा उनके साथ कानूनी सहूलियत बरती जा रही है, नरमी बरती जा रही है और इसलिये बरती जा रही है कि बाग लगाने की तरफ लोगों की मनोवृत्ति बढ़े, प्रदेश में फल-फूल हों और धनधान्य बढ़े और इस देश का यह राज्य सुखी हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का जोरदार विरोध करता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी का ध्यान दो तीन बातों की ओर दिला दूं तो सम्भव है कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

पहली बात तो यह है कि बागों के बारे में सेटिलमेंट का हमेशा से अगर वह देखेंगे तो यह कायदा रहा है कि बागों का मूल्यांकन सबसे अच्छी भूमि के अनुसार ही किया जाता था। यह बहुत पहले से नियम चला आ रहा है। इसके मुताबिक जितने भी बाग हैं वह सबसे अच्छी मूल्यांकन में रखे गये हैं।

दूसरी बात यह है कि बागों के बारे में अगर वह यह समझते हैं कि एक ही मल्टीपिल सूबे भर में हो जायगा और सबसे अच्छी रेट के अनुसार हो जायगा यानी वही साढ़े १२ गुना तो यह बात नहीं है। बाग कई तरह के होते हैं, कलमी आम के बाग होते हैं, देशी आम के बाग होते हैं, अमरूद, नींबू, संतरा, केला, तरह तरह के, तो यह तो नहीं हो सकता कि हर किस्म के फलदार बाग या और तरह के बागों पर एक ही तरह का मल्टीपिल हो और यह भी नहीं हो सकता कि सारे सूबे में एक ही तरह का मल्टीपिल हो। उन्होंने स्वयं कहा कि लखनऊ में ज्यादा अच्छे किस्म के आम के दरख्त हैं तो वहां मल्टीपिल ज्यादा हो सकता है और दूसरे जिलों में जहां कि यह बात नहीं है वहां मल्टीपिल कम हो सकता है और वह निर्धारित हो रहा है। तो उसमें मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह जो मल्टीपिल है सोच समझ करके भिन्न भिन्न क़िस्म के बागों और भिन्न भिन्न जिलों और वहां के स्थानों का लिहाज करके निर्धारित किया जा रहा है और किया जायगा। इसलिये यह अंदेशा कि सबसे अच्छी भूमि के सर्किल रेट पर या लगान पर यह मल्टीपिल निर्धारित किया जायगा तो वह अंदेशा नहीं होना चाहिये क्योंकि जब हमें मल्टीपिल कम करने का अधिकार इस विधेयक के द्वारा मिल रहा है और उस मल्टीपिल को हम कम कर रहे हैं तो फिर वह सरकिल रेट कोई बहुत इम्पार्टेंट फैक्टर बागों के मूल्यांकन के लिये नहीं हो जाता। जैसा मैंने कहा वह तो एक स्पष्टीकरण इस बात का हो जाता है कि बागों का हमेशा सेटिलमेंट में यही रहा है कि गांव की जो सबसे अच्छी भूमि हो। यह दोनों बातें ऐसी हैं कि वह अगर गौर करेंगे तो शायद वह यह पूरी तरह समझ लेंगे कि इसमें किसी के प्रति कोई अन्याय नहीं हो रहा है।

दूसरी बात, उनका यह कहना है कि लोग बाग बेच डालेंगे। हमने तो इस विधेयक के द्वारा बागों के सम्बन्ध में बहुत सहूलियत पैदा की है। जो शिकायत पहले थी, हमने उसे रफा करने की कोशिश की है और जैसा मैंने कहा मल्टीपुल भी हम परिस्थिति और स्थान के हिसाब से करेंगे, तो बेचने का सवाल नहीं उठता और बेचेंगे भी क्या? अगर वह जमीन खाली हो जाती है और उसमें काश्त होने से अगर उस पर टैक्स न लगता तब तो शायद उनको कुछ आसानी होती, लेकिन टैक्स तो उस पर रहेगा ही। बागों में तो एक सुविधा उनको यह भी मिलेगी कि उनका कोई खर्च नहीं लगता फिर भी मल्टीपुल कम हो जाता है। तो ऐसी सूरत में बाग के सम्बन्ध में काफी सुविधा कर दी गयी है। इसके अलावा अगर बाग ३० एकड़ में शामिल है तो वह भी बरी है लेकिन अगर किसी के पास ३० एकड़ जमीन के बाद बाग होगा तब उस पर यह लागू होगा। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मल्टीपुल की वजह से बाग नहीं घटेंगे क्योंकि खेती करने में तो उससे भी ज्यादा हो सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि उनका संदेह निवृत हो जायगा और किसी प्रकार का उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। अगर हम एक रेट साढ़े बारह गुना कर देते तब शायद उनका संशोधन ठीक होता लेकिन जब हम मल्टीपुल को बदल रहे हैं और उसके अनुसार कर रहे हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से जो यह संशोधन पेश हुआ है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने यह संशोधन रखा है, उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक वहां का लगान रखने से नतीजा यह होगा कि लोग अपने बागीचों को कटवा डालेंगे, लेकिन जहां तक मेरा विचार है ऐसा नहीं है। क्योंकि जो बाग हैं उनमें दूसरी काश्त के मुकाबले अधिक आमदनी होती है और उन्होंने जो यह बताया कि कभी-कभी फल नहीं लगते, तो जहां कृषि होती है उसमें भी कभी-कभी यह हो जाता है। बहुत बार इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज फसलों पर भी आ जाती हैं और लोगों की फसल मारी जाती है। केवल बागों के बारे में ही यह बात नहीं है। एक बात उन्होंने पूर्वी जिलों के बारे में भी कही कि वहां कभी-कभी बाढ़ आ जाती है। तो जिस तरह से फलों के बागों को नुकसान होता है उसी तरह से फसलों को भी नुकसान होता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन उचित नहीं है। पहले यह था कि प्रति पेड़ के हिसाब से आमदनी जोड़ी जाती थी और जिसका नतीजा यह होता था कि जो फलों के बाग लगाते थे उनको बड़ा नुकसान होता था और जो लोग उनकी आय का अनुमान लगाते थे वह अक्सर बहुत लगाते थे और इस तरह से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता था, लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार जो नियत दर निश्चित की गई है वह बहुत ही अनुकूल है और इसको मान लेना अच्छा होगा। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

***श्री उम्मेद सिंह** (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सरकार की ड्यूटी यह है कि यहां के लोग और सभी किसान बाग अधिक लगायें और पेड़ लगाये जायं, बल्कि यहां तक आदेश है कि जो बड़े खेतिहर हैं अपनी आधी होल्डिंग पर बाग लगायें और दूसरी तरफ सरकार अपने इस अमेंडिंग बिल से डिसकरेज करना चाहती है। मैं समझता था कि इसको प्रोत्साहन देगी सरकार। यह दलील की बाग हमेशा अच्छी ही भूमि पर लगाये जाते हैं यह बिल्कुल गलत है, हर किसान के पास सबसे अच्छी भूमि नहीं होती और जहां कहीं भूमि प्राप्त हो या जहां सुविधा हो वहां बाग लाये जाते हैं। तो अवधेश प्रताप सिंह जी का संशोधन यह है कि जैसी भूमि हो, जिस हिसाब की भूमि पर बाग लगे हों वही हिसाब लगाया जाय और उसी पर असेस किया जाय हमारी समझ में बहुत माकूल है और मंत्री महोदय को मानना चाहिये क्योंकि और कोई अर्थ नहीं होता। आज यह विरोधात्मक भावना सरकार की है कि एक तरफ प्रोत्साहन देना कि बाग लगाये जायं और दूसरी तरफ उसको डिसकरेज करना तो यही हो सकता है कि जमींदारों का भूत सवार है। वह तो नहीं रहे लेकिन उनका भूत अब भी सताता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--अध्यक्ष महोदय, जो इस सदन के सामने माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने संशोधन उपस्थित किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने कुछ बातें इस सदन के सामने रखी थीं कि इसमें कुछ शब्द, जैसे अच्छी भूमि है, यह निकाल दिये जायं। इसके मुताल्लिक मुझको यह कहना है कि बागों का जहां तक सवाल है उसके मुताल्लिक उन्होंने यह बताया कि महुवा वगैरह के ऐसे पेड़ हैं जो कि ८, १० साल के बाद फलना शुरू होते हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि अगर बाग की डेफीनीशन पढ़ें तो मालूम हो जायगा कि कोई भी खेत हो अगर किसी तरह के पौधे या बाग लगाये जायं, जब तक कि वह कृषि योग्य रहेगा तब तक वह बाग नहीं कहलायेगा और जब कृषि के अयोग्य होगा उसी दिन बाग की परिभाषा के अन्दर आयेगा। तो जो भ्रम उनके अन्दर आया है वह छोड़ देना चाहिये।

अब एक चीज मुझे यह कहनी है कि देहात में, हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोग यह देख रहे हैं कि किसानों के दो वर्ग हैं। एक तो वह जिनके पास खेत नहीं हैं और जो हैं उनमें वह अपनी जान लड़ा देते हैं और एक बीघे में २०, २५ मन तक पैदा करने की कोशिश करते हैं। दूसरे वह हैं जिनके पास काफी जमीन हैं। वह कोशिश यह करते हैं कि उन जमीनों पर कुछ गल्ला छिड़क दें चाहे पैदा हो या न हो, सिर्फ कब्जे की वजह से वह ऐसा करते हैं और जमींदारी ऐक्ट जो बना उसमें ऐसे लोगों की मदद करने के लिये यह चीज की गई कि जो लोग शिकमी वगैरह हैं और लोगों को अपने खेत नहीं उठा सकते वह बाग लगाकर उस चीज का प्रयोग कर सकते हैं और इसलिये उन लोगों को पेड़ वगैरह लगाने के लिये प्रोत्साहन दिया गया। अब हमें यह सोचना है कि वाकई ऐसे लोग जो कि किसी गरीब आदमी को, जिनके पास खेत वगैरह नहीं हैं तो मेहनत मजदूरी करके अच्छे से अच्छा अन्न उपजा सकते हैं बाग लगा रहे हैं तो उसको टैक्स से बरी होना चाहिये या नहीं यही एक सवाल है हमारे सामने जिसको हमें सोचना है। अगर हम इस चीज को देखें कि किसान जो कमाई करेगा या मेहनत करेगा, उसमें बीज बोयेगा, उससे अन्न पैदा होगा अधिक से अधिक मात्रा में और हमारे देश में जो इस समय अन्न की कमी है उसकी पूर्ति होगी। इस तरह से हमारे देश की भलाई होगी। लेकिन ऐसे लोग जो पेड़ वगैरह लगाते हैं अगर उनको इस टैक्स से छोड़ दिया जाय तो उस भूमि से हमारे देश को कोई फायदा नहीं होगा। इसके साथ ही साथ यह भी देखा गया है और जहां तक पूर्वी जिलों की बात माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने कही तो मैं भी पूर्वी जिले का ही रहने वाला हूं, उन्होंने जो कहा कि हर साल वहां लोग बाग लगाते हैं और बेचते हैं तो मैं नहीं समझ सका कि बाग का बेचना कहां पाप है बल्कि हम यह देखते हैं कि जो लोग व्यवसाय के ख्याल से बाग लगाते हैं वह अच्छा करते हैं क्योंकि जो लोग व्यवसाय के ख्याल से बाग लगाते हैं वह लोग उसकी अच्छी तरह से देखरेख करेंगे और अच्छी से अच्छी खाद लगायेंगे ताकि उनको अच्छे से अच्छे फल मिल सकें जिससे वे उनको दूसरे देशों तथा प्रांतों में भेज सकें और अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। अगर वह इस भावना से बाग लगाते हैं या व्यवसाय करते हैं तो किसी भी तरह से कोई बुरी चीज या बुरी भावना नहीं होगी। गवर्नमेंट को भी जैसा कि इस विधेयक में आया है इन लोगों पर टैक्स लगाने की जरूरत है। अगर टैक्स लगायेंगे तो हर आदमी कोशिश करेगा कि अधिक से अधिक आमदनी की जाय जिससे वह फायदा भी उठा सकें और गवर्नमेंट का टैक्स भी अदा कर सकें। इस तरह से अगर यह चीज चलेगी तो मैं समझता हूं कि इससे देश को भी फायदा होगा और इन लोगों को भी फायदा होगा क्योंकि इनको वह मैं टेलिटी जो पेड़ काटने की है या बाग खत्म करने की है वह खत्म हो जायगी और नतीजा यह होगा जैसा कि माननीय राज्यपाल महोदय, वृक्षारोपण में प्रोत्साहन दे रहे हैं, वह भावना आगे बढ़ेगी। इस प्रकार से हमारे यहां यह चीज अधिक से अधिक उपयोगी होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब जहां तक मूल्यांकन का सवाल है श्री मौर्य जी ने अभी बतलाया था कि पहले यह देखा गया था ,दो तीन साल पहले पेड़ों की संख्या पर मूल्य होता था लेकिन इसमें हम यह देखते हैं कि जो कर्मचारी हैं जब उनको आदेश दिये जाते हैं तो गड़बड़ी कर सकते हैं और किसी पेड़ का कम मूल्य और किसी का ज्यादा लगा सकते हैं। इस तरह से जिस चीज को इस विधेयक में रखा गया है अगर वही चीज रख दी जाय तो न तो बागदार का नुकसान होगा और न गवर्नमेंट का। जहां तक छोटे-छोटे किसानों का संबंध है तो यह पहले ही कहा जा चुका है कि ३० एकड़ वाले किसानों को एक्जेम्प्ट कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि अवधेश प्रताप सिंह जी पुनः विचार करेंगे और अपने संशोधन को वापस लेने की कोशिश करेंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री अवधेश प्रताप सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन को उपस्थित करने के उपरान्त ध्यानपूर्वक पूर्व वक्ताओं के भाषण सुनता रहा और मुझे कुछ आश्चर्य होता रहा कि किस आधार पर और किस तर्क के बूते पर यह अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। माननीय रामनरेश जी शुक्ल ने यह कहा कि माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी संविधान की बात कहते हैं। श्रीमन्, संविधान की बात कहना किसी भी नागरिक के लिये न तो अन्याय है और न कोई ऐसी दोषपूर्ण बात ही है, जिस पर किसी तरह का लांछन लग सके। यह अवश्य है कि भारतीय संविधान की बात करना गुनाह है मेरे लिये तो केवल उसका एक ही कारण हो सकता है कि भारतीय संविधान बन गया, विद्यमान है, जब आवश्यकता हो तो उससे लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन समझने का प्रयास नहीं, उसमें उसके क्या सिद्धांत हैं उसमें क्या अक्षर हैं, उनसे भी उनको कोई मतलब नहीं। श्रीमन्, मैं तो उनसे केवल यह कह रहा था कि जहां तक संविधान के जो लेटर्स हैं जो अक्षर हैं, या जो उसकी स्पिरिट है, उसके पीछे क्या भावना होनी चाहिये। वह यह न समझें और संविधान पर मेरे कुछ कहने पर उन्हें इतनी शिकायत रही, लेकिन शिकायत किस बात की रही, यह न बता सके। इसलिये जब तक मैं यह नहीं समझता हूं कि सही नेचर क्या है उनकी शिकायत की, तो मैं और अधिक इस विषय पर उनसे कुछ कहना उचित नहीं समझता। वह यह भी कह चुके कि अयोध्या का रहने वाला हूं। तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं। प्रतापगढ़, श्रीमन्, मेरी जगह खजुवहा से ४४ मील की दूरी पर है। मैं परिपूर्ण रूप से उन माननीय सदस्य से परिचित हूं। वह यह कहते हैं कि अंग्रेजों की गोद से पले हुए, उनसे अनुचित लाभ उठाने वाले उनकी खुशामदें करने वाले हम रहे और उनके ऊपर ज्यादती की। लेकिन श्रीमन् प्रतापगढ़ जिले में जो सचमुच बागात से लाभ उठाने वाले हैं वह ऐसे लोग हैं जो कि इनकी गोद में पल रहे हैं और जो कि अच्छी तरह से प्रान्त के प्रत्येक निवासी को यह मालूम है कि जो इनकी खुशामद कर सकें, जो इनकी गोद में पल सकें और अत्याचार और अन्याय करके उनको प्रसन्न रख सकें, उन्हीं के पले पलाये हैं और मैं यह समझता हूं कि वह भूतपूर्व जमींदारों के लिये तब भी कलंक रहे और अब भी कलंक का टीका हैं। श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता दूं कि न मेरे पास जमीन खरीदी हुई थी, वह तो मेरे पूर्वजों के बाहुबल से आई हुई थी। मैं कोई ग्रांटी नहीं था। उनको यह समझना चाहिये कि लिगेटी और ग्रांटी में क्या भेद है? वह तो वकील हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---आप अपना व्यक्तिगत एक्सप्लेनेशन क्यों देते हैं? कोई इतिहास की बात नहीं है इसमें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--मैं इन्हीं कारणों से उनसे कह रहा हूं कि मेरे संशोधन से उसका कोई संबंध नहीं था और कोई सरोकार नहीं था। वह एक असंगत सी बात कहने के लिये उतारू हुए थे, अतः उसका तो थोड़े समय में जवाब देना मैंने उचित समझा।

श्रीमन्, मैं यह समझने के लिये जरा उनसे जानना चाहूंगा कि जब से वह घर के मालिक हुए हों, भले ही वह अपने घर के बागात से लाभ उठाते हों, लेकिन जो उनके पूर्वज रहे होंगे, क्या वे भी उनसे लाभ उठाते थे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि और यह भी जानता हूं कि उनके पूर्वज उन बागों से लाभ नहीं उठाते थे। इस सदन में आने से यदि कोई पद्धति या प्रणाली में उन्होंने कोई परिवर्तन किया हो जिससे उनको लाभ होता हो तो यह यश माननीय सदस्य को ही हो सकता है, उनके पूर्वजों को नहीं। श्रीमन्, अब वाद विवाद के लिये भले ही वह जो कुछ चाहें कह लें, लेकिन दिल से वह तसलीम करते हैं जो मैं कह चुका हूं।

उसके बाद माननीय जोरावर सिंह जी आये और मैं यह जानना चाहता था कि जब मैं बोल रहा था तो वह किस अवस्था में थे? समाधिस्थ थे या सदन की कार्यवाही पर पर कुछ ध्यान दे रहे थे। मैंने बाढ़ आ जाने, फ्लड और बाढ़ का नाम ही नहीं लिया कि बाढ़ आ जाने से कोई लाभ हो सकता है, लेकिन सिवाय इसके कि बाढ़ आने से पूर्वी हिस्से में यह हुआ और वह हुआ और फायदा उठाते थे और कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही जिस पर मैं और कोई जवाब उचित रूप से दे सकूं। सिवाय इसके कि मैं जवाब दूं तो यह भय है कि आप रोकेंगे कि आप असंगत बात क्यों कर रहे हैं? तो जब कोई माननीय सदस्य असंगत बात कह देते हैं तो उसका प्रत्युत्तर क्या मैं दे सकता हूं? इसलिये मैं वैसा ही उत्तर देने के लिये बाध्य हो जाता हूं और उसके लिये क्षमा चाहता हूं।

श्रीमन्, मौर्य साहब ने यह कहा कि मल्टिपिल, गुणांक में न्यूनता और वृद्धि करने का अधिकार सरकार ने सुरक्षित रखा है, माननीय अवधेश प्रताप सिंह को इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। श्रीमन्, उसी आधार पर जो बहस उनकी है, वही बहस मेरी भी है कि जब गुणांक का निर्धारण करना आपके हाथ में है तो इसमें कौन सी आपत्ति है कि आप सर्किल रेट न मानिये बल्कि बाग की उस भूमि को मानिये जो कि सबसे अच्छी भूमि है। यदि आप यह समझते हैं और जो दलील वह देते हैं मैं उसका स्वागत करता हूं और उसके लिये उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं। जो मुझे कहना था वह माननीय सचिव ने खुद ही कह दिया। साथ ही साथ मैं कृतघ्न होने का अभिशाप न लूंगा यदि वह यह कहते हैं और इसका विश्वास दिलाते हैं कि गुणांक निर्धारण में जितनी रिआयतें हो सकेंगी दी जायंगी तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं उसके लिये उनको बधाई देता हूं। लेकिन अगर उन्होंने यह न किया तो फल वाले बाग लगाने वालों के लिये एक ऐसा यह क़दम होगा जो कि भविष्य में चल कर हानिकर होगा।

माननीय कमला सिंह जी वकील हैं, वह मुझे डेफिनीशन बता रहे थे, यदि वह पढ़ लेते यदि वह समझ लेते। श्रीमन्, मैं उनसे कहना चाहता था कि यह कोई पीरियाडिकल फल नहीं है। नेशनल कैलेमिटीज होती हैं। ऐसी आकस्मिक विपत्तियां आ जाती हैं कि जिससे खेती को भी क्षति पहुंच सकती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं था कि कृषि पर कोई आपत्ति नहीं आ सकती मैं उसको तसलीम करता हूं। मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है। लेकिन वह केवल विरोध करने के लिये खड़े हुए थे। उनसे दलील से कोई मतलब नहीं था। सिर्फ मुझसे मतलब था। जब एक सिद्धान्त का प्रतिपादन करना है कि प्रेस में उनका नाम आना आवश्यक है। अतः उनको कुछ कहना था। उन्होंने यह कहा कि.....

श्री रामनरेश शुक्ल--मैं एक वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं। क्या कोई माननीय सदस्य किसी माननीय सदस्य के भाषण पर यह टिप्पणी कर सकते हैं कि वह महज प्रेस में नाम आ जाने के लिये भाषण देते हैं?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह अनुचित हुआ। ऐसा आक्षेप नहीं होना चाहिये।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---श्रीमन्, मैं उसे वापस लेने के लिये तैयार हूं। परन्तु मैं यह समझता था कि इसमें कोई मानहानि किसी माननीय सदस्य की नहीं होती। हजारों बार उस पक्ष से यह कहा गया है, यह विचार और भावनाएं मेरी नहीं हैं। उस तरफ से न कहा गया होता तो इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती। और जब तक सम्मानित सदन में रहूंगा तब तक कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिस पर किसी को आपत्ति हो सके। जो बातें उधर ही से कही गयीं हैं उस पर प्वाइंट आफ आर्डर उठाते शर्म नहीं लगती। उस पक्ष से जो बात कही गयी जब वही बात उनके ऊपर पड़ती है तो खलता है।

श्री अध्यक्ष---आप टोक दिया करें। मैं तो समझता हूं कि भाषणों का स्तर ऊंचा ही होना चाहिए दिन ब दिन। इसलिये उन्होंने उचित ही टोक दिया। इस प्रकार आप भी स्तर ऊंचा करने में मेरी मदद करें। जिस वक्त वह अनुचित बात कहें उस वक्त आप भी टोक दिया कीजिये।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---श्रीमान् मुझे शिरोधार्य है और इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो कुछ मैं कह गया वह उन्हीं के साथ रहने के कारण है।

श्री अध्यक्ष---आप कोई नई बात न सीख लें, पुराने अपने ढंग पर ही चलिये।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---मुझे अब अधिक कुछ नहीं कहना है और इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि वह मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) में प्रस्तावित खंड (क) के स्पष्टीकरण की पंक्ति २ व ३ में से शब्द "गांव की सब से अच्छी श्रेणी की भूमि के" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

नया खंड ४--क

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के पश्चात् निम्नलिखित खंड ४--क के रूप में बढ़ा दिया जाय :---

"४--क--मूल अधिनियम की धारा ६ के पश्चात् निम्नलिखित धारा ६--क के रूप में रख दिया जाय ---

६--क--धारा ५ या धारा ६ की उपधारा (१) में किसी बात के रहते हुए भी इमारती लकड़ी (Timber) की बिक्री से होने वाली कृषि आय की गणना पेड़ों के रख रखाव के संबंध में हुए व्यय तथा तत्संबंधी पूंजी व्यय (Capital cost) के लिये ऐसी और कटौतियां करने के पश्चात् जो नियत की जायं, धारा ६ की उपधारा (२) के खंड (ख) के अनुसार की जायगी।"

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

मेरे इस संशोधन का मतलब यह है कि जो टिम्बर के बाग होंगे या टिम्बर के जो भी दरख्त होंगे तो उनकी आय उस वक्त होगी जब कि वह काटे जायं या फरोख्त किया जायं। बीच में कोई आय ऐसी नहीं होती है जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या फलदार बाग की होती है। तो अगर ऐसी टिम्बर के मामले में विधेयक में कुछ सुधार न किया जाय तो फिर इन बागात पर भी टैक्स लगता रहेगा। तो मुनासिब यह है कि जब ऐसे दरख्तों की आय हो यानी जब वह बेचें जांय और उनका जो खर्चा हो उसको निकालकर जितनी वास्तविक उससे आमदनी हो उस आमदनी को असेस किया जाय और वही आमदनी असेसेबिल है और वही टैक्स बराबर देने का विधान रह जाता है। इसलिये यह संशोधन उनको रिलीफ देता है। जो इमारती लकड़ी को रखने वाले हैं उनको इस से सुविधा मिलेगी और उनको जो वास्तविक आय लकड़ी से होगी उस पर ही उनको टैक्स देना पड़ेगा और वह उनकी वास्तविक आमदनी होगी। मैं समझता हूं कि यह बहुत मुनासिब संशोधन है और उन लोगों को रिलीफ देता है इसलिये इसकी किसी को आपत्ति नहीं होगी। इसलिये यह संशोधन मंजूर किया जाय।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन का अभिप्राय है उसके विरुद्ध तो कुछ अधिक नहीं कहना है परन्तु आपके द्वारा मैं माननीय सचिव महोदय से यह जानना चाहूंगा कि टिम्बर की परिभाषा क्या है क्योंकि इस अधिनियम में कहीं भी टिम्बर की परिभाषा नहीं है। मिसाल के तौर पर महुआ इमारती लकड़ी भी है और फल देने वाली भी है इसलिये मैं आपके द्वारा उनसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जब तक इस अधिनियम में टिम्बर की परिभाषा न हो तब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। जब ४८ में यह अधिनियम आया था और ५३ में जब संशोधन हुआ तब तक क्या तरीका था और किस तरह से कृषि आयकर लगाया जाता था इस पर भी माननीय सचिव महोदय प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि माननीय सदस्यों को यह परिज्ञान हो सके। अतः मैं थोड़े से शब्दों में प्रार्थना करूंगा कि वे इन बातों को स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय उपाध्यक्ष महोदय इमारती लकड़ी की परिभाषा मैं समझता हूं कि देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी फल के वृक्ष हैं वे फल के वृक्षों में गिने जायेंगे लेकिन जो फल के वृक्ष नहीं हैं और जिनकी लकड़ी इमारत के काम आती वह टिम्बर है। जब बागात की आमदनी लगाने के लिये मल्टीपिल लगाया जायगा तब यह देख लिया जायगा कि फलदार वृक्ष कौन से हैं, उन पर फलदार वृक्षों का टैक्स लग जायगा और इमारती लकड़ी के काम में आने वाले दरख्तों को इमारती लकड़ी में शामिल कर लिया जायगा।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---महुए को किस श्रेणी में शामिल किया जायगा?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---जब फलदार दरख्तों को हम उनके मल्टीपिल में चेंज करेंगे तो वे दरख्त फलदार दरख्तों की श्रेणी में आ जायेंगे जो इस मल्टीपिल में नहीं लगाये जायेंगे, जो छूट जायेंगे और जो इमारत के काम में आते होंगे, वे इमारती लकड़ी की श्रेणी में शामिल कर दिये जायेंगे। तो उस समय एग्जामिन करने के बाद ही तय हो सकेगा कि कौन सा दरख्त टिम्बर में छोड़ दिया जाय और कौन सा दरख्त फलदार में रहेगा। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिये। क्योंकि जहां तक पहले की बात है टिम्बर वगैरह के दरख्त पहले भी बाग कहे जाते थे। अब तो खासतौर पर टिम्बर के दरख्त वाले टिम्बर के बाग कहे जायेंगे और जब सालाना असेसमेंट होगा तो उस वक्त जो आमदनी होगी उस वक्त असेस करके देख लिया जायगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि टिम्बर के दरख्त को छोड़ दिया जायगा, इसमें कोई शंका नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, मैं यह जानकारी माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब उन्होंने यह अमेंडमेंट रखा तो टिम्बर के लिये कुछ भी उनके मस्तिष्क में बात आयी? कुछ तो सफाई होनी चाहिये कि आखिर फलदार वृक्ष किसको किसको मानेंगे और टिम्बर दरख्त किसको किसको मानेंगे?

श्री शिवनारायण---आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर सर।

श्री उपाध्यक्ष---ये कोई भाषण नहीं कर रहे हैं

श्री राजनारायण---मैं अभी बाद में भाषण भी दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---अब आपके लिये भाषण का कोई स्थान नहीं है। जिन्होंने पेश किया था उनको मैं काल कर चुका हूं।

श्री राजनारायण---तो मुझे जरा जानकारी ही करा दें तो ठीक है क्योंकि यह बड़ा वेग है श्रीमन्।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---जो इमारती लकड़ी है जैसे बबूल, साखू, देवदार, शीशम आदि टिम्बर के अन्दर आती हैं। इमारती लकड़ी से कोई फल की आमदनी तो होती नहीं है। अब जैसा कि मैंने अर्ज किया पूरा डिटेल तो इस वक्त मेरे पास है नहीं जिसको मैं बतला सकूं, एक्जामिन करने के बाद ही यह बतलाया जा सकता है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---जब रूल्स बनें तब साफ कर दिया जाय कि कौन कौन से पेड़ इमारती हैं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ के पश्चात् निम्नलिखित खंड ४-क के रूप में बढ़ा दिया जाय---

"४-क-मूल अधिनियम की धारा ६ के पश्चात् निम्नलखित धारा ६-क के रूप में रख दिया जाय---

६-क-धारा ५ या धारा ६ की उपधारा (१) में किसी बात के रहते हुए भी इमारती लकड़ी (Timber) की बिक्री से होने वाली कृषि आय की गणना पेड़ों के रख-रखाव के संबंध में हुए व्यय तथा तत्सम्बन्धी पूंजी व्यय (Capital cost) के लिये ऐसी और कटौतियां करने के पश्चात्, जो नियत की जायं, धारा ६ की उपधारा (२) के खंड (ख) के अनुसार की जायंगी"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४-क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड ५

५---मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (३-ख) के रूप में रख दिया जाय।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९ की धारा १५ में संशोधन।

"(३-ख) उपधारा (३) के अधीन दिये जाने वाले नोटिस के साथ कर-निर्धारक अधिकारी एक विवरण भी भेजेगा, जिसमें कृषि की आय का ऐसा अस्थायी अनुमान दिया होगा जो उसके मत में सम्बद्ध व्यक्ति को पिछले वर्ष में हुई है। उक्त अनुमान धारा ६ की उपधारा (२) के खंड (क) के आदेशों (provisions) के अनुसार तैयार किया जायगा और ऐसे फार्म में होगा और उसमें ऐसे ब्योरे दिये जायेंगे जो नियत किये जायं"।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि खंड ५ की पंक्ति ६ का विराम हटा दिया जाय और उसके पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"तथा देय आय-कर जो अस्थायी अनुमानित आय पर होता हो।"

श्रीमन्, मैं अब आपकी आज्ञा से विधेयक के खंड ५ को पढ़ना चाहता हूं।

(३-ख) इस प्रकार है:—मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (३-ख) के रूप में रख दिया जाय :—

(३-ख) उपधारा (३) के अधीन दिये जाने वाले नोटिस के साथ कर निर्धारक अधिकारी एक विवरण भी भेजेगा, जिसमें कृषि की आय का ऐसा अस्थाई अनुमान दिया होगा जो उसके मत में सम्बद्ध व्यक्ति को पिछले वर्ष में हुई है। उक्त अनुमान धारा ६ की उपधारा (२) के खंड (क) के आदेशों के अनुसार तैयार किया जायगा और ऐसे फार्म में होगा और उसमें ऐसे ब्योरे दिये जायंगे जो नियत किये जांय।

जहां तक इस मेरे संशोधन का संबंध है बिल्कुल निर्दोष है और उसके विरुद्ध में नहीं समझ पाता कि माननीय सचिव महोदय क्या कहेंगे। आजकल जब किसी को इस अधिनियम की धारा १५ के अधीन नोटिस दिया जाता था कि तुम पर कृषि आयकर क्यों न लगा दिया जाय तो उसके साथ साथ पहले कुछ फार्म भेजे जाते थे जिनकी पूर्ति कर कचहरी में निश्चित समय के अन्दर दाखिल करना होता था परन्तु अब इस बिल के द्वारा वह चाहते हैं कि सरकार का जो नायब तहसीलदार ऐग्रीकल्चर इन्कमटैक्स का हो या जो क्लर्क हो उसे भी अधिकार रहे कि पिछले साल की आमदनी का अन्दाजा लगाकर वह उस कर दाता के पास भेजे। तो जहां पर यह चीज है वहीं पर यह भी चाहता हूं कि उसके पास यह भी लिख कर भेज दिया जाय कि उस को उस अनुमानित आय पर कितना रुपया कर के स्वरूप में देना होगा। मुझे इस खंड का भी विरोध करने में संकोच नहीं होता क्योंकि पिछले साल जब कि मालमंत्री जी इसी बिल के संशोधन के संबंध में इसी सदन में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि यह आवश्यक नहीं है कि किसान अपने पास कागज क्यों न रखे और बताये जब भी अदालतों में जरूरत हो। अगर किसान एक साल में नहीं तो २ साल में सीख जायगा। २ साल का समय भी काफी न हुआ तो तीसरे साल तो उसे अवश्य मालूम हो जायगा कि कागजात कैसे रखे जाते हैं। यह उन्होंने ने कहा था परन्तु अब करवट बदली, अब कहा जाता है कि यह करदाता की सहूलियत के लिये किया जाता है।

मैं आपका ध्यान श्रीमन्, उद्देश्य और कारणों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि "अब अधिकांश करदाता काश्तकार है, जो अपने हिसाब किताब का लेखा नहीं रखते, इसलिये यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि कर-निर्धारक अधिकारी धारा ६(२) (क) के अनुसार करदाता की पिछले वर्ष की कृषि आय के संबंध में एक विवरण करदाता के पास भेजे जिससे कि काश्तकार को कर की वह धनराशि मालूम हो जाय जिस की अदायगी उस दशा में उसे करनी होगी जब वह अपनी आय का विवरण प्रस्तुत न करना चाहे और कर-निर्धारक अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित भी न होना चाहे।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी उद्देश्य और कारण के आधार पर मेरा संशोधन है कि वह धनराशि मालूम हो जाय जिसकी अदायगी उस दशा में उसे करनी होगी जब वह अपनी आय का विवरण प्रस्तुत न करना चाहे और कर-निर्धारक अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित भी न होना चाहे.....

श्रीमन्, मेरा संशोधन जो है वह उस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के अनुकूल है और कोई ऐसी बात माननीय सचिव महोदय से मैं नहीं चाहता जो अपने उद्देश्यों और कारणों में आपने अंकित न किया हो। जहां पर करदाता के पास यह लिखकर जायगा कि इतना अनुमान है कर का तो इस शिड्यूल को पढ़कर उसकी समझ में नहीं आ सकता और उसको इस अनुमान को पढ़ने में भ्रम हो सकता है। किसी भी करदाता के लिये इस शिड्यूल अर्थात्--

	दर प्रति रुपया
१--पूर्ण कृषि आय के प्रथम १,५०० रु० पर	कुछ नहीं
२--पूर्ण कृषि आय के उपर्युक्त के बाद के ३,५०० रुपये पर	एक आना
३--पूर्ण कृषि आय के उपर्युक्त के बाद १०,००० रु० पर	दो आना
४--पूर्ण कृषि आय के उपर्युक्त के बाद के १०,००० रु० पर	चार आना
५--पूर्ण कृषि आय के उपर्युक्त के १०,००० रु० पर	आठ आना
६--पूर्ण कृषि आय के शेष पर	दस आना

तो उसके लिये यह अनुमान लगा लेना कि कितनी धनराशि होगी जिस पर कि वह कर देने के लिये बाध्य किया जाता है। कौन बैठ कर इस शिड्यूल के हिसाब से हिसाब निकाल सकेगा। पढ़े लिखे लोगों के लिये यह मुश्किल है और फिर भोले भाले किसान जो मुन्शी और वकीलों पर भरोसा करते हैं जो निरक्षर होते हैं वह कहां तक कर सकते हैं। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं यद्यपि यह गौरव तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है कि मेरा एक भी संशोधन माननीय सचिव महोदय स्वीकार कर लें लेकिन फिर भी भरोसा रखता हूं कि यह ऐसा संशोधन है जो उद्देश्य और कारण से मिलता जुलता है और इसमें हर प्रकार से चुभता है उसको स्वीकार करके सहृदयता पर परिचय देंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी के इत्मीनान और आसूदगी के लिये मैं उनको इतना आश्वासन दे सकता हूं कि जो इसमें है "उक्त अनुमान धारा ६ की उपधारा (२) के खंड (क) के आदेशों के अनुसार तैयार किया जायगा और ऐसे फार्म में होगा और उसमें ऐसे ब्योरे दिये जायेंगे जो नियत किये जायं" तो उस ब्योरे और उस फार्म में हम यह आदेश दे देंगे कि जो अनुमानित कर लगने वाला है वह भी उस विवरण में दे दिया जाय। वैसे तो मैं समझता हूं कि जब अनुमानित आय आ गई तो माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी तो जरूर हिसाब लगा लेंगे। वह यह कैसे समझते हैं कि लोग इतने जाहिल हैं कि हिसाब नहीं लगा पायेंगे लेकिन फिर भी मैं उनके आश्वासन के लिये कहता हूं कि यह आदेश के रूप में हो जायगा कि वह फार्म के ब्योरे में दे दिया जायगा।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--श्रीमन्, एक बात मुझे कहनी थी कि माननीय सचिव महोदय यह न समझें कि अवधेश प्रताप भले ही लगा लें या और दूसरे माननीय सदस्य समझ लें लेकिन बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको कृषि आयकर का हिसाब लगाना कठिन हो जायगा। लेकिन उनके आश्वासन के बाद में अब आवश्यक नहीं समझता कुछ कहना और इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड ६

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९ की धारा १६, में संशोधन।

६--मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (४) में शब्द "अपने विवेक के आधार पर" और शब्द "कर" के बीच में शब्द "धारा ६ की उपधारा (१) के अधीन इच्छा (option) व्यक्त किये जाने पर भी, धारा १५ की उपधारा (३-ख) के अधीन भेजे हुये विवरण पत्र, यदि कोई हों, यथोचित ध्यान रखते हुये" रख दिये जायं।

†श्री अवधेश प्रताप सिंह --माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खंड ६ के विरोध में खड़ा हुआ हूं, मैं कोई संशोधन नहीं पेश कर रहा हूं।

श्रीमान्, जब सन् ४८ में यह विधेयक इस सदन में पास किया गया था तो उस समय कर दाता को एक ही अधिकार दिया गया था कि वह या तो अपना कर निर्धारण ६(२) ए में कराये या ६(२) बी में। यानी लगान पर साढ़े सात गुना लगवाये, सन् ५३ के बाद साढ़े बारह गुना कर लगवाये और दूसरा तरीका ६(२) बी में यह था कि वह सब खर्चा दिखाते हुये सारा हिसाब किताब न्यायालय में प्रस्तुत करे और आवश्यक कटौतियों के बाद जो कुछ भी कर निर्धारण उस पर हो वह उसको देय होगा। पिछले वर्ष यानी सन् ५३ तक यदि हम अपनी इच्छा, (आप्शन) इस बात के लिये प्रकट करते कि यदि हम अपना कर निर्धारण ६(२) ए के अन्तर्गत कराते हैं और अब ६(२) बी के अन्तर्गत कराना चाहते हैं तो यह अधिकार हमको उस समय तक नहीं था जब तक कि बोर्ड आफ रेवेन्यू की आज्ञा इसके लिये न आ जाती। यानी ६(२) बी के आधीन हम अपना हिसाब किताब नहीं पेश कर सकते थे। रास्ता हमारे लिये सिर्फ एक ही था। या तो ६(२) ए के अधीन हम अपना कर निर्धारण करावें या ६(२) बी के अधीन। यदि एक से दूसरे में हम परिवर्तन चाहते थे तो हमें बोर्ड आफ रेवेन्यू तक दौड़ना पड़ता था जो कि एक माने में असंभव हो गया था। पिछले साल इस प्रावित्रो को हटा दिया गया और इससे यह सहूलियत हुई कि यह इच्छा हर करदाता की रही और आज इस विधेयक में भी है कि चाहे तो वह अपने कर का निर्धारण लगान और गुणांक के आधार पर करावे या ६ (२) बी में यानी अपने कागजात और हिसाब किताब को पेश करके, कटौतियों के बाद, जो कर अदालत निर्धारण करे, वह दे।

श्रीमन्, अब जैसा कि मैं पहले इसके पूर्व वाले खंड के विषय में कह चुका हूं कि जब दफा १२ में हमारे पास नोटिस जायेगा, नोटिस आफ डिमांड नहीं बल्कि इस बात का नोटिस कि तुम्हारे ऊपर कृषि आयकर क्यों न लगाया जाय इस कृषि आयकर अधिनियम के अधीन तो उसके साथ साथ एक विवरण भी जायगा कि जिसमें हमारी पिछले साल की अनुमानित आय होगी और माननीय सचिव महोदय के आश्वासन के बाद मैं यह भी कह सकता हूं कि जो कर उसको देय होगा वह भी उसमें अंकित रहेगा। अब इस खंड में वह चाहते हैं कि इन सब चीजों के होते हुये भी कर दाता चाहे अपने को ६(२) ए के अधीन रखे, उस हद तक सीमित रखे और चाहे वह ६(२)-बी की आधीन रखे, परन्तु यह आवश्यक किस हद तक है कि विवरण पत्र यथोचित ध्यान रखते हुए यानी ड्यू कंसीडरेशन आफ स्टेटमेंट रखते हुए हो। इसके माने वास्तविकता में यह होंगे कि जो स्टेटमेंट और कागजात जायंगे और उनमें जो आमदनी उन लोगों ने लिख कर भेजदी करदाता को वह फिर कभी कटने की नहीं और उसमें किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन फिर असंभव हो जायगा इसलिये कि तहसीलदार और क्लर्क ही सब कुछ होते हैं, एस० डी० ओ० तो नाम मात्र के लिये होता है।

"यथोचित ध्यान रखते हुये यदि कोई हो"। श्रीमन् "यदि कोई हो" यह निरर्थक है क्योंकि जब आप हर करदाता के पास भेजेंगे तो "यदि कोई हो" इसका प्रश्न ही नहीं उठता, वह तो आवश्यक है कि सब के पास स्टेटमेंट जायगा। और दूसरी बात यहां "यथोचित

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ध्यान रखने" का जो इंटेन्शन है इसको जो असेसिंग आफिसर्स हैं, बहुत ही गलत समझेंगे। यह मैं मानता हूं माननीय सचिव महोदय यदि यह कहें कि इसकी यह मंशा नहीं है कि वह बाध्य है कर दाता के लिये, यह मजबूरी है कि जो स्टेटमेंट गया है उसी के आधार पर उसको कर देना हो। यह बात नहीं है, यह मैं समझता हूं। लेकिन मुझे खतरा गवर्नमेंट से नहीं, यदि माननीय सचिव महोदय को ही कर लगाना होता तो आपत्ति कदापि न करता, जो आपत्ति मुझे हैं वह उस जगह पर जब कि क्लर्क, जिनको संसार में अब सिवाय इसके कि जिस तरह से उस पर आमदनी कर सकें और करने का प्रयास करते हैं, धन एकत्रित करना ही अपना लक्ष्य समझेंगे। नायब तहसीलदार जो होंगे वह यह समझेंगे कि जो स्टेटमेंट हमने बना दिया वह गलत नहीं। किसी जगह तो यह प्रश्न उठ जायगा कि हमने जो स्टेटमेंट भेजा है वह गलत कैसे हो सकता है। अगर कहीं श्रीमन्, ६(२) (बी) में कर दाता आये तो उस पर कौन विश्वास करेगा इसके रहते हुये ? उनको सुविधा इसी में होगी कि जो स्टेटमेंट गया है उसी के आधार पर कर बांधा जाय।

श्रीमन् इस अधिनियम के अधीन सरकार को एक ही अधिकार नहीं। यदि असेसिंग आफिसर यह समझे कि हिसाब गलत है तो धारा १६ के अन्तर्गत उस पर सबूत ले सकता है गलत बयान हलफी की और कार्यवाही कर दाता के खिलाता कर सकेगा। उसको सजा हो सकती है। और यही नहीं बल्कि जिस प्रकार से हो दफा २८ के अनुकूल असेसिंग आफिसर को यह भी अधिकार है कि जब कर निर्धारण करे तो उनके पास जो अधिकार होंगे वह एक न्यायालय के होंगे। क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड के अनुकूल उनको वह सब पावर दे दी गई हैं जो कि दीवानी की अदालत को होती हैं। इन सब अधिकारों को रखते हुये गलत बयान हलफी के लिये सजा दे सकता है। पावर्स आफ दी कोर्ट आपके पास है, दफा १६ में आप सबूत ले सकते हैं और जिस तरह से हो अपने को इस बात का विश्वास दिला सकते हैं कि हिसाब गलत है या नहीं। और साथ ही साथ यह भी अधिकार है कि वह माने या न माने। लेकिन इस शब्द से इतना भ्रम उत्पन्न हो सकता है। यहां माननीय सचिव महोदय भले ही इसको समझें कि निर्दोष है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन यह कब तक वह अधिकारी समझ पावेंगे ? इसमें जो शंका है वह निराधार नहीं है, आधार सहित है। श्रीमन्, मैं माननीय सचिव महोदय को यह विश्वास दिलाऊं कि मुझे जहां तक उनकी सरकारी नीति की आलोचना से कोई सरोकार नहीं है। मुझे भरोसा है कि इस सदन का अभिप्राय, विधान सभा का अभिप्राय हर माननीय सदस्य समझ सकता है लेकिन एक क्लर्क एक नायब तहसीलदार या वह असेसिंग आफिसर जिनको कि प्रोसीडिंग देखने का कभी अवसर भी न हो, जो कि इंटेशन आफ दी लेजिस्लेचर से कोई सरोकार न रखते हों उनसे यह समझना कि सही मतलब निकालेंगे, मुझे भय है और मैं समझता हूं यह एक ऐसा विषय है जिस पर मेरा समर्थन हर एक पक्ष से हो सकता है कि यदि यह रखा गया तो जो इसका इंटेशन होगा वह लेजिस्लेशन की मंशा के बिलकुल खिलाफ होगा और ऐसी गल्तियां होंगी जिनको कि संभालना आइन्दा चलकर मुश्किल हो जायगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--उपाध्यक्ष महोदय, कभी-कभी मुझे आश्चर्य होता है माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी के उन संशोधनों पर जिन्हें वह पेश करते हैं और यह पूरी तौर पर गौर नहीं कर लेते हैं कि ये संशोधन उनके माफिक पड़ते हैं, या खिलाफ पड़ते हैं। अगर उनका संशोधन मान लिया जाय तो फिर धारा १६ की उपधारा (४) ज्यों की त्यों रह जाती है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--मेरा कोई संशोधन नहीं है, श्रीमन्।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--आप खंड ६ को निकालने के लिये कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम धारा ६ के जरिये से जो मूल अधिनियम के क्लाज १६ के सब सेक्शन (४) में जो संशोधन कर रहे हैं यह नहीं हो सकेगा। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

वह संशोधन नहीं हो सकेगा तो मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (४) ज्यों की त्यों रह जाती है। जो इंगलिश में मेरे पास है वह इस प्रकार है कि—

"If the Principal Officer of any company or other person fails to make a return under sub-section (2) or (3) of section 15, as the case, may be, or, having made the return fails to comply with all the terms of the notice issued under sub-section (2) of this section or to produce any evidence required under sub-section (3), the assessing authority shall make the assesment to the best of his judgment."

जहां यह था कि असेसिंग अथारिटी टू दी बैस्ट आफ देयर जजमेंट करेंगे तो मौजूदा संशोधन के जरिये यह जोड़ दिया कि धारा १५ की उपधारा ३ (ख) के अधीन जो नोटिस दिया गया है उसका यथोचित ध्यान रखते हुये टू दी बैस्ट आफ देयर जजमेंट करेंगे। इसमें हमने एक तरह से यह इशारा किया है कि वह जो नोटिस है उससे टू दी बैस्ट आफ देयर जजमेंट वाला ज्यादा बढ़ रहा है तो उसका भी ध्यान कर लेगा। जो उनकी मंशा है अगर उसको निकाल दिया जाय तब तो टू दी बैस्ट आफ देयर जजमेंट अगर रहेगा तो खुला रास्ता हो जाता है जैसे कि उन्होंने उनके ऊपर इल्जाम लगाये कि वह तमाम गलती करेंगे तो उनको और भी शिकायत हो जायगी।

अब मिसाल के तौर पर उपाध्यक्ष महोदय, किसी का असेसमेंट से ५ हजार रुपये आया और उसने मुनासिब समझा कि सब सेक्शन २ के मुताबिक हिसाब दिखाये कि उसके मुताबिक किया जाय। जिस समय वह हिसाब दाखिल करेगा तो गवर्नमेंट अपोजिट पार्टी होगी और अगर यह साबित हो जाय कि ५ हजार के ८ हजार हो जहां कि वह ४ हजार की उम्मीद कर रहा था तो असेसिंग अथारिटी उस नोटिस को ध्यान में रख कर करे तो इसमें कौन सी ऐसी गंध आने लगी जिसकी वजह से आपको दूसरी तरह का शुबहा नजर आने लगा। यदि इस खंड को निकाल देने से मूल अधिनियम की धारा १६ (४) ज्यों की त्यों रह जाय तो जिन हाईशिप्स का उनको अन्दाजा है उसको हमने एलीमिनेट किया है नहीं तो उससे भी ज्यादा बढ़ जायं और अगर कोई असेसिंग अथारिटी को ऐसा हिसाब देगा तो वह देखेगा कि ज्यादा है या कम है और इस चीज को यानी नोटिस को नजर में रखेगा और फिर टू दी बेस्ट आफ हिज जजमेंट करेगा। इससे यह मतलब कहां निकलता है कि कम आता होगा तो वह बढ़ा देगा। यह एक कांसीक्वेंश्यल अमेंडमेंट है और चूंकि हमने असेसमेंट के नोटिस का वह तरीका बरता, इसलिये हमने यहां कांसिक्वेंश्यल अमेंडमेंट के तौर पर रखा कि इसको ध्यान में रखते हुए असेस्मेंट होगा। तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये मैं समझता हूं कि आप इसको वापस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९ की धारा २५ में संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा २५ में शब्द तथा संख्या "उपधारा (३)" के स्थान पर शब्द तथा संख्या "उपधारा (३) तथा (३—ख)" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९ के परिशिष्ट में संशोधन।

८—(१) मूल अधिनियम के परिशिष्ट (Schedule) के भाग १ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

भाग १

	दर प्रति रुपया
१—पूर्ण कृषि आय के प्रथम १,५०० रु० पर ..	कुछ नहीं
२—पूर्ण कृषि आय के उपर्युक्त के बाद के ३,५०० रु० पर ..	एक आना
३—पूर्ण कृषि आय के उपर्युक्त के बाद के १०,००० रु० पर ..	दो आना
४—पूर्ण कृषि आय के उपर्युक्त के बाद के १०,००० रु० पर..	चार आना
५—पूर्ण कृषि आय के उपर्युक्त के १०,००० रु० पर ..	आठ आना
६—पूर्ण कृषि आय के शेष पर	दस आना

यह दरें निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन हैं :—

(क) उस पूर्ण कृषि-आय पर कोई कृषि-आय-कर देय न होगा जो ४,२०० रु० से अधिक न हो, और

(ख) देय कृषि-आय-कर किसी भी दशा में पूर्ण कृषि आय-कर की उस धनराशि के आधे से अधिक न होगा जो ४,२०० रु० से अधिक हो।

(२) मूल अधिनियम के परिशिष्ट का भाग २ निकाल दिया जाय।

श्री अवधेश प्रताप सिंह— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

कृषि-आय-कर की दर—

१—पूर्ण कृषि आय के प्रथम ४,२०० रु० पर कुछ नहीं।

२—पूर्ण कृषि आय के उपर्युक्त के बाद के दूसरे ८०० रु० पर १ आना प्रति रुपया।

३—पूर्ण कृषि आय के उपर्युक्त के बाद के १०,००० रु० पर डेढ़ आना प्रति रुपया।

४—पूर्ण कृषि आय के उपर्युक्त के बाद १०,००० रु० पर तीन आने प्रति रुपया।

५—पूर्ण कृषि आय के उपर्युक्त के बाद १५,००० रु० पर पांच आने प्रति रुपया।

६—पूर्ण कृषि आय के उपर्युक्त के बाद १५,००० रु० पर छै आने प्रति रुपया।

७—पूर्ण कृषि आय के उपर्युक्त के बाद २०,००० रु० पर आठ आने प्रति रुपया।

८—पूर्ण कृषि आय के शेष पर दस आना प्रति रुपया। यह दरें

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन हैं :—

(क) उस पूर्व कृषि आय पर कोई कृषि आय कर देय न होगा जो ४,२०० रु० से अधिक न हो और

(ख) देय कृषि आय कर किसी भी दशा में पूर्ण कृषि आय कर की उस धनराशि के आधे से अधिक न होगा जो ४,२०० रु० से अधिक न हो।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन आप से यह करना चाहता हूं कि अगर आप मुनासिब समझें तो यह '१३', '१३-क' और '१४' नम्बर के जो संशोधन, जो बिल्कुल इसी से संबंधित है, वह सभी साथ ले लें, ताकि सब पर बहस साथ हो जाय और आप सब पर अलग अलग राय ले लें। मैं समझता हूं इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति तो नहीं होगी ?

राजा वीरेन्द्र शाह— हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—आगे वाला भी पेश कर दीजिये।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह—दूसरा यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) के अन्तर्गत भाग –१ की क्रम संख्या १ के कुल शब्द निकाल कर उसके स्थान पर "पूर्ण आय के प्रथम ४,२०० रु० पर कुछ नहीं" रख दिया जाय।

इसके आगे वाला श्री सीताराम शुक्ल का है, जिसको पेश करने का मुझे अधिकार नहीं है। उसके बाद तीसरा यह है :—

खंड ८ के उपखंड (१) के अन्तर्गत भाग १ की क्रम-संख्या २ में संख्या "३,५००" के स्थान पर संख्या "५,०००" रख दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सचिव महोदय की इच्छानुसार मैंने संशोधनों को उपस्थित कर दिया और यदि वह यह समझते हैं कि हम लोगों का लक्ष्य यह है कि इसमें किसी तरह की देरी हो, तो यह कदापि हम लोगों का मंशा नहीं। हम लोग समय नष्ट नहीं करना चाहते। इससे हमारा कोई लाभ नहीं होता कि यह विधेयक एक घंटे के बाद पारित हो या एक घंटा पहले।

श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है उसमें यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। यह हो सकता है कि लोग मुझसे सहमत न हों, लोगों को इस पर आपत्ति हो, लेकिन इससे किसी को इन्कार नहीं हो सकता कि सब से अधिक महत्वपूर्ण अगर कोई संशोधन था तो यह था।

श्रीमन्, मैं इस समय आशा करता हूं कि माननीय सचिव महोदय को किसी प्रकार की आपत्ति न होगी यदि मैं यह कहूं कि पुराने कर का जो अधिनियम आज तक विद्यमान था और है, उसको हटा कर उसकी जगह पर जो इस विधेयक में रखा गया है, उससे कर-दाताओं को एक अधिक धनराशि आय कर के स्वरूप में देनी होगी।

श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक में है, वह १५ सौ रुपये पर कुछ नहीं, ३५ सौ रुपये पर एक आना, दस हजार पर दो आना, और उसके बाद के दस हजार पर चार आना और उसके बाद के दस हजार पर आठ आना और पूर्ण कृषि-आय-कर के शेष पर दस आना।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने अपनी असहमति टिप्पणी में स्पष्ट कहा है कि आज तक जिनकी आमदनी ५५ हजार थी उनको दस आना देना होता था। अब ३५ हजार वाले को भी दस आने फी रुपया कृषि आय कर देना होगा। यह सेंट्रल इन्कम टैक्स से भी कहीं-कहीं बहुत अधिक है। यदि सब जगह नहीं तो बहुत से स्थानों पर उसकी दर से भी अधिक है। श्रीमन्, अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं और आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों को कि यदि किसी की आमदनी आज तीस हजार रुपया हो तो मौजूदा ऐक्ट के मुताबिक उसको ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स और सुपर टैक्स मिला कर चार हजार ५ सौ ९३ रु० १२ आने देना होगा। अब इस प्रस्तुत विधेयक के अनुसार श्रीमन् उसको ६ हजार ४ सौ ६८ रु० १२ आने देना होगा, यानी १८७५ रुपये का फर्क अधिनियम और प्रस्तुत विधेयक में है, तीस हजार रुपये जिसकी कृषि आय हो उस पर इतना फर्क है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सरचार्ज लगा कर कह रहे हैं ?

श्री अवधेश प्रताप सिंह--जी हां; सरचार्ज लगा कर।

माननीय वीरेन्द्रशाह जी के इस संशोधन से यह आता है--४ हजार ५२५ रु० यानी यदि यह संशोधन मान लिया जाय तो किसानों को पहले की भी दशा में और आज इस प्रस्तुत विधेयक के अनुसार दोनों की अपेक्षाकृत कम देना होगा।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--तीस हजार पर आपने कहा है ? तीस हजार पर इनकम टैक्स कितना बताया ?

श्री अवधेश प्रताप सिंह--ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स और सुपर टैक्स दोनों को मिला कर ४ हजार ५९३ रु० १२ आ० और इस प्रस्तुत विधेयक के अनुसार ६ हजार ४६८ रु० १२ आने।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मैंने समझा था कि इनकम टैक्स बता रहे हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--श्रीमन्, इस पर मुझे विशेष रूप से कहना पड़ेगा उसका मुख्य कारण यह है कि यदि गुणांक में किसी प्रकार की कमी हुई होती तो मैं समझता कि ठीक है। गुणांक में यदि साढ़े १२ के स्थान पर साढ़े ७ ही हुआ होता तो वह भी सहन शक्ति के अन्दर हो सकता था। लेकिन गुणांक १२।। का १२।। रहा और दर भी बढ़ायी गयी। यह मेरी समझ में नहीं आया कि सरकार किस आधार पर, किन कारणों से किस, उद्देश्य से, आज दरों में वृद्धि कर रही है। श्रीमन्, इसके सम्बन्ध में जो दलीलें थीं वे इस पक्ष से और उस पक्ष से कई मर्तबा सदन के सम्मुख उपस्थित की जा चुकी हैं और उन पर विशेष प्रकाश डालना भी अब लाभप्रद सिद्ध नहीं होगा लेकिन इतना तो अवश्य कहना ही होगा कि आज इस दर की वृद्धि के लिये सरकार के पास किसी प्रकार का कोई जस्टीफिकेशन नहीं है और न उनके पीछे कोई सिद्धान्त ही हो सकता है जो कि सराहनीय हो। श्रीमन्, वास्तविकता तो यह है जब कि गल्ले का भाव गिरता हो, किसानों की आमदनी कम होती हो और दूसरे पदार्थों की कीमतें उस अनुपात में गिरती न हों तो ऐसी परिस्थिति में यह दर बढ़ाई जाती है तो किसानों का लाभ किस कोने से हो सकता है यह मेरी समझ में नहीं आया। इसको दोहराना भी मैं समझता हूं कि अनावश्यक है। थोड़े से मुट्ठी भर लोग हैं और अपने फायदे के लिये सरकार सब कुछ कर रही है। भविष्य में चल कर वह स्थिति भी आ सकती है जब किसी के पास फार्म्स रहें ही नहीं। और तीस एकड़ कोई ऐसा रकबा

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

नहीं माना जा सकता जिस पर यह समझा जाय कि सिवा भूतपूर्व जमींदारों के इससे अधिक किसी के पास है ही नहीं। श्रीमन्, इस विषय पर घंटों बोलता रहा और जो भी दलीलें थीं मैंने दीं और पुनरावृत्ति भी हुई लेकिन उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि इन दरों के लिये सेंट्रल इनकम टैक्स की नकल करने में यह सरकार आगे रही। यह देखा कि ४,२०० एग्जेम्पशन लिमिट है। सेंट्रल इनकम टैक्स के लिहाज से तो इस सरकार ने भी वही इस विधेयक में रख दिया लेकिन बहुत से सिद्धान्त सेंट्रल इनकम टैक्स के ऐसे हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं इस समय इनसे इतना अवश्य बतलाना चाहूंगा कि जहां पर उनको यह अधिकार है, जहां मंत्री महोदय यह स्वीकार करते हों कि टैक्सेशन की जो पालिसी हो वह कभी स्थायी नहीं रह सकती, समयानुसार उसमें परिवर्तन अवश्य होता है तो क्या परिवर्तन करने का अवसर वह यही था, जब कि भाव गिरते हों, जब कि कृषि की उन्नति पर ठेस पहुंचती हो? जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिये आज भारतवर्ष में रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा हो, निर्माण के नाम पर कुछ करने को सरकार अग्रसर हो, तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या यह सामयिक है, क्या यह सुअवसर है कि जब भाव गिरता हो, पैदावार में कमी होती हो ऐसी परिस्थिति में क्या यह उचित है कि माननीय सचिव उसकी दर में वृद्धि करें? श्रीमान्, जहां तक इन दरों का प्रश्न है यह कहना ठीक है कि खेती करने वाले को कोई सेंट्रल इनकम टैक्स नहीं देना होता है, उसे पैदावार पर केन्द्रिय सरकार को कोई कर नहीं देना होता है परन्तु क्या सरकार यह भूल जाती है कि वे पंच महोदय जो गांव में बैठा दिये गये हैं उनको टैक्स लगाने का पूर्ण अधिकार है और यदि वे नहीं जानते हैं तो पंचायत राज्य अफसर द्वारा उनको बतलाया जाता है? वह अपने स्थानों को सुरक्षित रखने के लिये उनकी मुखालफत करने का सहस नहीं कर सकेंगे और यदि वह उनका विरोध करेंगे तो उनका सस्पेंशन अवश्यम्भावी है। ऐसी परिस्थिति में पंचायत को बदनाम करने के लिये यह पंचायत अफसर गांव में अपने मन की कार्यवाही करेंगे। आज प्रदेश के कोने-कोने में एक तरह की अशान्ति है और जब कि लोगों में क्षोभ की मात्रा इस सीमा तक पहुंच चुकी हो कि इस सदन में भी बहुत से लोग आकर एक सुअवसर पर सदन की मान हानि होने पर भी अपने को यह समझते हैं कि जो किया वह ठीक ही किया है और जो यह दरों में वृद्धि की गयी है वह उचित की गयी है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे सुअवसर पर ऐसा करना उनके लिये उचित नहीं है। इन दरों के सम्बन्ध में जो मैंने यह संशोधन पेश किया है और जिसके ऊपर माननीय वीरेन्द्रशाह जी कुछ प्रकाश डालेंगे और उन्होंने प्रवर समिति में प्रयत्न भी किया कि सरकार इसको भलीभांति समझ ले कि यह अनुचित है। मगर फिर भी सरकार ने करों में वृद्धि की। वह अपना प्रयास करने के बाद भी असफल रहे। परन्तु मैं आज इस सदन में माननीय सदस्यों के समक्ष माननीय सचिव के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि यदि उन्होंने यह किया तो वह यह समझ लें कि यह भविष्य में चल कर बहुत ही हानिकारक प्रतीत होगा। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गयी, कोई इमरजेंसी भी नहीं थी कि जिसकी वजह से आपको यह बिल लाना पड़ा। इतना रुपया आपको मिल रहा था कि जिससे आपका काम चल जाता लेकिन आप तो किसी भी बहस भी सुनने के लिये तैयार नहीं हैं।

इन सब चीजों पर ध्यान दिलाते हुए मैं माननीय सभासचिव से अनुरोध करूंगा कि वह आज इस संशोधन को स्वीकार करें और मैं पहली बातों को दोहराना नहीं चाहता क्योंकि यह बहुत उचित नहीं प्रतीत होता है। उनको मैं पहले निवेदन कर चुका हूं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो मैंने संशोधन रखा है उसको सभासचिव महोदय स्वीकार करें और जो मुझे कहना होगा तो मैं बाद में कहूंगा।

*राजा वीरेंद्र शाह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे मित्र श्री अवधेश प्रताप सिंह जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैंने सरकार से बातचीत करके प्रयत्न किया और आज फिर आपके द्वारा सरकार को बतलाना चाहता हूं कि यह कृषि आयकर विधेयक जिनके ऊपर यह टैक्स लगाया है, उनके लिये फायदा पहुंचाने के लिये बताया जाता है। कहीं कहीं पर फायदा किया भी है वहां पर मैं यह बतलाऊं कि सुपरटैक्स और टैक्स को देखते हुये इनको मिला कर घपले को दूर करने की कोशिश की गयी है। लेकिन सरकार ने इसके अन्दर जितना टैक्स लग सकता था उतना टैक्स लगाने की कोशिश की है। इस बात को नहीं देखा गया है कि वह इतना टैक्स दे सकेंगे या नहीं, लेकिन वह टैक्स लगा दिया गया है। मैं आपके द्वारा सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि यदि हम लोगों को यह भरोसा हो जाता कि जितनी सरकार या उनके अफसर हम लोगों के बागों की आमदनी लगाते हैं उसको किसी तरह से बढ़ाकर न लगायें और बढ़ाकर न लिखी जाय तब तो समझ में आता लेकिन वह आमदनी बढ़ा कर लिखी जाती है और उसी तरह से टैक्स लगा दिया जाता है और उसी प्रकार से बाग वालों को टैक्स देना पड़ता है।

इसी तरह से हमने पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब का ध्यान इस ओर दिलाया था कि उनके जो सरकारी फार्म चल रहे हैं, उनका क्या मुनाफा हो रहा है, यह हमें तथा जनता की जानकारी के लिये उन्हें बताना चाहिये। हमसे कहा जाता है कि पश्चिमी तरीके से फार्मिंग हो, हम लोग जो भी डेवलपमेंट्स करें वे सब पश्चिमी तरीके से करें, पश्चिमी सभ्यता के अनुसार बड़े बड़े ट्रैक्टरों और मशीनों से हम खेती करें। इसके लिये ट्रैक्टर्स की तकाबी दिलाई गयी, तमाम तरह का प्रयत्न किया गया। कीछा में लोगों को फार्म्स दिये गये जहां पर सरकार के बहुत से साथी बड़े बड़े फार्म लिये हुए हैं। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि एक ओर तो इस तरह का प्रोत्साहन दिया जाय कि मिकेनाइज्ड फार्मिंग हो और दूसरी तरफ टैक्सों की कोई सीमा नहीं रक्खी जाती है। आखिर ये लोग जिन्होंने नया नया तरीका अख्तियार किया है, उसके ऊपर खर्चा किया है, वे अपना खर्चा कैसे चलायेंगे। सरकार यह नहीं समझती कि जो टैक्स उनके ऊपर लगाये जा रहे हैं वह उनके बोझ को किस तरह से संभाल सकेंगे, और तरह तरह के टैक्स लादती जा रही है। यह मेरी समझ में नहीं आया कि अगर सरकार को टैक्स बढ़ाना ही था तो उसने ग्रेजुअली क्यों नहीं बढ़ाया लेकिन इसके द्वारा तो यह देखने में आता है कि कोई हिसाब ही नहीं है। अभी तक ५५ हजार के ऊपर १० आना टैक्स आता था लेकिन अब ३५ हजार पर ही १० आना आ जायगा।

मैं आपके जरिये से यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने ३ हजार से बढ़ा कर ४,२०० रुपया की सीमा कर दी यह तो ठीक किया। इससे किसानों को कुछ राहत मिल जायगी। लेकिन मैं एक उसूल को नहीं समझ पाया। सरकार को यह कोशिश करनी चाहिये कि हर किसान बयालीस सौ की आमदनी पर पहुंच जाय, क्योंकि उसने कम से कम ४२ सौ की आमदनी को माना है। अब यहां यह समझ में नहीं आया कि भेदभाव क्यों किया जाता है। अगर बयालीस सौ से एक रुपया भी बढ़ जाता है तो उसका नतीजा यह होता है कि उस पर पूरा टैक्स लग जाता है और ३५ सौ पर पूरा टैक्स लग जाता है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि चाहे किसी की आमदनी ५० हजार हो, या ४२ सौ हो, सरकार को सब के साथ समान व्यवहार करना चाहिये। यह नहीं कि जहां एक रुपये का फर्क पड़ गया वहां ३,५०० रु० के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरी समझ में बात कुछ आयी नहीं कि आप क्या उसका प्रोत्साहन करते हैं। यह भी कहा गया श्रीमन्, कि अगर सरकार इस नीयत से टैक्स लगाती, जैसा कि सरकार ने बार बार इसको इन्कार किया है कि उसकी यह नीयत नहीं है कि लोग अपनी जमीन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा वीरेन्द्र शाह]

बेंच डालें और तरक्की न करें बल्कि हम तो प्रोत्साहन देने के लिये यह करना चाहते हैं। तो मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि अगर उसका टैक्टर और घर आदि सब टैक्स देने में बिक जायगा तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ने प्रोत्साहन क्या दिया। श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो कर बढ़ रहा है वह कर भी इतना ज्यादा नहीं होगा कि जिससे सरकार के डेवलपमेंट आदि की जो योजनायें हैं, पंचवर्षीय योजना है या और कोई योजना है जिसका काम इससे चल जायगा। दूसरी तरफ मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जितने फार्म्स वाले लोग हों जब उनके लिये ऐसा मौका आया कि साल दो साल में ज्यादा से ज्यादा पैदावार और मुनाफा दिखला कर अपने देश और प्रान्त के अन्न उत्पादन को बढ़ावें और एक्सपेरीमेंट करके बतला सकें कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा अन्न पैदा कर सकते हैं तो सरकार की तरफ से उनको हतोत्साह किया जाता है।

श्रीमन्, सरकार माने या न माने लेकिन जैसा कि एक मेरे मित्र ने कहा कि उनको भय है कि उनको जमीन बेचनी पड़ेगी और जमीन बेचने का कारण एक तो यह कर है और दूसरे जो ये हमारे समाजवादी भाई बैठे हुए हैं, जिनका कहना है कि ३० एकड़ और उसके ऊपर वाली जमीन का बंटवारा होना चाहिये तो सवा ६ एकड़ का हिसाब लगा कर ही कम्युनिस्ट भी २५ एकड़ के लिये बटवारे की बात कर सकते हैं। तो ऐसी हालत में वे यही सोचेंगे कि अच्छा यही है कि जमीन को बेच ही डाला जाय। और-और प्रान्तों में भी जहां खेती बारी का सिलसिला है वहां भी इस तरह की सीमा मुकर्रर की जा रही है तो ऐसी हालत में हम इसी नतीजे पर आ रहे हैं कि फार्म वालों को सरकार चाहे कितना ही प्रोत्साहन दे लेकिन अन्न की गिरती हुई कीमत को देखते हुए यही सोच रहे हैं कि बाद में कीमत भी कम ही मिलेगी तो इस हिसाब से धीरे-धीरे उसको हटा ही देना चाहिये। जहां तक यह बात है कि जो देश अधिक पैदा करे उसको अधिक टैक्स भी देना चाहिये, मैं भी इस बात को मानता हूं लेकिन साथ ही साथ मैं यह मानता हूं कि सरकार को भी यह ध्यान रखना चाहिये कि उतना टैक्स लिया जाय जितना कि मैक्सिमम पैदा करने के बाद कम से कम उसके पास इतना बच जाय कि वह समझे कि इतना मेहनत करने के बाद मेरी मेहनत का मुझे इतना तो श्रेय मिला।

श्रीमन्, जहां तक मेकेनाइज्ड फार्म्स हैं जिनमें ५०, ६० हजार रुपया लगा हुआ है, व्यवसाय के रूप में मैं इसे कहता हूं कि श्रीमन्, उसने खेती की तरक्की की है और उसके बाद सब टैक्स व खर्चा निकालने के बाद उसको अगर तीन-चार हजार रुपया बच जाता है जब कि उसकी कितनी मशीन घिसी, कितने ट्रैक्टर बरबाद हुये, यह दो तीन हजार का मुनाफा कोई ज्यादा नहीं है जब कि बड़े-बड़े मिल मालिक इससे भी बड़े-बड़े मुनाफे कमाते हैं लेकिन सरकार को कोई गुरेज नहीं होता। एक हमारे दोस्त हैं जो बराबर गन्ने का भाव बढ़ाने के लिये कहते रहते हैं। सरकार की तरफ से यह बराबर कोशिश रहती है कि मिल मालिकों को कुछ और मुनाफा मिले, उनको कुछ और फायदा हो जाय। एक तरफ तो हम यह देखते हैं लेकिन दूसरी तरफ भाई इस बात को चाहते हुए भी इतना स्पष्ट नहीं कह सकते। लेकिन हम सरकार से कहते हैं कि यहां पर इस बात का विचार क्यों नहीं होता कि उन लोगों के पास भी थोड़ा सा मुनाफा अगर रह जाय तो क्या हर्ज है। अगर वह २० मल्टिपिल कहते हैं तो हमें भी दो तीन परसेंट मिल जाय और हमारे फार्म चलते रहें, हमारे फार्मों का खर्च निकलता रहे। मैं भवन के सामने आज कहता हूं कि हमारे फार्मों के बारे में एक इन्क्वायरी कमेटी बिठाई जाय और अगर यह मालूम हो जाय कि हमारी क्या पैदावार और क्या आमदनी है तो उस पर जो कमेटी मुनासिब समझे उस पर टैक्स लगा दे और अगर वह उससे भी अधिक तजवीज करे तो हम उसे मानने को तैयार हैं लेकिन गवर्नमेंट ने तो आंखें बन्द

करके टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। अभी सरकार ने आबपाशी का रेट बढ़ाया, जेलें भरी गईं, सत्याग्रह हुये, पहले तो सरकार को अपनी जीत मालूम हुई लेकिन बाद में उसको मालूम हुआ कि उसकी हार हुई। अब उसी तरह से यह दूसरी ग़लती सरकार करने जा रही है बग़ैर जांच किये हुये कि क्या आमदनी होती है और क्या टैक्स लगाना चाहिये। जहां तक कि किसानों के साथ रिआयत का ताल्लुक है वह उनको अवश्य मिलना चाहिये लेकिन इस तरह से जो टैक्स और सुपर टैक्स लगाये जा रहे हैं वह कदापि चल नहीं सकते हैं। जिस तरह से मल्टिपिल बढ़ाये जा रहे हैं और गेहूं के रेट घटते चले जाते हैं। तो मैं यह कहूंगा कि सरकार बग़ैर सोचे, बग़ैर नफे नुकसान का ख्याल किये हुये काम किया करती है, इससे थोड़े दिनों के लिये सरकार को लाभ भले ही मालूम हो लेकिन कुछ दिनों बाद लोगों में ऐसे टैक्स देने की क्षमता ही नहीं रहेगी और लोग बटवारे करना शुरू कर देंगे और टैक्स देना लोग एवायड करेंगे। मैं कहता हूं कि इस तरह से सरकार मजबूर करती है और चोरी लोगों से कराना चाहती है, लोग मजबूरन चोरी करेंगे, मैं स्पष्ट कहता हूं कि वह चीज की जाय जिससे हमारी ईमानदारी बनी रहे और हम ईमानदारी से टैक्स देते रहें और हर काम में सरकार का सहयोग देते रहें बजाय इसके कि जिस तरह से हमारे मुल्क में व्यवसायी लोग बेईमानी करके टैक्स बचाते हैं, उसी तरह के तरीके हम इस्तेमाल करें और हमें उसके लिये मजबूर किया जाय। कृषि के व्यवसाय के लोगों को मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप उन तरीकों को इस्तेमाल करने के लिये मजबूर न कीजिये। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और सदन से कहूंगा कि उस पर वह विचार करे।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं तो असल में सरकारी पक्ष को सुनने के बाद ही बोलना चाहता था लेकिन.....।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं तो बोलने के लिये खड़ा होने वाला था लेकिन जब माननीय विरोधी दल के नेता को मैंने उत्सुक देखा तो मैं स्वयं बैठ गया हालांकि मैं चाहता था कि कुछ बातों को मैं स्पष्ट कर दूं।

माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने जो कहा कि हर हालत में ४,२०० महफूज रहने चाहिये और यह भी कहा कि ३,५०० के ऊपर १ रुपया भी अगर बढ़ जायगा तो ११७ या न मालूम कितने रुपये टैक्स और बढ़ जायगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है.....।

श्री राजनारायण—मैं यह जानना चाहता हूं कि ४,२०० के बाद एक रुपया बढ़ने से १,५०० को छोड़ कर ३,५०० पर टैक्स पड़ेगा या नहीं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं यही स्पष्ट कर रहा था कि १,५०० के ऊपर अगर एक रुपया बढ़ेगा तो उसके आगे जो उस में दिया गया है कि "यह दरें निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन हैं—

(ख) देय कृषि-आय-कर किसी भी दशा में पूर्ण कृषि-आय-कर की उस धनराशि के आधे से अधिक न होगा जो ४,२०० रु० से अधिक हो।

यानी अगर मान लिया जाय कि ४,२०१ रुपये आय है तो जो ४,२०० से ऊपर १ रुपये है उसके आधे से अधिक न होगा। अगर ४,२५० है तो ५० जो ४,२०० के ऊपर है उसके आधे यानी २५ रुपये से अधिक उसको नहीं देना होगा। इसलिये जो आपकी आशंका है वह तो निर्मूल है। रह गया कि जिनकी आमदनी बढ़ती जाती है उसी हिसाब से दर बढ़ता जाता है तो यह तो एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि अधिक आमदनी वाले पर ही टैक्स का बोझ अधिक पड़ना चाहिये। ४२ सौ को हमने यों छोड़ दिया और उसके ऊपर हमने यह प्रतिबन्ध बना दिया कि जो उसके ऊपर होगा

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

जितना अधिक होगा उसके आधे से ज्यादा उसको नहीं देना पड़ेगा। तो ४२ सौ में से भी निकल जायगा यह बात नहीं है। उनकी जो जायद आमदनी ४२ सौ के ऊपर होगी उसका और उसमें से भी कुछ हिस्सा मुल्क के लिये और जन साधारण के कल्याण के लिए आप देते हैं और इस जायद आमदनी में से कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में देने का बोझ उनके जिम्मे आना चाहिये यह अन्याय की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि अब उनका सन्देह दूर हो गया होगा कि ४२ सौ की आमदनी पर कुछ नहीं पड़ेगा और ४२ सौ ज्यादा होने पर जो जायद आमदनी है उसका कुछ हिस्सा ही पड़ेगा और इस ४२ सौ में से कुछ नहीं जायगा। यह अलग बात है कि यह दरें नहीं होनी चाहिये और बड़ों के लिये बढ़ी हुई दरें रखी गई। यह दूसरी बात है कि वह दरें देनी चाहिये या नहीं यानी यह कहना कि बोझ से दबकर वह छोड़ देंगे यह इससे मिलता नहीं है। जब हम उनकी ज्यादा आमदनी का कुछ हिस्सा लेते हैं तब उनके छोड़ने का सवाल तो उठता नहीं है। फिर हमने जो दरें उनके ख्याल से जायद रखी है उसके लिये माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने जो अपना संशोधन रखा उसके जरिये से वह कम करना चाहते हैं। वह भी हम मुनासिब नहीं समझते हैं इसलिये कि हमने पहले ही से ४२ सौ तक टैक्स फ्री कर दिया है तो गरीब तो इससे एफेक्टेड होते नहीं हैं। ४,२०० के ऊपर आमदनी वाले उस अंश तक एफेक्टेड होते हैं। १,५०० उनके लिये भी टैक्स फ्री है लेकिन जितना ज्यादा वह पैदा करते जायेंगे उस अंश तक उतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर अपने प्रदेश की है, अपनी जनता की है और उसमें उन्हें हाथ बटाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये। समय और गति के अनुसार और जो मौजूदा टैक्स लगाने की प्रणाली है उसको ध्यान में रखते हुये, मैं यह निवेदन करूंगा कि वह आपत्ति मानने के काबिल नहीं है और यह भवन इसे स्वीकार करेगा।

श्री राजनारायण--पांच हजार रुपया जिसकी आमदनी होगी, आपके हिसाब के मुताबिक उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अगर पांच हजार की आमदनी होती है तो उस पर १,५०० निकाल दिया जाय। ३,५०० बचेगा और ३५०० पर एक आने के हिसाब से लगा लीजिये। जो हिसाब आयेगा वह २१८ रुपये १२ आने होगा।

†**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय अवधेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमान्, मैं कल से बहुत ध्यानपूर्वक अपने माननीय मित्र श्री अवधेश प्रताप सिंह और माननीय वीरेन्द्र शाह जी के भाषण सुनता रहा हूं और मैंने इस बात की चेष्टा की कि मैं उनके दृष्टिकोण को समझ सकूं और टैक्स प्रणाली के सम्बन्ध में उनके दृष्टिकोण से अपने को सहमत कर सकूं। लेकिन मैं इस बात में अपने को पूर्णतया असमर्थ पाता हूं। वह जिस प्रकार का टैक्स चाहते हैं उसका ढांचा क्या है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मैं उनके भाषणों से इस बात का अंदाज नहीं लगा पाया हूं कि इस प्रदेश में हमारा संयुक्त दल या माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी किस प्रकार का टैक्स चाहते हैं। जहां तक एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स का ताल्लुक है मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आया इसको वह एक प्रोग्रेसिव टैक्स समझते हैं या रिग्रेसिव टैक्स समझते हैं। आज किसी भी देश में, किसी भी राज्य में अगर कोई टैक्स लगाना पड़ता है और अगर वह लोक कल्याणकारी राज्य है, इस भावना से काम

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करता है तो उन्हें प्रत्येक टैक्स इस आधार पर नापना पड़ता है कि आया वह प्रगतिशील टैक्स है या नहीं। इतना मैं समझ पाया हूं कि जनप्रिय सरकारों ने, जनतांत्रिक सरकारों ने जहां कहीं भी एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगाया है, जिस प्रकार लगाया है, अगर उसकी वसूली का ढंग ठीक है तो एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स एक प्रगतिशील टैक्स माना जा सकता है। आप उत्तर प्रदेश का ही एक उदाहरण लें। माननीय मंत्री जी ने जो भाषण सदन में दिया और उसमें जो आंकड़े दिये उसमें उन्होंने हमको बतलाया कि यहां कुल १४,००० होल्डिंग्स ऐसी हैं कि जिन पर ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगता है, लगभग १४,००० होल्डिंग्स। तो आप देखें कि डेढ़ करोड़ होल्डिंग्स यू० पी० की जो हैं, सवा करोड़ से लेकर डेढ़ करोड़ तक, उनमें से केवल १४,००० होल्डिंग्स पर एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स पुराने विधेयक के अनुसार लगता था। अब नये विधेयक के अनुसार, जिसमें कि लिमिट ३,००० से बढ़ा कर ४,२०० कर दी गई है, होल्डिंग्स की संख्या और घटने वाली है। तो मैं समझता हूं कि केवल आठ या दस हजार होल्डिंग्स पर ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगने वाला है। इसके बाद दूसरी बात जो है, जैसा कि माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने कहा नयी जोतों के बारे में, तो इस विधेयक में यह है कि—"किन्तु, प्रतिबन्ध यह है कि भूमि व्यवस्था कमिश्नर यह आदेश दे सकता है कि नवजोत भूमि को आय लाने के निमित्त कुछ निर्दिष्ट वर्षों तक के लिये ऐसा गुणांक रखा जाय तो अपेक्षाकृत ऐसी कम संख्या हो जो नियत की जाय"।

तो जो नयी जोत की भूमि है जिसमें कि आमदनी या तो बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है... उसमें कुछ सालों के लिये तो गुणांक को कम करने के लिये एक अधिकार भूमि व्यवस्था कमिश्नर को दिया गया है। इसके अलावा अगर प्राकृतिक विपत्ति आ गई हो, बाढ़ आ गई हो, या अनावृष्टि हुई हो तो उसका भी प्रबन्ध इसमें किया गया है कि "कृषि सम्बन्धी विपदाओं के निमित्त ऐसी कटौतियों के पश्चात् जो नियत की जायं" यानी ऐग्रीकल्चरल कैलेमिटीज़ के लिये प्रोवाइड किया गया है या जिस तरह से बड़े-बड़े फार्मर बचना चाहें सरकार ने सारी मदद पहुंचाने की कोशिश की है। अगर नई तोड़ जमीन है तो कुछ साल छूट हो जायगी, मल्टिपिल नहीं बढ़ायी और जो निश्चित धनराशि थी वह ४,२०० कर दी है। तो अगर माननीय अवधेश प्रताप जी इसको प्रोगेसिव टैक्स समझते हों और हम यह समझते हों कि केवल १० हजार होल्डिंग्स पर इसका भार पड़ने वाला है और उन पर भी एग्रीकल्चरल कैलेमिटीज़ वगैरह होने के कारण कटौती होने वाली है तो मैं नहीं समझता कि किस आधार पर इन दरों को बढ़ाना चाहते हैं और विशेष तौर पर जब आशन मिला हुआ है बड़े-बड़े फार्म्स को। इतनी सुविधायें होने के बाद मैं नहीं समझता कि किस प्रकार हमारे माननीय सदस्य इन दरों को भी अब बदलना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। यहां पर मैं एक बात साफ कर दूं कि हमारे कहने का अर्थ यह नहीं है कि सरकार का ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स विधेयक बहुत स्पष्ट है। इसमें कुछ बुनियादी खामियां हैं। इनको मैं समझता हूं कि सरकार को जिस समय मौका मिला तो उनको दूर करेगी और मुझे विश्वास है कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन इन खामियों को दूर करेगा।

इन्कम टैक्स में हमने देखा केवल महावीर त्यागी जी की एक अपील के बाद डेढ़ अरब रुपया छुपा हुआ निकला। तो इसी प्रकार इसको इवेड किया जाता है और किस प्रकार इसकी धाराओं पर भ्रष्टाचार के साधनों के जरिये कुठाराघात किया जाता है, इसमें संशोधन होंगे। और जो संशोधन अवधेश जी ने प्रस्तुत किया है इससे अच्छा तो यह होता कि वह यह संशोधन करते कि ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाय क्योंकि जिस छूट को उन्होंने रखा है उसके अनुसार तो न ऐग्रीकल्चरल टैक्स प्रोग्रेसिव मानते हैं न वह कोई टैक्स देने की बात सोचते हैं और अगर नई रेट मान ली जायं तो मैं समझता हूं कि नई रेट लागू करने के बजाय तो सरकार को ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिये।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—मैं माननीय नारायण दत्त जी के अनुसार कल से राजा साहब तथा अवधेश प्रताप सिंह जी के भाषणों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और मैंने यह अनुभव किया कि जिस प्रकार अवधेश प्रताप सिंह जी को यहां पर प्रतीत हुआ कि इस तरफ के कुछ लोग येन केन प्रकारेण अखबार में उनके नाम आवें इसलिये वे भाषण करते हैं, तो मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा कि वह जो बातें कर रहे थे उसका मतलब यही था कि येन केन प्रकारेण उनको एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स न देना पड़े, इस ओर वह प्रयत्न कर रहे थे। आपने इसके संबंध में दौरान अपने भाषण में बहुत सी बातें बतलायां और राजा साहब तो इस हद तक चले गये कि उन्होंने यह कहा कि सरकार उनको बेईमानी करना सिखाती है। मैं आपके द्वारा नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स हमारे प्रांत में प्रथम बार सन् १९४९ में पारित किया गया और यह आशा की गई कि उस समय के जमींदार और ताल्लुकेदार जो यहां पर थे वह ईमानदारी से और सच्चाई से जितनी प्राप्ति उनको हुआ करती थी उसे दिखावेंगे और कर दिया करेंगे। लेकिन हमने और सब लोगों ने यह अनुभव किया कि उन्होंने जो हथकंडे दिखाये थे उसका नतीजा यह हुआ कि सन् १९५३ में जाकर ऐक्ट नम्बर ३, १९५३ पास करने की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने क्या करना शुरू किया कि बहुत सी अपनी जमींनें अपने संबंधियों को, अपने नौकरों को या और जो साथी लोग थे उनको हस्तांतरित करना शुरू किया। और आप यह पायेंगे कि ऐक्ट नम्बर ३ में इन सब चीजों का ध्यान रख कर ऐसे कुछ संशोधन किये गये कि उनके हस्तांतरण में रुकावट पड़ी।

राजा वीरेन्द्र शाह—उपाध्यक्ष महोदय, भाषण ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स पर हो रहा है या जमींदारी अबालीशन पर।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ)—मैं यह कह रहा था कि सरकार बेईमानी करना नहीं चाहती है अगर किसी की तरफ से होती तो उसको रोकने के लिये कानून पास करने की आवश्यकता समझती है। मैं आपके द्वारा यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से साफ और सीधा रास्ता दिखाया जा रहा है और यदि कहीं ऐसा रास्ता दिखाई पड़े जहां बेईमानी होती है तो उसको रोकने का सरकार की तरफ से प्रयत्न किया जाता है।

दूसरी बात राजा साहब ने यह बतलाई कि उनको बाध्य किया जा रहा है कि वह अपनी जायदाद बेच डालें। मैं उनसे आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ईमानदारी से जितनी प्राप्ति उनको होती है उसके अनुसार एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स देते रहेंगे और अपना जीवन एक नागरिक की तरह से व्यतीत करेंगे तो उनको अपनी जायदाद बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन उन्हें बेचना तभी पड़ेगा अगर पुराने जमाने में जिस तरह से जीवन व्यतीत करते थे, जिस तरह आराम और ऐश से जीवन व्यतीत करते थे उसमें कमी नहीं करेंगे। दुनिया जिस तरह से चल रही है और प्रत्येक नागरिक जिस ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीवन व्यतीत करता उसी तरह से अगर आप करेंगे तो उनको जायदाद बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो अपनी जायदाद बेचना चाहता है उसको कौन रोक सकता है। जिस समय अंग्रेजी राज्य के जमाने में जमींदार और ताल्लुकेदार उनके बड़े लाडले थे और उनका एक खास स्थान था तो क्या उस समय उन्होंने अपनी जमीन और जायदादें नहीं बेंची। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय १९३५-३६ में यू० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट ऐक्ट पास हुआ उसके बाद आप देखें उससे फायदा लेने के लिये कितने जमींदार और ताल्लुकेदारों ने कितनी दरख्वास्तें और मुकदमें दायर किये। इससे यह मालूम होता है कि यह जायदादें टैक्स की वजह से नहीं बिका करतीं बल्कि जो एक मनुष्य का जीवन स्तर होता है उससे भिन्न तरह से जीवन व्यतीत करने से जायदाद बिका करती हैं।

मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है और कोई देश कल्याणकारी राज्य की तरह से चलना चाहता है तो प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है, कि वह उस राज्य की कुछ मदद करे। इस अधिनियम की मंशा यह है कि प्रत्येक नागरिक हमारे राष्ट्र के उत्थान में सहायता करे और जो प्राप्ति करे उसका कुछ अंश दे। आज या कल शायद इस भवन में यह कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब अन्न उत्पन्न करो आन्दोलन चलाया तो उसमें ताल्लुकेदारों और जमींदारों ने उनकी सहायता की तो उन्होंने उसकी सराहना की, बिल्कुल ठीक है क्योंकि उन्होंने अन्न ज्यादा उत्पन्न किया और इस तरीके से देश को सम्पन्न बनाया, यह प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा। लेकिन इसके माने यह नहीं है कि आप ज्यादा प्राप्ति करें और राष्ट्र को कुछ हिस्सा न दें। यह माने नहीं होते हैं, अगर यह मतलब आपने निकाला तो बड़ी भूल की। मंशा तो यह है कि हमारा देश समृद्धिशाली हो, हमारे देश में अनेक प्रकार के उद्योग बढ़ें और हमारे देश में अनेक प्रकार खेती की उन्नति हो, इससे हमारे देश की पैदावार बढ़े और इसके साथ-साथ हमारे राष्ट्र की और देश की सहायता उन लोगों की तरफ से होनी चाहिये जो ज्यादा प्राप्ति करेंगे यह उनकी मंशा है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, कि यह संशोधन जो है वह आज देश जिस रास्ते से चल रहा है उस रास्ते में रुकावट डालने वाला है। आपका मंशा तो इस संशोधन के द्वारा यह है कि यदि आय ज्यादा हो तब भी कम देना पड़े। जितना मिले, ज्यादा से ज्यादा ले लें, लेकिन सरकार को कुछ न दो, यह आपका मंशा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ी घातक इच्छा है और इसको कभी सफलीभूत नहीं होने देना चाहिये। सरकार ने जिस तरीके से इस अधिनियम में दर निश्चित की है यह उचित और मुनासिब है और ये शब्द कह कर मैं इस संशोधन का घोर विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह तो जो खंड ८ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित संशोधन आया है, इसी संबंध में निवेदन करना है। मगर आपके द्वारा पहले ही यह मैं नम्र निवेदन कर दूं कि माननीय राजस्व मंत्री बाद में आये हैं और वह अपने दल के सम्मानित सदस्यों के भाषण सुने नहीं होंगे। तो हमको जरा टोकने की बहुत जल्दी कृपा नहीं करेंगे। बस इतना ही निवेदन है।

अब श्रीमन्, नारायण दत्त जी ने तो बहुत स्पष्ट ही कह दिया कि अवधेश प्रताप सिंह का जो संशोधन है, यदि वह मान लिया जाय तो एक तरीके से यह जो विधेयक है यही अर्थहीन हो जाता है। लेकिन इसके बाद सरकारी पक्ष के सदस्यों द्वारा कल्याणकारी राज्य, लोकतंत्र टैक्सेशन की पालिसी और ताल्लुकेदार और निजी संपति, पर सारी बातें हो गयीं। मैं तो श्रीमन्, चाहता हूं और आप तो जानते हैं कि अक्सर सदन में बहुत से ऐसे नियम हैं जिनको मुझे मान कर चलना पड़ता है, मगर हमारी इच्छा कभी नहीं रहती उनको मानने की, और मैं कहता रहा हूं कि सदस्य के जो भाव हों उनको प्रगट करने के लिये अच्छे से अच्छे शब्दों का वह प्रयोग करे, यह मैं चाहता हूं। हमारे शुक्ल जी ने और हमारे दूसरे सम्मानित सदस्यों ने जिन-जिन भावों का उदगार कर दिया बड़ा अच्छा किया, हमें कोई एतराज नहीं। इसीलिये हम कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठाते। कभी-कभी जब सरकारी पक्ष के लोगों को देखते हैं कि प्वाइन्ट आफ आर्डर, बिना प्वाइन्ट आफ आर्डर के उठाने लगते हैं तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी टोकें ताकि वह आगे हमें न टोक सकें।

तो मैं अर्ज करूंगा कि कोई भी चीज इसमें ऐबसाल्यूट (अपने में पूर्ण) नहीं है। न तो ३,००० से ४,२०० करना-जरा द्वारका प्रसाद जी गौर से सुनें, न तो साढे बारह गुना, न तो १० गुना और न साढे सात गुना, इन सारे संशोधनों पर जो पहले आ चुके थे, सब पर चर्चा कर दिया गया। तो इसको देखा जाय कि अगर सरकार की ओर से ३,००० के बजाय ४,२०० का संशोधन

[श्री राजनारायण]

न आया होता, केवल एक लाइन में साढे १२ के स्थान पर हटाकर कम कर दिया गया होता तब भी तो वही मतलब आया होता न? मैं रहस्य खोल दूं, माननीय चरण सिंह साहब समझ लें।

मालमंत्री (श्री चरण सिंह)--बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री राजनारायण--आप यह देखिये कि किस संख्या का साढे बारह गुना ४,२०० आता है और किस तादाद का साढे सात गुना ४,२०० आता है। और किस संख्या का १० गुना ४,२०० आता है। इनको देख लिया जाय तो सारा हिसाब साफ हो जाता है, यानी ३,००० सीमा रखने का औचित्य साफ हो जाता है बहुत से लोगों ने कहा कि कल १० गुने का संशोधन आ गया, अभी गेंदा सिंह जी ने कहा, तो ठीक है। अगर ३,००० की छूट की रकम और १० गुना गुणांक हो तो ३०० रुपया तक मालगुजारी देने वाले को छूट हो जायगी क्योंकि तीन सौ रुपये का दस गुना तीन हजार हो जाता है। उस तरीके से अगर आप समझ लीजिये साढे सात गुना रहे तीन हजार का तो चार सौ रुपये की छूट हो जाती है यानी तीन हजार रहता, उस को बढा कर विधेयक में ४,२०० न कर दिया गया होता, केवल गुणांक कम कर दिया गया होता, साढे सात गुना ही कर दिया गया होता तब भी चार सौ रुपया लगान देने वाले को छूट हो जाती। इस समय जैसा विधेयक है, श्रीमन्, ३३६ रुपये तक लगान देने वाले को छूट हो जाती है तो सरकार अगर और सहूलियत देना ही चाहती थी तो उस बारह को आठ कर दिया होता, दस कर दिया होता। यह केवल कहने के लिये कह दिया जाता है कि साढे सात गुना ही बड़ा खराब है, और दस गुना मानने से इसमें सिद्धांत खत्म हो जाता है, साढे १२ गुना ही माना जाय तब सिद्धांत बनता है, यह सब कहीं कोई बात नहीं है। असल में माननीय राजस्व मंत्री के दिमाग में एक बात आयी कि इनकम टैक्स की रकम जो ४२ सौ रखी है उसको रख दो। अब ४२०० रख कर उसके आधार पर उसमें संशोधन होने लगा। अगर यह देखा जाय कि सरकार की ओर से क्या बात रखी गयी है और यह संशोधन जो है उसका क्या मतलब होता है, हिसाब का सवाल है, हिसाब लगा करके देख लें कि कितने किसानों को इससे छूट होती है, कितने किसानों को छूट नहीं होती। अगर यह विधेयक बिना किसी संशोधन के ही पास हो जाय तब भी जिन किसानों की जिन्दगी का सवाल है उनकी जिन्दगी पर कोई बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है क्योंकि जैसा यह विधेयक है मैंने राजस्व मंत्री जी से निवेदन किया था परसों और कल, अफसोस है कि मैं सदन में प्रस्तुत नहीं था।

(इस समय ४ बजकर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

वर्ना अगर कल सरकार की ओर से वह आंकड़े दे दिये गये हों तो मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। तो ३३६ रुपये तक इस समय जो छूट होती है और २४० तक की छूट जो पहले के ऐक्ट के मुताबिक होती थी इन दोनों के बीच में कितने किसान ऐसे आते हैं जिनको फायदा होगा यह आंकड़े सरकार की ओर से अभी सदन में प्रस्तुत नहीं किये गये।

श्री चरण सिंह--कोई आंकड़े हैं नहीं, ऐसे।

श्री राजनारायण--तो सरकारी पक्ष के भी लोग जान लेते और सदन के सब सम्मानित सदस्य जान लेते कि किस तरीके से इस विधेयक को ले कर किसानों के कल्याण के लिये सहूलियत दे रहे हैं। मेरा स्पष्ट मत है कि यह जो विधेयक आया है इस विधेयक में, केवल इसके कि तमाम सदस्यों को दो तीन दिन तक वादविवाद करने का मौका दे दिया और इसको हम बिलकुल जो जन कोष है उसका दुरुपयोग ही मानते हैं क्योंकि इससे बनने बिगड़ने वाला तो कुछ है नहीं। आपकी सेवा में भी लिंक (कड़ी) मिलाने के लिये मैं एक वाक्य में कह दूं कि अगर सरकार की ओर से यह आ गया होता कि जहां साढे बारह का गुणांक है वहां दस कर देते हैं तो उसी में सारा मामला बन जाता क्योंकि तीनों का तारतम्य है। सरकारी पक्ष की ओर से ४२ सौ

को ऐबसोल्यूट (स्वतःपूर्ण) मान कर किसी के रिलेशन में नहीं रखेंगे। १२।। गुना ऐब्सोल्यूट मान कर किसी के रिलेशन में नहीं रखेंगे, तीस हजार को भी ऐब्सोल्यूट मान कर किसी के रिलेशन में नहीं रखेंगे और जितने संशोधन आयेंगे उनको रिऐक्शनरी (प्रतिगामी) कह देंगे। ऐसी हालत में हम वस्तु स्थिति को देखें और वस्तु स्थिति को देखेंगे तो राजस्व मंत्री जी भी और माननीय मौर्य जी भी इस बात को मान लेंगे कि यह विधेयक जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है यह अनावश्यक था।

इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी उद्देश्य की पूर्ति दूसरे तरीके से विधेयक को लाकर हो सकती थी। सिलेक्ट कमेटी में बैठ कर हम और आप तै कर लेते और इस सम्मानित सदन का यह तीन दिन का समय बचा लेते। यह तभी हो सकता है जब हम लोग एक दूसरे की बात मानने के लिये प्रयत्नशील हों। हठवादिता पर न अड़े रहें। जो त्याज्य हो उसे त्यागें और जो ग्राह्य हो उसे ग्रहण करें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं आपकी आज्ञा से एक प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। यह चीजें तो सब तै हो चुकी हैं। साढे १२ गुना तै हो चुका। अब उन चीजों का दोहराना कि साढे ७ गुना होता तो अच्छा था, ३,००० हुआ होता तो अच्छा था वे तमाम चीजें दोहराई जा रही हैं कि इस संशोधन से संबंधित नहीं हैं। जिस संशोधन का माननीय सदस्य विरोध कर रहे हैं अगर उसी तक अपने भाषण को सीमित रक्खें तो सदन का समय बच जायगा।

श्री अध्यक्ष—हां, यह बात ठीक है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो संशोधन सामने है उसी पर बोलें तो मुनासिब होगा।

श्री राजनारायण—मैं उसी पर बोल रहा हूं। संशोधन के विरोध में सरकारी पक्ष की ओर से जितनी बातें कही गई उन्हीं के ऊपर प्रकाश डाल रहा था। उस समय उदारता के साथ हमने मौर्य जी को समय दिया था और मौर्य जी ने उस समय क्या क्या कहा था इस पर वे स्वयं सोचें, कम से कम नजदीक तो उसका कोई अर्थ लगता नहीं।

मैं यह कह रहा हूं श्रीमन्, कि अवधेश प्रताप सिंह जी के संशोधन का मैं विरोधी हूं। सरकारी पक्ष ने जिन भावों को व्यक्त किया माननीय शुक्ला जी (प्रतापगढ) तो चले गये जिन्होंने अवधेश प्रताप जी के संशोधन का विरोध किया था मैं उन भावों और मानों में तो इस समय जाना नहीं चाहता कि वे क्या भाव थे लेकिन उस संबंध में विशेष न कह कर केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन उद्गारों को व्यक्त किया गया और जिन इंडिविजुअल केसेज (व्यक्तिगत मामले, को ले कर भावों को व्यक्त किया गया कि माननीय अवधेश प्रताप जी को इससे यह फायदा होगा, अवधेश प्रताप जी ने सेक्शन ३ के मातहत न जाने कितनी जमीनें बेच दीं और पट्टे दे दिये और जहां तक कि शब्द बेईमानी का प्रयोग किया गया राजाजगमनपुर के लिये मैं उन भावों को ग्रहण करने के लिये तैयार नहीं हूं, मैं इन चीजों पर जाना नहीं चाहता कि अवधेश प्रताप सिंह जी ने या राजा जगमनपुर ने कहीं कोई बेईमानी की . . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा कि आप उसे रिपीट करें।

श्री राजनारायण—मैं तो चाहता हूं कि आप किसी को इजाजत न दें। मैं इतना ही निवेदन कर दूं कि यह जो सारे दोष हैं या त्रुटियां हैं इसकी जिम्मेदारी सरकार पर भी कुछ है। क्या सरकार अपनी कुछ जिम्मेदारी नहीं समझती। जो कानून बना है, उस कानून में तो यह गुंजाइश है कि अगर कोई बात छिपाना चाहे तो छिपा लें, अपनी जमीन को बेच दे या उसका डिविजन (बटवारा) कर दे, या दूसरों के नाम पट्टा कर दे, इन सारी बातों की गुंजाइश सरकार की ओर से ही तो कानून के अन्दर दी हुई है और जब जब विरोधी पक्ष की ओर से मैंने इसके बारे में

[श्री राजनारायण]

आवाज बुलन्द की तो यह कहा कि ये तो विरोध के लिये विरोध करते हैं। लेकिन आज सरकारी पक्ष के लोग उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं मगर उन्होंने उसका आधार बनाया राजा साहब जगमनपुर और अवधेश प्रताप सिंह को।

श्री अध्यक्ष--यह विषय नहीं है।

श्री राजनारायण--मैं आ रहा हूं खंड ८ के इस संशोधन पर "पूर्ण कृषि आय के प्रथम १५०० रु० पर कुछ न हो"। अवधेश प्रताप जी और वीरेंद्र शाह के मतानुसार पूर्ण कृषि आय के प्रथम ४२०० रु० पर कुछ नहीं। इन दोनों का फर्क देख लिया जाय कि कितने का फर्क पड़ता है। मैं श्री अवधेशप्रताप सिंह जी के संशोधन का विरोध क्यों करता हूं यह मैं उनको बतलाना चाहता हूं। श्री अवधेश प्रतापसिंह को खुद समझ लेना चाहिये था कि सोशलिस्ट पार्टी उनके संशोधन का विरोध करेगी क्योंकि हमने जो ३ हजार की रकम को ४२०० से आगे बढ़ने नहीं दिया। उनको समझ लेना चाहिये था कि हम विरोध में हैं क्योंकि अगर हिसाब लगाया जाय तो सरकार की ओर से जो विधेयक है उसके अनुसार १५०० रुपये तक तो कुछ नहीं है और यह भी कहते हैं कि ४२०० रुपये पर कुछ नहीं होना चाहिये। तो फिर कितना फर्क पड़ता है। हमने हिसाब लगाया तो २१२।। रुपये का फर्क पड़ता है और इतना टैक्स पड़ जाता है उनको हम नहीं देना चाहते हैं। वह किसको देना पड़ेगा जो गरीब हैं और जो असहाय अवस्था में नहीं है उनको नहीं देना पड़ेगा। उसमें बहुमत में उत्पादक शरीक नहीं है बल्कि हमारे मत के अनुसार भारत में उनको हम शोषक वर्ग में लेते हैं। आज कौन पीड़ित है? जिनका राजनैतिक शोषण हो, जिनका आर्थिक शोषण हो, जिनका उत्पादक के नाते पीडन हो और जो व्यक्तिगत सम्पत्ति के बन्धन से मुक्त हो यह पांच बड़ी बड़ी शर्तें हैं जो किसी तबके के लिये क्रांतिकारी कसौटी होती है और सब से बड़ी बात उनमें संगठन होता है। आज हमारे सामने वही क्रांतिकारी तबका है जो समाज के ढांचे को बदलना चाहता है जो उसका सुधार करना चाहता है और उसके लिये वास्तविक प्रयत्न करना चाहता है। इससे माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी का संशोधन मान लेने में देश का फायदा नहीं होता है। अवधेश प्रताप जी इस बात को भी समझ लें कि हम जो विरोध करते हैं वह किसी सिद्धांत के आधार पर करते हैं। राजा वीरेंद्रशाह ने कहा था कि यह विरोधी पार्टी क्यों हमारा विरोध करती है। जब यह गवर्नमेंट में आयेगी तब हमारा विरोध करेगी तो समझ में आयेगा किन्तु इतने दिनों के स्पष्ट चरित्र से भी उनका भ्रम दूर नहीं हुआ। तो मैं आपके द्वारा उनका भ्रम दूर करना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी कभी अवसरवादिता के चक्कर में नहीं पड़ेगी। हम तो उसी बात को कहना चाहते हैं जिसको बारबार कह चुके हैं। हम सरकार में जाने पर कर पायेंगे या नहीं लेकिन हम उसी बात को कहते हैं जिसको कर सकने की क्षमता हम रखते हैं। अगर हम दूसरी बात कहते तब तो दूसरी बात थी कि जब हम विरोध में है तब दूसरी बात कहते हैं और जब सरकारी पक्ष में जायेंगे तो दूसरी बात कहेंगे यह बात नहीं हो सकती है क्योंकि स्पष्ट है।

हमारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में कोचीन की फायरिंग को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक उदाहरण यह माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने देखा जो कि कोचीन में हुआ और जिसकी वजह से हमारे जनरल सेक्रेट्री श्री राम मनोहर लोहिया को त्यागपत्र देना पड़ा। मैं उनसे विनम्रता के साथ यह निवेदन करूंगा कि कि अच्छा हो यदि आप अपने संशोधन को वापस ले लें क्योंकि जिस प्रकार से हम सरकार को हठवादिता के चक्कर में फंसी हुयी ठहराते हैं उनको उस तरह से नहीं ठहरायेंगे।

दूसरी बात यह है कि अगर आप तुलना करें और हिसाब लगायें कि इस ३५०० में से अगर १५०० को निकाल दिया जाय तो २,००० बचता है और अगर ४२०० में से ३५०० को निकाल दिया जाय तो ७०० बचता है और इसके ऊपर २ आना के हिसाब से और जोड़ दें और हिसाब लगायें तो कई हजार और लाख का फर्क पड़ जाता है और वह रुपया उन गरीबों को

नहीं मिलेगा कि जिनको यह मिलना चाहिये। इसी कारण से हमने अवधेश प्रताप सिंह जी के संशोधन का विरोध किया है और उनसे साफ कह दिया कि इसको वापस लें लेना चाहिये।

दो, एक बातें सरकार के लिये भी कहना चाहता हूं इस वजह से कि कहीं सरकार यह न समझ ले कि इस विधेयक में जो प्रस्तुत है उस सबको हम मानते हैं। उनके लिए हम इतना ही कह रहे हैं कि 'निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन' ऊपर जो बातें हैं उनके बारे में माननीय द्वारका प्रसाद जी ने साफ किया कि अगर ४२०१ रुपया हो जायगा तो ८ ही आना टैक्स लगेगा। यानी वह १५०० का हिसाब खत्म हुआ, ३५०० का हिसाब खत्म हुआ और १० आने का हिसाब खत्म हुआ, महज उस पर आठ आना पैसा लग जायगा यह किस हिसाब से लग जायगा, माननीय राजस्व मंत्री जी इसको साफ करें। अन्त में दिया हुआ है :—

"यह दरें निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन हैं:—

(क) उस पूर्ण कृषि आय पर कोई कृषि आय कर देय न होगा जो ४२०० रु० से अधिक न हो और

(ख) देय आयकर किसी भी दशा में पूर्ण कृषि आयकर की उस धनराशि के आधे से अधिक न होगा जो ४२०० रु० से अधिक हो।"

यानी इसकी दो कसौटियां रक्खी गई हैं। एक कसौटी तो माननीय मौर्य जी ने यह बतलाई कि ४२०० रुपया से जितना भी ज्यादा रकम होगी उसकी आधी रकम से कभी भी ज्यादा टैक्स नहीं लग सकता। दूसरी बात यह कि १५०० रुपये पर कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा तथा ३५ रुपये पर एक आना लगेगा और ३५०० से १०,००० तक दो आना लगेगा। तो ४२१० रुपया जिसका होगा उस पर कौन से हिसाब से टैक्स लगाया जायगा। इसको सरकार को हिसाब बना कर ब्योरे से समझाना चाहिये था इसका गौरव नहीं करना चाहिये था कि कोई चीज छिपी अगर रहेगी तो अन्त में खोल दी जायगी तो मालूम होगा कि बहुत बड़ी चीज कह दी। हम इस झूठे गौरव और अभिमान की भावना को पसन्द नहीं करते। हमको हर गुत्थी को खोलना चाहिये और सदन में हर चीज साफ, स्पष्ट, सरल और बिना पेचीदा भाषा के हमें रख देना चाहिये।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जब मैंने सम्मानित सदन के सामने उपस्थित किया तो मैं आशा करता था कि मेरा मन्तव्य और मेरे भाव को विपक्ष वाले समझ सकेंगे और मैंने उसके लिये प्रयास भी किया परन्तु श्रीमन् मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं पूर्णतया असफल रहा। इसमें मेरा ही दुर्भाग्य है, मैं किसी की शिकायत नहीं कर सकता परन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि जो बातें उत्तर में कही गयीं उनमें से बहुत सी बातों का मेरी कही हुई बातों से कोई सम्बन्ध न था। श्रीमन् माननीय मौर्य जी उसके लिये कोई दलील उपस्थित करने के लिये तत्पर नहीं थे। उनकी केवल एक ही इच्छा थी और उस इच्छा को उन्होंने केवल इतना कह कर स्पष्ट कर दिया कि इससे अधिक और कुछ कहने की आवश्यकता बाकी नहीं रहती। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि दरें अब कम नहीं होंगी और प्रस्तुत विधेयक के द्वारा जो दरें लगायी गयी हैं वही वे लगाना चाहते हैं तथा उन्हीं को वे स्थायी बनाना चाहते हैं। उनकी समझ में कोई परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं है। यह ठीक है और परिवर्तन हो या न हो, संशोधन करना वे आवश्यक समझते हों या न समझते हों लेकिन उनका

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

मोटिव विरोध करने का था और उन्होंने विरोध किया। तर्क उन्होंने कोई नहीं दिया इसलिये अब उनके किसी तर्क का प्रत्युत्तर देना मेरे लिये कठिन है। माननीय मंत्री महोदय अब विराजमान हैं और सम्भव है कि क्रोध के आवेश में वे बहुत कुछ कह डालें और माननीय राजनारायण जी का गुस्सा मेरे ऊपर ही उतारने के लिये तत्पर हो जायं।

श्रीमन्, उसके बाद माननीय नारायण दत्त जी आये और आश्चर्य के साथ मुझसे पूंछने लगे कि यह जो टैक्स है वह प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है यह बात उनकी समझ में नहीं आयी। सब कुछ कहने के बाद, तीन दिन के अथक परिश्रम के बाद भी मेरा मतलब क्या था और राजा वीरेन्द्र शाह जी का मंशा क्या था उसको वे समझ नहीं सके, यह शिकायत उनको बाकी रही। श्रीमन्, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर कसूर हो सकता है तो वह उनकी समझ का हो सकता है या यह भी हो सकता है कि वे समझते हुये भी इसको न समझने की बात कह रहे हों। तो इस बात के लिये उनको सर्वथा अधिकार है। क्या मैं माननीय नारायण दत्त जी से पूंछ सकता हूं कि जब इरीगेशन टैक्स में वृद्धि हो तब तो वहां टैक्स माना जाय और जब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की दर में, गुणांक में वृद्धि हो तो इसे प्रोग्रेसिव माना जाय? इस तरह से एक ही मुझसे कोई बात इस प्रदेश में कही जाय, इसे केवल हमारे समाजवादी भाई ही कह सकते हैं और इस तरह की बात कहने का उनको पूरा हक है। इस सम्बन्ध में माननीय राजनारायण जी बहुत कुछ कह चुके हैं। उनका प्रत्युत्तर मैं यथा समय दूंगा। अब वे मुझसे पूंछ सकते हैं कि प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव से क्या समझते हैं? अब मैं उनको क्या समझाऊं कोई भी टैक्स जो उस उद्योग के लिये या कृषि के लिये या उस प्रश्न के लिये जिसके ऊपर सम्पूर्ण भारत उत्साहित हो, हृदय से, मंशा से, वाचा से और कर्मणा से, अग्रसर हो, अपना कर्तव्य समझते हैं कि जिस तरह से हो कृषि की उन्नति की जाय। उन्नतिशील कृषि किसी देश के लिये और विशेषकर भारत के लिये एक परम आवश्यक वस्तु है। जब उस पर कोई टैक्स वृद्धि की जाय तब तो उनको कोई शिकायत नहीं लेकिन चूंकि माननीय अवधेश प्रताप सिंह ने इस संशोधन को पेश किया है जो कि भूतपूर्व ताल्लुकेदार थे लिहाजा उन्होंने कहा कि यह समाजवादी पार्टी के हित में नहीं है कि वह मेरे संशोधन के समर्थन में कुछ कहें। विरोध करना वे अपना परम कर्तव्य समझते हैं इसलिये ऐसी बातों को समझते हुए मैं उनको समझाना कतई मुनासिब नहीं समझता हूं। अगर यह बात उनकी समझ में नहीं आती तो उसका उपचार मेरे पास नहीं है। अगर उपचार हो सकता है तो माननीय राजनारायण जी के पास हो सकता है कि वे उनको अपने कमरे में ले जाकर समझा सकते हैं कि जो कुछ तुमने वहां कहा वह तो उचित था लेकिन वास्तविकता यह है और सम्भवतः मैं आशा करता हूं कि माननीय राजनारायण जी इतने उदार अवश्य होंगे कि वे माननीय नारायण दत्त जी को समझा दें कि हम लोगों का इससे क्या मन्तव्य था, क्या विचार है टैक्सेशन के विषय में और हम लोग क्या चाहते हैं? श्रीमन् माननीय नारायण दत्त जी ने इवेजन के बारे में भी कहा कि जिस तरह से इन्कम टैक्स में इवेजन होता है उसी तरह से इसमें भी हो सकता है लिहाजा कोई न कोई प्रतिबन्ध लगाना चाहिये जिससे लोग इससे मुक्ति न पा सकें और भाग न सकें। श्रीमन्, साथ ही साथ वह जो दलील पेश करते थे उन्हीं दलीलों को उन्हीं के सामने में रख दूं तो उन्हें कुछ कहने की गुंजायश न रहेगी। वह जरा ध्यान पूर्वक सुन लें कि ६ (२) (बी०) में यह है कि हर कर निर्धारण किया जायगा तो हिसाब किताब निर्धारक अफसर के पास दिखलाने के बाद निर्धारित कर उसको देना होगा जो सर्किल रेट या गुणांक के आधार पर होगा उसके लिये भी दूसरा रास्ता है। अब इस परिस्थिति में सरकार के ऊपर दोषारोपण करना साधारण सी बात है लेकिन क्या वह यह नहीं समझते कि हर करदाता जो जमीन रखता है उसका जो सारा हिसाब सरकार के पास दफ्तरों

में मौजूद है, उसको देखा जा सकता है और उसी वक्त गुणांक लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर निश्चित करेंगे जो अनुमानित होगा और सेक्शन १५ के अधीन पहले नोटिस के साथ भेजा जायगा। इसलिये यह स्पष्ट है कि हर करदाता की कृषि क्या है और उसको क्या कृषि-आय-कर देना होगा। इन सब बातों को देखते हुये रिवीजन का प्रश्न नहीं उठता। बागात के बारे में आज तक जो नीति सरकार की है वह किसी किसान के लिये हितकर नहीं थी. बल्कि ऐसी थी कि एक एक दरख्त पर जिस पर कभी फल भी न आता हो १५–१५ रुपये और २०–२० रुपये की आमदनी उसकी मानी गई जब कि पेड़ों पर बौर तक भी न आया।

एक माननीय सदस्य प्रतापगढ़ से जो शुक्ल जी आते हैं उन्होंने भी कुछ कहा। जो कुछ उन्होंने कहा उसको समझने में मुझे थोड़ी सी कठिनाई हुई। वह समझते थे कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट पर ही इस समय कोई वादविवाद सदन में चल रहा है और एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स की बात वह बिल्कुल भूल गये। उसके बाद उन्होंने ईमानदारी और बेईमानी का प्रश्न उठाना सदन में शुरू कर दिया। मैं इस बात पर प्रकाश डालना नहीं चाहता क्योंकि यह शब्द ही ऐसे हैं कि इनका प्रयोग चाहे सामायिक हो या असामयिक हो मैं यहां पर करना निन्दनीय समझता हूं और उनका प्रयोग किसी के लिये भी करना किसी भी माननीय सदस्य को शोभा नहीं देता। लेकिन इतना मैं अवश्य कहूं कि जो आदमी जिस तरह का होता है उसको दूसरों को भी उसी तरह को समझने में आसानी होती है।

माननीय राजनारायण जी मेरे संशोधन का विरोध कर रहे थे और उनके विरोध का आधार यह था कि वह मुझे उपदेश कर रहे थे कि मैं अपने संशोधन को वापस ले लूं। मैं इसको हठधर्मी नहीं तो क्या कहूं जैसे कहा है कि "पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिं ते नर न घनेरे।" मतलब यह है कि दूसरों को उपदेश करना तो आसान है और जो उस पर आचरण करते हैं उनकी संख्या अधिक नहीं है। उन्होंने कहा कि जनकोष का ध्यान रखा करें मैं उन्हीं से पूछता हूं कि वह जो सदन का समय हर विषय में लिया करते हैं उसके लिए रुपया जनकोष से नहीं तो और कहां से आता है? तीन दिन तक जो बहस होती रही, यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया था वहां भी विचार हुआ। वहां उनकी पार्टी के सदस्य जरूर रहे होंगे लेकिन श्री राजनारायण के दिल की बात उन्होंने अगर वहां प्रकट नहीं की तो उन्होंने गलती की कि उनके विचार उन्होंने वहां प्रकट नहीं किये। श्रीमन्, अब वह उठ कर चले गये तो मैं अब कोई तजकिरा नहीं करूंगा लेकिन जब वह होते हैं तब मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि जनकोष पर अवश्य विचार किया करें और दोनों दलों पर थोड़ी अनुकम्पा करें। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे स्वयं ही विराजमान हैं और मैं कोई दोषोरोपण नहीं कर सकता कि वे हठधर्मी करते हैं लेकिन यह तो अवश्य ही कह सकता हूं कि वह दूसरों की बात सुनने के लिये तैयार तो हो जाते हैं लेकिन उनको मानने में उनको कठिनाई रहती है। मैं चाहता हूं कि मैंने जो कुछ कहा है उन सब पर वह विचार कर लें और अगर मेरे संशोधन को वह थोड़ा सा भी उचित समझते हैं तो मान लें।

श्री चरण सिंह--इस सिलसिले में, श्रीमन् मुझे मालूम हुआ कि मेरे आने के पहले भी बहुत कुछ कहा जा चुका है और अब भी काफी कहा जा चुका है। और इसलिये मैं अब कुछ भी कहना अनावश्यक नहीं समझता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं तीनों संशोधनों को अलग अलग लिये लेता हूं।

(एक क्षण ठहरकर)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि--

खंड ८ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

कृषि आय कर की दर--

(१) पूर्ण कृषि आय के प्रथम ४,२०० रु० पर कुछ नहीं।

(२) पूर्ण कृषि आय के उपर्युक्त के बाद के दूसरे ८०० रु० पर १ आना प्रति रुपया।

(३) पूर्ण कृषि आय के उपर्युक्त के बाद के १०,०००रु० पर डेढ़ आने प्रति रुपया।

(४) पूर्ण कृषि आय के उपर्युक्त के बाद १०,००० रु० पर तीन आने प्रति रुपया।

(५) पूर्ण कृषि आय के उपर्युक्त के बाद १५,००० रु० पर पांच आने प्रति रुपया।

(६) पूर्ण कृषि आय के उपर्युक्त के बाद १५,००० रु० पर छै आने प्रति रुपया।

(७) पूर्ण कृषि आय के उपर्युक्त के बाद २०,००० रु० पर आठ आने प्रति रुपया।

(८) पूर्ण कृषि आय के शेष पर दस आना प्रति रुपया। यह दरें निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन हैं:--

(क) उस पूर्व कृषि आय पर कोई कृषि आय कर देय न होगा जो ४,२०० रु० से अधिक न हो और

(ख) देय कृषि आय कर किसी भी दशा में पूर्ण कृषि आय कर की उस धनराशि के आधे से अधिक न होगा जो ४,२०० रु० से अधिक हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) के अन्तर्गत भाग १ की क्रमसंख्या १ के कुल शब्द निकाल कर उनके स्थान पर "पूर्ण आय के प्रथम ४,२०० रु० पर ... कुछ नहीं" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) के अन्तर्गत भाग १ की क्रम-संख्या २ में संख्या "३,५००" के स्थान पर संख्या "५,०००" रख दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :--

"खंड ८ के उपखंड (१) के अन्तर्गत भाग १ की क्रम संख्या २ व ३ में 'एक आना' तथा 'दो आना' के स्थान पर क्रमशः '९ पाई' तथा '१८ पाई' कर दिया जाय।"

श्रीमन्, मेरा संशोधन बहुत छोटा है। इसमें केवल जो १५ हजार तक की आय वाले हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। १ हजार माहवार की आमदनी तो हमारे विरोधी दल के लोग भी न्यायसंगत मानते हैं, और अब तो शायद सोशलिस्ट पार्टी ने दो हजार तक मान लिया है इसलिये उनको रिलीफ मिलने में तो उन्हें भी आपत्ति नहीं होगी।

श्री राजनारायण—इसमें आपको हमारा समर्थन प्राप्त है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—इसीलिए मैंने यह संशोधन पेश किया है। कर वृद्धि तो होनी है और होगी, क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट स्थापित करने के लिये चारों ओर बहुत से काम करने पड़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अभी हाल ही में सन् १९५३ में जब इस बिल का संशोधन हुआ था उस वक्त गुणांक (मल्टीपुल) ७।। से १२।। बढ़ा दिया गया था और अब फिर इन रेट्स में भी वृद्धि हो रही है। तो जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि यह भार अधिक होगा। कृषि में, मैं यह समझता हूं कि, थोड़ी सी प्राइवेट इंटरप्राइज की भी गुंजायश रहनी चाहिये। अगर प्राइवेट इन्टर प्राइज खत्म करने की बात होती है तो यह भी हो सकता है कि प्राइवेट इनीशियेटिव भी खत्म हो जाय क्योंकि जिनकी आमदनी केवल इतनी ही है कि वह अपना गुजर बसर भर करसके वह एक्सपेरीमेंट नहीं कर सकते और एग्रीकल्चर में एक्सपेरीमेंट आवश्यक है। कहा भी गया है कि सरकारी कृषि फार्मों में प्रयोगों के कारण, मुनाफा नहीं होता पर एक्सपेरीमेंट तो सभी करना चाहते हैं और करते हैं, अगर थोड़ा घाटा देने की क्षमता हो यह बात दूसरी है कि सरकारी फार्म्स उसको करके फायदा न उठा पाते हों लेकिन जो आदमी प्राइवेट तौर पर एक्सपेरीमेंट करता है, उसकी देखरेख करता है वह उससे भविष्य में फायदा उठाने की आशा अवश्य करता है।

मैं नहीं जानता कि इस कर वृद्धि से सरकार को कितनी आमदनी होगी। इसके आंकड़े हमें नहीं दिये गये हैं। इस कर वृद्धि के दो ही उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो सरकार को रेवेन्यू मिले और दूसरे सामाजिक न्याय हो। कृषि आय करदाताओं की संख्या तो बताया गया १४००० से ७००० रह जायगी, पर हमें मालूम ही नहीं कि इससे आमदनी बढ़ेगी कितनी। चूंकि आज कल प्राइसेज गिर रही हैं इस वजह से छोटी आमदनी वालों के लिये मैंने कुछ रिलीफ की प्रार्थना की है और मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री इस पर विचार करेंगे।

जो इससे भी बड़ी आपत्ति है वह यह कि इसमें जो दरें हैं उनमें और इन्कम टैक्स के रेट्स में फर्क है। मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? आज कल जो ज्यादा रेट्स लगाये जाते हैं वह अनअर्न्ड इनकम के ऊपर लगाये जाते हैं। इस तरह से कृषि पर अधिक टैक्स लगना एक लांछन सा प्रतीत होता है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि बहुत से लोग हैं जो सूद से पैसा कमाते हैं जो कमीशन एजेंन्सी से पैदा करते हैं, डिवीडेंट से और स्पेकुलेशन से पैसा कमाते हैं लेकिन उनकी आय पर तो कम टैक्स है और कृषि की आय के ऊपर ज्यादा टैक्स है, यह बात समझ में नहीं आती। अकेले रेट्स में ही फर्क नहीं, इनकम टैक्स में २० प्रतिशत अर्न्ड इनकम बाद दे दी जाती है और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। यहां पर इतनी भी रियायत नहीं है। मैंने जो हिसाब लगाया है उससे ५,००० पर इन्कम टैक्स ११७ रु० ३ आने होगा और एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स २१८ रु० १२ आने होगा। १०,००० पर ४९२ रुपये ३ आने इन्कम टैक्स होगा और एग्रीकल्चरल इन्क टैक्स ८४३ रु० १२ आने होगा। यह करीब करीब दूने पर पहुंच जाता है। मैं नहीं समझ सका कि इसमें यह भेद क्यों किया गया। मैं तो समझता हूं कि साधारतणतः अगर कृषि के रेट कम हों तब भी इस पर कर का बोझ अधिक पड़ेगा क्योंकि इवेजन की गुंजाइश बहुत कम है। आज हमारे अन्य व्यवसाइयों, खासकर इंडस्ट्रियलिस्ट्स और फाइनेन्शियर्स के हिसाबों की जांच के लिये एक इनवेस्टीगेशन कमीशन नियुक्त हुआ है। टैक्स इवेजन की जांच के लिये पर यहां तो गुणांक द्वारा ही आय निर्धारित होगी और इवेजन की सम्भावना ही नहीं रहेगी। यह भी कहा गया कि इस बिल में इसकी गुंजाइश है कि कोई आपत्ति-विपत्ति आवे तो ख्याल किया जायगा। मैं मानता हूं कि अगर आपत्ति-विपत्ति ऐसे स्केल पर आयी कि जिसमें ८ आना १२ आना तक का नुकसान

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

हो तो उसकी रियायत तो दी जायगी लेकिन अगर ६ आना तक का नुकसान हुआ तो कोई नहीं पूछेगा और जो नार्मल उत्पादन है उसी हिसाब से कर लिया जायगा। साधारण आपत्ति-विपत्ति तो कृषि में आती ही रहती है, मामूली नुकसान होता ही रहता है। इस प्रकार जहां इवेजन की सम्भावना बहुत कम है जहां कि ऐग्रीकल्चर (gamble in rain) गैम्बिल इन रेन कहा जाता है क्योंकि ७५ फीसदी भूमि अब भी अनइर्रीगेटेड है और ऐसे समय जब कीमतें गिर रही हों उस वक्त यह अधिक कर-वृद्धि मेरी समझ में नहीं आयी और मैं मंत्री महोदय जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर अवश्य विचार करें। रही सामाजिक न्याय की बात मैं यही कह सकता हूं कि सामाजिक न्याय सर्वांगीण होना चाहिये। इसका प्रयोग केवल एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर ही नहीं होना चाहिये। अगर भूमि पर नियंत्रण करना है तो अन्य सम्पत्ति पर भी नियंत्रण होना चाहिये, केवल भूमि से ही नहीं काम चलेगा। ३० एकड़ की लिमिट पहले ही बना दी गई है, ठीक है। जो और कानून आ रहे हैं उससे भी ३० एकड़ से ज्यादा कोई जमीन न रख सकेगा। लैंड रिफार्म बिल का जो एमेंडमेंट आने वाला है उसके अनुसार ऐसी जमीन जो उत्पादन के काम में नहीं आती है वह भी उससे ले ली जायगी, यह सब चीजें मौजूद हैं। दूसरे इस्टेट डयूटी हमारे सामने है, जिससे अपने आप यह विभाजन होने वाला है। तो इस प्रोसेज को और ज्यादा प्रोत्साहन देने की क्या आवश्यकता हुई, मेरी समझ में नहीं आया। आज बड़े जमींदार नहीं रहे और धीरे धीरे जहां तक एक जैनरेशन से दूसरी आई वहां पर भाइयों में अपने आप विभाजन हो जायगा और भूमि ३० एकड़ से कम ही रह जायेगी। इसलिये इस दिशा में विशेष प्रयत्न की जरूरत नहीं, क्योंकि वह स्वतः होने वाला है। फिर "जो गुड़ देने से मरे, क्यों विष दीजे ताहि।"

मंत्री जी यह भी इतमीनान रक्खें कि बड़े किसान या भूतपूर्व जमींदार सन्तति उत्पादन के उद्योग में किसी से पिछड़े नहीं, और एक-एक होल्डिंग के अनेक खण्ड हो जावेंगे।

इंडस्ट्रियलिस्ट पर तो सरकार की यहां तक कृपा है कि आज ही की खबर है, १० करोड़ रुपये का लोन एक कम्पनी को दिया गया है, वह भी इन्टरेस्ट फ्री। मंत्री महोदय की यह भी धारणा है कि इन्डस्ट्रियलिस्ट तो अपने बुद्धिबल से उत्पादन करता है और किसान भगवान की दी हुई वस्तु से लाभ उठाता है। मैं नहीं समझ पाया कि सैकड़ों एकड़ भूमि जिस पर फैक्ट्री बनी हुई है वह किसके घर से आई है? इन लोगों की आमदनी पर भी कोई नियंत्रण नहीं और वह टैक्स भी कम दें और दूसरी ओर किसान की भूमि पर भी नियंत्रण कर दिया जाय और टैक्स भी ज्यादा लिया जाय, यह कहां तक न्यायसंगत है। इस सिलसिले में मुझे एक घटना याद आ गई जो शायद माननीय मंत्री जी के जिले की ही है। सत्याग्रह का जमाना था। कांग्रेसवालों की एक टोली झंडा लिये आ रही थी। एक अनभिज्ञ किसान ने पूछा कि कहां जा रहे हो, उत्तर मिला स्वराज्य लेने। वह भी साथ हो लिया। आगे पहुंचा तो लाठी चार्ज हुआ तो वह बिचारा देहाती सब से आगे पड़ गया। ४, ५ लाठी तो उसने सह लीं। बाद को उसने कहा कि आखिर सारा स्वराज मुझे ही दे दोगे यह जो खड़े हैं उनको भी थोड़ा बहुत क्यों नहीं देते। यही भावना ठीक आज हमारे ऐग्रीकल्चरिस्ट क्लास की भी है कि यह स्वाराज्य सबको समान मिले तब ही ठीक है। लेकिन दें भी ज्यादा और एक लांछन भी सहें यह अनुचित है। सरकार के ध्यान में किच्छा और काशीपुर रहते हैं जहां पर उसने सब साधन जुटा दिये हैं। लेकिन जिन्होंने खुद जमीनें तोड़ी हैं, अपना रुपया लगाया है, उनके लिये क्या सुविधा दी गई अलावा कुछ दिनों के लिये गुणांक में रियायत के। कुछ लोगों को लोन भी दिया है कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने लोन वगैरा कुछ नहीं लिया है। ग्रो मोर फूड के लिये कहा गया तब बहुत से लोगों ने इसमें हाथ डाला।

अब रही बड़े बड़े फार्मों में एक्सप्लौयटेशन की बात क्या कहूं। आज एक्सप्लौयटेशन कहां नहीं है, सब जगह है। इंडस्ट्रीज में, बिजनेस में। वास्तव में मैन इज ए बौर्न एक्स प्लाइटर (Man is a born exploiter)। वह प्रकृति और मनुष्य दोनों का शोषण करता है, चाहेवह जमींदार हो, चाहे पूंजीपति चाहे राज्य अधिकारी और चाहे पोलिटिशियन, हमें शोषण के अवसर को खत्म करना है व्यक्तियों को नहीं। आपने जमींदारी खत्म कर दीं बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर बड़ी जायदादों को छिन्न भिन्न करना है और उसी के लिये यह बिल आया है तो मैं समझता हूं कि यह बात उचित मालूम नहीं होती है। वह तो वैसे ही होने वाली है उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह भी बात समझ में नहीं आती कि जब एक ओर तो आदमी बड़ी से बड़ी पूंजी रख सकता है, तो केवल काश्त के ऊपर इतना जबरदस्त प्रहार कैसे उचित है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी शंकाओं को दूर करेंगे और जो यह डिस्क्रीमिनेशन रखा है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री चरण सिंह--श्रीमन्, अध्यक्षमहोदय, मैंने अभी अपने मित्र श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी की बहुत दिलचस्प तकरीर सुनी। मैं बहुत मुख्तसिर में जो बातें उन्होंने कहीं हैं उनके जवाब देने की जरूरत समझता हूं। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को कृषि में प्राइवेट इन्टरप्राइज की गुंजाइश छोड़नी चाहिए। सारी की सारी गुंजायश कृषि में प्रायवेट इंटरप्राइज के लिये ही है। गवर्नमेंट कहां अपने फार्म खोल रही है। अगर उनके कहने के माने यह है कि ज्यादा मुनाफे की गुन्जाइश छोड़नी चाहिये तब तो बात दूसरी है। मगर सारे के सारे किसान प्राइवेट इन्टरप्राइज कर रहे हैं तो इसमें प्राइवेट इन्टरप्राइज या पब्लिक इन्टरप्राइज का कोई सवाल पैदा नहीं होता है।

दूसरी बात उन्होंने शोसल जस्टिस की कही तो अध्यक्ष महोदय जिनके पास १०० या १,००० एकड़ जमीन है, उनसे अगर हम यह कहें कि उनको पब्लिक के खजाने में ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिये तो इसमें सोशल जस्टिस की बात कहां पर उठती है। यह बात तो परस्पर विरोधी मालूम होती है। सोशल जस्टिस की बात तो यह है कि एक परिवार में जितने मनुष्य हैं उनमें समता लाई जाय। अध्यक्ष महोदय मुझे श्री शम्भूनाथ जी को यह समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिये कि बड़े-बड़े फार्मों को देखकर छोटे-छोटे जो किसान हैं उनके अन्दर यह भावना पैदा होती है कि हमारी सोसायटी में जस्टिस नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--अध्यक्ष महोदय, यह जो आपका बिल आया है उस सिलसिले मैंने इस सेंस में सोशल जस्टिस की बात कही कि इंडस्ट्रियलिस्टस जो इतनी बड़ी-बड़ी रकम लिये पड़े हैं, उनके लिये कुछ नहीं सोच रहे हैं।

श्री चरण सिंह--यह बात तो रही डिस्क्रीमिनेशन आफ मैन्यूफेक्चरिंग क्लास और ऐग्रीकल्चरल क्लास की। एग्रीकल्चरल क्लास के साथ कोई ऐसी बात नहीं है।

अब तीसरी बात माननीय चतुर्वेदी जी यह कहते हैं कि कास्टें गिर रही हैं। ठीक है, गिरती तो जा रही है। अब स्टेबिल दिखाई देती है यें गिरती ही जायेंगी, यह नहीं कहा जा सकता लेकिन अगर कीमतें गिरती ही दिखाई देती हैं तो हम कब कहते हैं कि साढ़े बारह गुने के हिसाब से दीजिये ? अगर आप हिसाब नहीं रखते हैं तो आपकी सहुलियत के लिये एक अनुमानित आय अपनी तरफ से हम देते हैं। अगर आपको वह स्वीकार नहीं तो आप कम साबित कर दीजिये और अगर दुगुना पैदा हुआ है सर्कल रेट का तो दुगुना ही सही। तो फालिंग प्राइस से कोई वास्ता ही नहीं। साढ़े बारह गुने की बात तो श्रीमन्, इसी वजह से ध्यान में रखनी चाहिये कि जो उनको एस्टीमेट बताये जाते हैं ताकि लोग किताब के चक्कर से बच जायं, लेकिन अगर आपके पास हिसाब है, खेत में पैदा नहीं हुआ, बैल नहीं थे, ट्रैक्टर्स नहीं मिले, तो आप कम आमदनी साबित कर दीजिये, कम पर लग जायगा। चाहे कितनी ही लो प्राइसेज हो या हाई हों, उससे कोई असर इसके उसूलों पर नहीं पड़ता।

[श्री चरण सिंह]

चौथी बात यह कि दोनों टैक्सेज में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये। मैंने उस रोज भी अर्ज किया था कि कोई खास डिस्क्रिमिनेशन है नहीं। १५०० से ५००० तक हमारे यहाँ एक आने है, सेंट्रल इनकम टक्स में साढ़े नौ पाई है। इतना फर्क जरूर है। ५,००० से १५,००० तक हमारे यहां दो आने हैं, उनके यहां ढाई आने हैं? यानी ज्यादा है। १५०० से २५,००० तक हमारे यहां चार आने हैं, उनके यहां सवा चार आने हैं। २५००० से ३५००० तक हमारे यहां आठ आने हैं, उनके यहां सवा आठ आने है। ३५,००० से ऊपर हमारे यह दस आने है और उनके यहां साढ़े आठ आने से साढ़े तेरह आने तक है। तो जहां तक ३५ हजार से ज्यादा आमदनी का ताल्लुक है तो उनके यहां साढ़े तेरह आने तक है। एक आध में हमारे यहां ज्यादा है और दो तीन में उनका ज्यादा है। जो जहां तक डिस्क्रमिनेशन की बात है कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स में और ऐक्रिकल्चरिस्ट्स में नहीं होना चाहिये। तो जहां तक मुमकिन हो नहीं होना चाहिये लेकिन इस्टेट ड्यूटी का उन्होंने जिक्र किया। मैंने ड्यूटी की बाबत लेजिस्लेशन पढ़ा नहीं है, लेकिन जहां तक मुझको मालूम है वह यह है कि उसमें ऐग्रिकल्चरिस्ट्स के साथ कुछ रियायत की गयी है बमुकाबिले नान ऐग्रिकल्चरिस्ट्स के। उसमें डिस्क्रिमिनेशन है।

आखिर दो वर्ग हैं, अलग अलग है, बिलकुल वह एक पार पर रख दिये जायं, एक तराजू से तौले जायं यह तो नामुमकिन है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा ऐग्रिकल्चरिस्ट का सबसे बड़ा कैपिटल भूमि है। वह भूमि उसने पैदा नहीं की। वह भूमि कुदरत ने, सृष्टि ने बनायी है। लेकिन वह जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का प्लान फैक्ट्री की इमारत और सारी स्कीम, फैक्ट्री के लिये रुपया इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने पैदा किया अपनी बुद्धि से या दूसरे लोगों के परिश्रम से, कुछ ही हो। फैक्ट्री पहले नहीं थी, बनायी गई। जमीन पहले से मिली हुई है कुदरत से, जब से कि सृष्टि रची गयी है। लिहाजा यह कहा जाय कि दोनों को बिलकुल एक तरीके से देखें तो यह नामुमकिन है। मार्क्स ने तो एक जगह कहा है कि लैण्डलार्ड जो है वही सबसे बड़ा एक्सप्लायटर है इंडस्ट्रियलिस्ट्स के मुकाबले में, क्योंकि लैंड तो उसको बिना कमाये मिल जाती है और इंडस्ट्रियलिस्ट की फैक्ट्री उसकी कमाई होती है, लेकिन बड़े फार्म ओनर की नहीं। तो मैं उसको नहीं मानता।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, जो बड़े कारखाने हैं वह सामान ऐसा लेते हैं जो बड़े बड़े पैमाने पर ही तैयार किये जाते हैं। कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स ऐसे हैं जो छोटे पैमाने पर तैयार नहीं किये जा सकते। तो बड़े कारखाने हमारे यहां रहना जरूरी है। अगर टाटा को सेंट्रल गवर्नमेंट ने १० करोड़ रुपया दिया है तो देना ही चाहिये और बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि स्टील छोटे पैमाने पर तैयार नहीं किया जा सकता।

श्री राजनारायण--सुनाई नहीं देता।

श्री चरण सिंह--अगर माईक्रोफोन खराब है तो मैं क्या करूं?

श्री राजनारायण--आप मुंह उधर कर लेते हैं।

श्री चरण सिंह--उधर कुछ आकर्षण तो हो न।

अध्यक्ष महोदय, तिवारी जी को मैं बताना चाहता हूं कि यह जो बड़ी-बड़ी इकाइयां इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हैं वह इफीशेंट होती हैं। और कृषि-क्षेत्र में जितनी बड़ी से बड़ी इकाई होगी उतनी ही फी युनिट आफ कैपिटल कम पैदावार देगी। इस तरह से बहुत से अन्तर मैं बतला सकता हूं ऐग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज में। इसलिये उनको एक तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहां तक इस टैक्स का ताल्लुक है हमने लगभग एक ही पैमाना टैक्स का रखा है जो सेंट्रल इनकम टैक्स का है। एक बात पहले भी कही गयी, वह राजा

वीरेंद्रशाह जी ने कही थी और आज उसे फिर चतुर्वेदी जी ने उठाया कि एक तरफ तो आप ग्रो मोर फूड कम्पेन की स्कीम चला रहे हैं और दूसरी तरफ इसे डिस्करेज कर रहे हैं। ग्रो मोर फूड स्कीम, इसी तरह से समझिये जिस तरह से हम तैयार कर रहे हैं..... आप जानते हैं। मतलब यह है कि आप खुद पैदावार करें उस पैदावार में से हम भी ले सकें स्टेट एक्सचेकर के लिये। बड़े-बड़े किसान अच्छी तरह से पैदावार कर सकें उसके लिये हमने यह किया है कि जिन लोगों ने ऊसर जमीन को तोड़ा उसके लिये अभी विधेयक आ रहा है, उनके लिये हमने रखा है कि हम उनसे मालगुजारी कम लेंगे जब तक कि अच्छी पैदावार उसमें न हो सकें। दूसरे यह कि उन पर इनकम टैक्स जो है मैंने पढ़ कर सुनाया था, नौ सालों में साढ़े बारह गुना या दस गुना लगेगा। तीन साल तक का नहीं लगेगा। फिर दो का, चारका मल्टपिल रहेगा। और जब पैदावार अच्छी होने लगे तो हम चाहते हैं कि आप हमारे यहां टैक्स ज्यादा दें क्योंकि परमेश्वर की तरफ से बनायी हुई भूमि है वह आपके हिस्से के हिस्से से आपके पास ज्यादा है। चतुर्वेदी जी ने कहाकि आबादी बढ़ती रहती तो अपने आप तकसीम हो जायगी। वह अपने आपको कंट्रैडिक्ट कर गये। उन्होंने कहा कि जहां बेरोजगारी रहती है वहीं औलाद ज्यादा पैदा होती है। छोटे फार्मस् में औलाद ज्यादा होती है और जितना ज्यादा लक्जूरियस लिविंग का सेक्शन होता है उतनी ही औलाद कम पैदा होती है। तो जिनके पास जमीन कम है उनके औलाद ज्यादा होगी और जिनके पास जमीन ज्यादा है उनके औलाद कम होगी। मैं यह बात मानने वाला नहीं कि बड़े किसानों के पास ज्यादा औलाद हो जायगी। बल्कि मुझे डर है कि कम होगी। मैं समझता हूं कि मैंने उनका प्वाइन्ट दर प्वाइन्ट जवाब दे दिया और जहां तक उनकी भावना है मैं उसकी कद्र करता हूं क्योंकि टैक्स से सब बचना चाहते हैं लेकिन सरकार की कोशिश यह रहती है कि जो ज्यादा देने के लायक हों उनसे ज्यादा लिया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। और आशा करता हूं कि माननीय चतुर्वेदी जी इसको वापस ले लेंगे।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आध घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, कलके लिये माननीय मंत्री जी ठहर जाते तो बड़ी कृपा होती। हमको बड़ी मुसीबत है। तीन बजे से हमारी प्राविंशल इक्जीक्यूटिव की मीटिंग चल रही है फोन पर फोन आ रहे हैं, और दो चार बार मुझ को उठ कर जाना पड़ा है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह पांच मिनट में खत्म हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--ऐसा नहीं मालूम होता।

श्री चरण सिंह--आज चार दिन इस पर हो गये।

श्री अध्यक्ष--कल आध घंटे में इसको खत्म कर दें। क्या इसके लिये आप तैयार हैं?

श्री राजनारायण--जी हां, कल आध घंटे में खत्म हो जायगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१ सितम्बर, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४७ पर।)

"Report of the Magisterial Inquiry conducted by Sri S. P. Mukerjee I. A. S., S. D. M., Bah, into the boat tragedy which occurred on 3rd March, 1954, at Naurangi Ghat, P. S. Bah."

(Sd) S. P. MUKERJEE.

April 16, 1954.

			Page	Para
CHAPTER I	.. Introduction	..	1	1
CHAPTER II	.. Evidence Recorded	..	3	5
CHAPTER III	.. Evidence discussed	..	18	39
CHAPTER IV	.. Recapitulation	..	27	55

Chapter I

1. The following wireless message was sent from Agra to the Government of U. P. on March 4, 1954.

"A boat carrying about 100 men and women capsized and sank in river Yamuna at Naurangi Ghat, Bateshwar, P. S. Bah at about 17·30 hours last evening. Four men and three women reported missing. No dead body recovered....."

2. Naurangi Ghat is at a distance of about 45 miles from Agra and provides the inter-district ferry communication between Agra and Mainpuri districts. It is mainly used by those visiting Bateshwar, a place of pilgrimage, hardly two miles from the ghat. The Ghat is leased out annually by the District Board Agra, under section 8 of Northern India Ferries Act. The lessee is required to construct a pantoon bridge at least 15 days before the commencement of the Bateshwar fair and maintain it till the 15th of June.

3. On 1st March, 1954, the river began to swell up to such an extent that the pantoon bridge had to be dismantled. Unfortunately this concided with the *Shivaratri* festival when people in large numbers began pouring in to cross the river and came to Bateshwar temples with their *Kanwars*. Moreover the neighbouring ferries had to be closed in the course of an investigation into a recent murder. This also caused abnormal crowding at this ferry. The contractor was plying three boats, but on 3rd March, 1954, there were about a couple of thousand people clamouring to get across towards Shikohabad side. Police had to be called in but the rush continued. The fatal boat was being towed empty upstream when the people made a stampede to get into it. It was naturally overloaded and began to capsize at a distance of 20 yards from the bank. A strong wind and current took the boat in no time to the midstream while the unfortunate passengers jumped pell well into the water to escape death. In the meantime a fisherman's raft came along and saved about 20 persons. Another boat from the other side made an unsuccessful attempt to reach the point but could save only three lives. The doomed boat was caught up in one of the numerous whirlpools and sank. No dead body has since been recovered. The boat is reported to have been traced but could not be salvaged.

4. This inquiry was held with the following points in view :

1. Actual loss of life.
2. Cause of the tragedy.
3. Whether the disaster could have been averted.
4. Whether full efforts were made to rescue as many as possible.

Chapter II

Evidence recorded

5. Unfortunately circumstantial evidence is absolutely absent and the truth is veiled by conscious or unconscious exaggeration or extenuation of facts. Among eye witnesses also vital contradictions exist at crucial points of the whole incident. The evidence had to be sifted purely on the basis of logical and natural sequence of events and the normal human behaviour under the given circumstances.

6. In all 109 witnesses were examined. They can be grouped in three categories *viz.* A. B. and C. as follows :—

A. 40 eye witnesses who were in the boat.

B. 65 eye witnesses who were not in the boat.

C. 4 witnesses who investigated and came on the spot after the disaster.

7. Strangely enough great uniformity is found in the evidence of witnesses of the same category *inter se.*

A: Eye witnesses who were in the boat.

8. Out of 40 such witnesses, 26 belong to village Gabrai, 1 to Jahangirpur, 1 to Banipura, 5 to Chhechhapura, 4 to Taharpur, 1 to Daini and 2 were the boatmen.

9. The 26 witnesses from Gabrai despose mostly as follows :—

They had paid Re.1 per *Kanwar* on the night before the incident, on the other bank. The contractor refused to take them across towards Shikohabad on their return journey, unless they paid him again. Empty boats were being sent from this side. When police came at the ghat at about 1 p.m. persons began to be ferried across. In the boat about 100 to 125 persons were packed. Water was already flowing in. Inspite of protestation, the boat was pushed off by the contractor, though police tried to disuade him. There were about 30 to 50 passengers from Gabrai in the boat. In all about 50 to 60 persons had jumped from the boat. The boatmen were the first to jump away. Out of all the passengers from Gabrai only one *Parshadi* was missing. There was no complaint against the police. The fishermen saved about 18 persons.

10. Besides the above, the following may also be noted :

W (IA) deposes that there were about 5 women and 2 to 3 children in the boat.

W-2 states that a plank of the boat gave way.

W-3 states that he had paid Rs.5 for two persons, to the contractor.

W-7 states that the contractor did not allow anybody to get down and the boatmen pushed the boat into the stream of water.

W-11 is the brother and W-22 is the nephew of Parshadi. They depose that he was drowned.

11. The solitary witness W 4 from Jahangirpur corroborates the testimony of the witnesses of Gabrai. According to him about 30 persons from his village had boarded the boat.

12. W-24 is from Banipura. His evidence tallies with that of witnesses of Gabrai. According to him about 100 to 150 persons were in the boat. He had paid Re.1 to the contractor. Two constables and the Sub-Inspector were near the boat. The rope to which the boat was tied was held by two boatmen. While the police were preventing persons from getting into the boat, the contractor was preventing the passengers from getting down. There were four boatmen in the boat. A 4 of them jumped at a distance of 10 yards from the starting point. The boat sank at a distance of 200 yards. The witness was in the boat while it sank. At that time about 15 to 20 men and 5 or6 women were in it. He was saved by the fishermen Ajodhya Prasad, Chiranji Lal and Ram Swroop, of his village are missing.

13. Five witnesses from Chhahhapura depose that they were the only passengers in the boat from their village. All were saved. The S. I. was at the raised platform of the contractor. The boatmen jumped at a distance of 15 to 20 yards from the starting point. The raft saved 18 persons. They had paid Re.1 per *kanwar* to the contractor.

14. The 4 witnesses from Taharpur depose that there were about 125 persons in the boat. The contrator got the boat pushed off. The plank had given way and water was flowing in. Boats carrying no passengers had been sent to the other bank by the contractor during the day. The raft saved about 18 or 19 persons.

15. The two witnesses from Daini say that they were the only persons in the boat from their village and both were saved.

16. W 55 is Hetram, the boatman. According to him Keeratram, Khyali and Jagannath were also in the boat as boatmen. Khayali and Keeratram rarely rowed. When 15 to 20 persons hung to the side of the boat, it got titled and water began to flow in. He admitted that he deserted the boat at a distance of 15 to 20 yards from the starting point. He further admitted that he had left rowing boats five years ago due to incapacity and old age and was doing cultivation.

17. W 50 is another boatman who has been in the line for the last eight years. He also states that Khyali and Keeratram, the other boatmen were not professional boatmen but agricultural labourers. According to him about 100 to 125 persons were in the boat. Water was not flowing into the boat. The boat tilted and water flowed in. Keeratram was on the bank.

18. The evidence of the A category of witness shows that barring the two boatmen whose statements are bound to be tendencious there is unanimity on following points.

(*a*) That the passengers were being charged Re.1 per *kanwar* and the contractor demanded money for the return journey also.

(*b*) That water was flowing into the boat when it was allowed, to leave, the bank.

(*c*) That the contractor and his men prevented those in the boat who wanted to get down from doing so.

(*d*) That the police could not control the crowd or the contractor.

(*e*) That water rushed in due to a plank giving way.

(*f*) That the boatmen were the first to jump off the boat.

(*g*) That about 100 to 125 persons were in the boat.

(*h*) That about 60 to 70 persons jumped into the water from the boat.

(*i*) That the fishermen saved about 20 persons.

19. Also from the admission of the boatmen the following points are further established :—

(*j*) That 4 boatmen *vir* . Hetram, Jagannath, Khyali and Keeratram were engaged to ply the boat.

(*k*) That Het Ram was out of practice for the last 8 years and that Khyali and Keeratram were not professional or experienced boatmen.

(l) That the boatman Het Ram jumped at a distance of 15 to 20 yards.

B. *Eye witness who were not in the boat.*

20. Out of these 65 witnesses, the more important witnesses are W—1 Sri Vijai Saran, Vice-President, District Board, Agra, W-52 the Sub-Inspector, W-53 the Head Constable, Bah, W-46, W-47 and W-48 the three fishermen who saved 18 lives in their raft and W 103, W 104, W 105 and W 107 the cosharers of the contract, who were on the spot. The rest are individuals who happend to be on the ghat and witnessed part or whole of the tragedy.

21. W 1 is the Vice-President of District Board, Agra, who happened to be at the ghat on this side with his jeep to get across the river. He saw the S. I. and four constables at the ghat. The S. I. was mostly with him near the platform of the contractor. He first saw the boat when the people had already started jumping off. According to him 60 to 80 persons jumped off. He saw only three boats plying while a dozen boats were lined up idly on the other side. He got complaints that the contractor had over charged the passengers and an inquiry had found it true. He got no complaint against the police. The contrator could not produce any accounts to him. While the usual rate is -1- per head he seemed to have charged 2/-, 1/-, -/8/- per head on kanwar.

22. W 52 is the S. I. of P. S. Bah who had come with a constable in Bateshwar in connection with an enquiry. A section of the guard was also stationed at the temple. At about 1 p.m. one of the cosharers came there for police help. The police reached the ghat at about 2 p.m. There was a crowd of about 4,000. The S. I. got two written complaints against the contractor. He saw three boats plying He stationed two constables on the other side. He felt some tension in the crowd against the contractor. When the boat was sinking he got a raft and a boat started for rescue operation. Four boatmen were in the boat. None of the passenger had complained against water flowing in. The boat was in good condition.

23. W 53 is the Head constable in charge of the section of the guard. Besides S. I. and him, there were 4 guards and 2 constables. They reached the ghat between 1 p.m. and 2 p.m. Two boatmen were holding the rope. None wanted to get down from the boat. The personss began to jump off at a distance of 5 to 6 steps. About 60 to 70 persons had jumped into the water. The boat titled and water flowed in. The raft saved 18 persons.

24. W 46, W 47 and W 48 are the fisherman who rowed the raft.

They started moving on the order of the S. I. They denied to have seen empty boats returned. The boat was in good condition. They saved about 18 persons.

25. W 103 is the contractor Kali charan who runs the whole show. He got the contract at Rs.19,800 and has 12 other cosharers. He has 12 or 13 boats and 14 to 15 boatmen. He could not say whether the names of the four boatmen were submitted to the District Board. He admitted that these four boatmen had come to him only 2 or 3 days before the occurrence and had never worked before that. He also admitted that he had not taken the permission of the District Board. He denied over charging but could not produce any accounts. According to him the rope got out of the hold and water flowed into the boat due to oscillations. About 70 to 80 persons jumped off the boat. The raft saved about 18 persons. The boat was obtained on hire and was in good condition. He did not get other boats plying as he was short of hands. That day he had 18 boatmen.

26. W 104 is another cosharer. He had come on the ghat on 28-2-54, but did not inform either the District Board or the police about the crowding. Other ghats had been closed. He stated that the passengers were charged only -/2/6 per *kanwar*. The rush increased after 10 p.m. on 2-3-54 and they stopped charging anything from the passengers. He denied empty boats being sent across. He stated that when the S. I. was asked to help the latter refused unless a written report was given to the effect that the contractor could not manage the crowd. About 100 to 125 persons were in the boat. He was on the Shikohabad side of the river. About 20 to 25 persons were hanging on the sides of the boat. Two boatmen were holding the rope. Passengers got the rope released by force. As soon as the rope was released the boat titled on one side and jumping started at a distance of 10 yards. About 60 to 80 persons jumped off the boat. The boat sank at a distance of 150 yards. The raft saved about 18 persons.

27. W 105 is another cosharer. He denied that passengers were charged Re.1. The boat tilted and water got in.

28. W 107 is another cosharer. About 100 persons were in the boat. The raft saved about 18 persons. He admitted there was non arrangement for meeting emergencies.

29. The evidence of other eye witnesses on the bank is given in brief as under :—

W 42 states that the contractor did not prevent those who wanted to get down. The boatmen pushed off the boat. The four boatmen were the first to jump. The raft saved about 18 persons.

W 44 states that S. I. was with the Vice-President, District Board. He heard complaints against the contractor.

W 45 states that there were 100 or 125 persons in the boat. The Boat titled on one side.

W 49 states that he did not hear complaint against anybody. The boatmen were the first to jump. The raft saved about 18 persons. According to him two persons from Taharpur and one Radha of Harganpur were missing.

W 54 saw empty boats going to the other side. Police had to be called in when the mob had become violent. the boat was in good condition. The raft saved about 18 persons.

30. The rest of the witnesses in this category from W 60 to W 102 allege that the boat sunk due to its being tilted on one side. The passengers got the boat released from the boatmen by pulling at the rope. About 100 passengers were in the boat. The raft saved about 18 persons.

31. In the evidence of the witnesses of this category the following points have been established.—

(*i*) That there were about 100 to 125 passengers.

(*ii*) That there were four boatmen who were very recently recruited without the permission of the District Board.

(*iii*) That two boatmen were holding the rope.

(*iv*) That the rope was pulled away by the passengers.

(*v*) That the passengers were not keen to get down.

(*vi*) That the persons began jumping off the boat at a distance of 5 to 10 yards from the starting point.

(*vii*) That the boatmen were the first to jump.

(*viii*) That about 70 persons had jumped off the boat.

(*ix*) That the raft saved about 18 persons.

(*x*) That the contractor did not keep any account of the ferry.

(*xi*) That the contractor had overcharged the passengers.

(*xii*) That empty boats did ply.

(*xiii*) That the boat tilted on one side and water rushed in.

C. *Witnesses who came on the spot after the disaster.*

32. The Tahsildar Bah (W-6) came on the spot the next day along with Station Officer, Bah. He submitted a report in which he estimated that out of about 100 persons on boat, about 10 to 20 persons were missing. His finding was that a plank of the boat gave way when the passengers boarded the boat, but the contractor did not pay any heed to it. At distance of about 10 yards. The panic striken persons began to jump off the boat after the boatmen had left the boat to its fate. The boatmen according to him were all inexperienced.

33. The Tahsildar stated that the Tehsil authorities have not so far been approached or asked to manage or inspect the ghats.

34. The Lekhpal and the Kanungo had been sent on the same day as the tragedy occurred. According to the report of the Lekhpal there had been an opening at the bottom of the boat and the contractor did not pay any attention to it. The boatmen were the first to jump off. About 50 to 60 persons swam across. The Vice-President of the District Board was present as the tragedy occurred but left soon after with his jeep. About twenty victims of the tragedy were nursed to life by the police.

35. An enquiry committee of the District Board was set up including the Secretary and the Vice-President. The members visited the ghat on 5-3-54. In their report they say that the contractor was over charging. The police stopped this when informed and got a two way traffic started across the river. The empty boat was being towed up when it was mobbed

and about 150 persons got into it. The police with all efforts could dislodge about 25 persons. Due to lack of balance the boat tilted on one side and water began to flow into the boat through the crevices which normally remain out of the surface of water. It is also stated that the boatmen were not prepared to leave but the police compelled them to move the boat. There were four boatmen in the boat. At a distance of 20 yards the boat began to oscillate and water began to flow. The boatman Khyali was the first to jump off the boat after which the passengers got panicy. The fisherman's boat saved about 20 persons. The death roll in the report is estimated to be 60. The report states that had the police and the contractor controlled the boat at the barrier the question of overloading would not have arisen, also the boat should not have been allowed to leave and more people have been saved if efforts had been made while the boat was near the bank.

36. W 57 is S. O. Shikohabad, who came on the spot at 3 a.m. next day. His finding was that the contractor was overcharging and the boatmen were inexperienced. Seven persons had been reported to be missing in his circle.

37. The findings of the different investigating authorities concur on the following points:—

1. That the contractor was charging beyond the prescribed rate.
2. That more than 100 persons were in the boat which was thus overloaded.
3. That between 50 and 70 persons had jumped from the boat.
4. That the boatmen were the first to jump, which increased the panic.
5. That the boatmen were inexperienced.
6. That the fishermen saved about 20 lives.

38. The findings differ on following points :—

1. Whether the plank gave way, if at all, after or before the boat leaving the bank.
2. Whether the boat was compelled to leave the bank by police.
3. Whether the number of dead or missing is between 10 and 20 or 40 and 50.

Chapter III

Evidence Discussed

39. From the evidence of all 109 witnesses, it was found that they can be divided into three broad categories as discussed above. It was also found that there is considerable concurrence of evidence on all major points, amongst the witnesses belonging to the same category. On the basis of this uniformity on certain points in fact, pieces of resultant evidence were derived for each category of witnesses; of course, in the category C there were some contradictions which have also been distinguished.

40. It now remains to collate the resultant evidences of all these three categories. The common and tallying points will thus be established beyond all reasonable contradictions. These points on which difference exists, can be resolved on logic and natural flow of events.

41. On following points there has been more or less uniformity of evidence in all the three categories.

1. That the contractor was charging more than the prescribed rate of —1— per head. The amount charged ranged from —2-6 to Rs.5 per *Kanwar*.

2. That there was a huge crowd of a two thousands at Naurangi Ghat on 5-3-54.

3. That the Police arrived on the spot for the first time between 12.00 hours and 14.00 hours.

4. That as many persons were not ferried across to the other side as were brought to Batesar.

5. That about 100 to 125 persons indiscriminately got into the boat.

6. That four boatmen Khyali, Keeratram, Jagnnath and Hetram were plying the boat. These boatmen especially the first two were quite inexperienced and not professional boatmen. They were employed about 2 or 3 days before the day of occurrence without the permission of the District Board.

7. That the boatmen jumped at a distance of 10 to 20 yards from the starting point.

8. That the boat capsized at a distance of 150 to 200 yards.

9. That between 60 to 70 persons had jumped off the boat.

10. That the fishermen in their raft saved about 20 persons.

42. Contradictions exist on following points :—

Issue no. (1)—Whether the boat was leaking, while it was being held by rope by the two fihermen. If so, in what quantity was the water flowing in.

Issue no. (2)—Whether the boat sank due to a plank giving way or due to the tilting of the boat

Issue no. (3)—whether the boat was compelled to leave inspite of potest from the passengers.

Issue no. (4)—Whether it was the passengers who snatched the rope from the hands of the boatmen and allowed it to leave.

Issue no. (5)—Whether the number of dead or missing ranges between 10 and 20 or 30 and 50.

These issues are discussed below :—

Issue 1—

43. It has been deposed by all that the boat was in a good condition. It had ferried passengers a little before the tragedy. It was being towed upstream along the bank to board passengers, when it was mobbed. It is therefore evident that so long as the boat wasnot mobbed it was in a serviceable condition. It was overloaded and possibly the last immersion mark had also been submerged. This naturally causeed-abnormal inflow of water which caused anxiety to the passengers.

Issue 2—

44. It has been found in the evidence that such a boat can carry 80 to 100 passengers safely. Hence so long as the boat was being held by the rope there could be no possibility of any of the planks giving way, It has

come in evidence that after the boat had left there was a jerk and the inflow of water increased. Obviously the boat had struck against a submerged peg or obstacle and this had possibly caused an opening.

45. The story of the plank giving way is told by all the witnesses of the A category i.e., those who were actually in the boat.

46. Witnesses in B category and some of the investigating officers have stated that the cause of the inflow of water was the tilting of the boat. In support of this it has been said that about 20 to 25 people were hanging on the side of the boat which lost balance. But it has also come in evidence, that the police cleared off these persons and it cannot be imagined that these persons could have continued clinging by the side of the boat after it had left the bank. Their impatience could not have outrun their love for life. Hence it can well be deduced these sticklers had left the boat when it started. Now, if they had left the boat, then equilibrium must have been reestablished and the inflow of water stopped. But since this did not happen the possibility of the tilting as the main cause of the disaster may be over ruled.

47. The possibility of the plank giving way and causing disaster is substantiated by the study of immediate behaviour of the boatmen. It has been established that the boatmen jumped at a distance of 10 to 20 yards. Had the inflow of water been only due to tilting of the boat, the danger would not have assumed such a large proportion at a distance of hardly 20 yards, as would make the boatmen jump off for their lives. A more sudden and dangerous misfortune must have overtaken the boat at a distance of 10 to 20 yards. This can only be in shape of a plank giving way and an opening created through which water might have flown in an awful and fatal quantity and speed. Hence the cause of the trouble seems to be the plank giving way and an opening created.

Issue 3 and 4—

48. Again the witnesses in category A, stated that they had protested against leaving the bank, and some of them had complained against overloading and inflow of water, but the contractor paid no heed to them Witnesses in category C on the other hand stated that the impatient passengers got the rope pulled away from the boatmen.

49. Out of these two versions, those of category "A" appears more convincing for following reasons :

(*a*) The boat was jam packed and the passengers were so dozed that they could not have possibly pulled the rope from the boatmen. After all it was too risky for them to do so.

(*b*) On the other hand the passengers might have complained against the inflow of water, but the contractor and the police got it pushed off as they were motivated by the idea of ferrying as many as possible in the smallest time.

(*c*) It has been admitted by the majority of witnesses that four boatmen were rowing. Had the rope been snatched away then the two boatmen who were holding the rope would have been left on the bank.

50. Hence the finding on these issues is that the boat was allowed to leave inspite of the protest of the passengers.

Issue 5—

51. Not a single dead body has been recovered. Hence the number of dead or missing can only be surmised. It has been admitted that about 100 to 125 persons were in boat, out of which 60 to 70 persons jumped off. Out of these only 50 might have reached the bank by swimming, holding wooden sleepers, or other means. The *kanwars* proved useful for the villagers, who did not know swimming and were saved from drowning by the *kanwars*.

52. The fishermen had admittedly saved about 20 persons. This still leaves about 40 persons unaccounted for. In the evidence however the number of missing persons is very much smaller. The police has so far reported about the following 9 missing persons :—

1. Kalka Prasad, son of Bhagna, resident of Taharpur, P. S. Shikohabad.
2. Agenti, son of Ameer Singh, P. S. Shikohabad, Mainpuri.
3. Parsadi, son of Bholey, resident of Gabri, P. S. Shikohabad.
4. Chiranji, son of Ram lal, resident of Banipura, Mainpuri.
5. Ajudhi, son of Har Dayal. resident of Banipura.
6. Ram Saran, son of Mata Deen, resident of Banipura.
7. One son of Harbilas, resident of Harganpura.
8. Man Singh. son of Ram Dayal, P. S. Sirsagunj. Mainpuri.
9. Raghubir Singh, son of Darshan Singh.

55. None of the missing persons belongs to Agra district. From the evidence also it appears :—

(*a*) That out of 40 persons from Gabri in the boat only one Prasadi is missing.

(*b*) That there have been 30 persons from Jahangirpur. No name has been mentioned from that village as missing or dead.

(*c*) That two were from Daini in the boat and both were saved.

(*d*) All the four persons from Chhechhapur are alive and appeared in evidence.

54. Though the villagewise percentage of persons missing in the boat is very small, yet the number 9 seems to be very low and doubtful. In view of the fact that out of about 70 persons saved only 40 were examined, it cannot be supposed that all the villages have been covered in their evidence. We do not know for instance how many out of 30 to 50 passengers from Jahangirpur are missing. Also it has come in evidence that about 5 or 6 women and 2 to 3 children were also in the boat. Their names have not appeared either in the list submitted by the police or in the oral evidence. It can be taken for granted that all of these women and children are dead since none was saved. Thus the minimum number of persons dead or missing comes to about 18. Considering that we have taken the evidence of about 50% of persons saved the maximum number of persons dead or missing can be pitched at 35.

Chapter IV

Recapitulation

55. The story of the whole incident as called from the evidence produced and discussed is as follows :—

Three boats were plying at Naurangi Ghat when the rush of passengers increased due to Shivaratri festival at Batesar and closing of neighbouring ghat. The contractor charged more than the prescribed rate of -1- per head. The pantoon bridge had to be dismantled due to the swelling up of the river. On 3-3-54, there was a huge crowd on this side of the river as the contactor did not take as many passengers to the other side as he brought from there, unless he was paid again. The crowd became unruly and the police had to be called in at about 1 p.m. A boat reached this bank, unloaded the passengers and was being towed empty upstream along this bank when it was mobbed and about 100 to 125 persons got into it. On being overloaded it was immersed beyond the permissable mark and water began to flow in. The police dislodged about 20 persons who were clinging to the side of the boat and prevented others to get into it. It appears that after moving for about 10 to 20 yards, for some reason there was a jerk and water began to flow into the boat profusely. The boatmen jumped off the boat and then it was all panic. People began to jump off into the water in large numbers while the boat was caught up by the current and strong wind and moved towards the midstream where it capsized. A fisherman's raft came along and saved about 20 lives. The police nursed those who got at the shore or saved. About 30 may be missing out of which names of nine have been traced.

Could this tragedy be averted

56. Nature's violence and man's folly brought about this disaster. Strong wind, swellen river coupled with an impatient multitude clamouring to get across and paucity of experienced boatmen conspired, together. Yet, with a little foresight and sagacity this could have been averted. The crowd could have been controlled at the barrier which is a key point from where during Batesar fair a much larger crowd is controlled. Secondly, when the boat was over loaded it should not have been allowed to leave. Thirdly the boatmen should have been more experienced and less attached to their own lives at the time of crisis. This takes us to the larger question whether the responsible task of ferring the public attached by the risk of life, should be wholly consigned to the arbitary discreation and inadequate capacity of the lessees in big fairs. The motive of making money predominates over every other considerations on such occasions. This can only be averted by more strict and frequent supervision over those ferries. The contractor had engaged about 3 days before the incident, some incompetent boatmen whose names were not on the list with the District Board. It is said that the ferry supervisor had inspected the ferry on 2-3-54, i.e., the day previous to the day of occurence. Did he bring these facts to the notice of the Board, authorities. Also on 2-3-54 the crowd was already swelling up and the contractor charged illegal rates without issuing any ticket. It is not known whether the ferry Supervisor brought this fact to the notice of the authorities. No action seemed to have been taken as on 3-3-54 there was no official of the District Board at the ghat. The police was called when the situation was going out of control. It was by chance that the Sub-Inspector was at Batesar in connection with an inquiry The Vice-President was at the ghat on a private errand and had wanted to get across with his jeep.

57. It is also suggested that this festival along with others in which large crowds are expected should be entered in the Festival Registers of the police stations concerned.

Could a greater number of lives be saved ?

58. It is unfortunate that no arrangement for meeting emergencies was at the ghat. All the boats were moved, on the other bank in their massive immobility. There was no swift or small boat for rescue operations. Fortunately the fishermen in their raft happened to be there and by the asking of the police the three fishermen namely Baslla son of Bhawani, Sardar son of Mahange and Bulaki son of Lochan with admirable speed, courage and presence of mind saved about 18 persons who had been given up for lost. These three fishermen eminently deserved rewards for their good work.

59. It must have taken not less than ten minutes for the whole incident to occur. It is said that the boatmen jumped at a distance of 10 to 20 yards, from the starting point. It is still a mystery why the boat could not be saved at that time. The fact that none from the thousands spectators on both the banks dived into the water to save the drawing persons, is a sad commentary on human behaviour. Neverthless the whole incident was unexpected and the very suddeness and intensity of the tragedy might hav perplexed and stunned those who witnessed the disaster.

(Sd.) K. P. MUKERJI.

16, April, 54.

उत्तर प्रदेश संसदीय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४९ पर।)

Statement showing allotments and despatches of cement

TO

B A S T I

Allotment and Dispatches

(*Figures in Tons*)

Period	Months	Allotments			Despatches
		Regular	Additional	Total	
I/54.	January ..				..
	February ..				..
	March ..				92
	Total :.. ...	550	600	1,150	92
II/54.	April				155
	May				254
	June .. –				226
	Total :.. ..	1,408	–	1,408	635
III/54.	July ..				390
	August –				555*
	September ..				..
	Total :.. ..	704	220	924	945
	Grand Total ..	2,662	820	3,482	1,672

*Figures not complete. Out of this 188 tons have been despatched in special rake recently booked from Kymore.

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १३६ एल० ए०–१९५४–८५० ।

अदर प्रदेश विधान सभा